



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082026-275646
CG-DL-E-21082026-275646

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 492]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2026/श्रावण 20, 1948

No. 492]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2026/SHRAVAN 20, 1948

विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई 2026

फा.सं. पीआर-24021/11/2024-पीई-1.—विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2024 का मसौदा, महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) की धारा 72 की उप-धारा (1) के अनुसार, (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) अधिसूचना संख्या आईजीएडी/ए एंड बी/आर एस एंड पी /2024/4294, दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 के अनुसार प्रकाशित किया गया था और आंध्र प्रदेश राजपत्र के भाग-I में, दिनांक 21 दिसंबर, 2024 को प्रकाशित किया गया, ताकि इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जा सकें, उस तारीख से जब उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई दी गई थीं।

और चूंकि उक्त राजपत्र की प्रतियां 21 दिसंबर, 2024 को जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थीं;

और चूंकि विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण के मंडल को उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में जनता से कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 72 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (सी) और (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2009 को, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या न की गई बातों को छोड़कर, अधिक्रमित करते हुए, विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण का बोर्ड, केंद्र सरकार के अनुमोदन से, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- (i) इन विनियमों को विशाखापत्तनम पोर्ट प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2026 कहा जा सकता है।
- (ii) ये भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. आवेदन - ये विनियम इन विनियमों से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सभी पदों पर लागू होंगे।

3. परिभाषा

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(ए) "अधिनियम" का अर्थ है महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1)

(बी) "एनालॉगस पोस्ट" का मतलब एक ऐसा पद है जिसके कर्तव्य और जिम्मेदारियों का स्तर और वेतन सीमा उस पद के बराबर है जिसके लिए चयन किया जाना है।

(सी) किसी ग्रेड या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का अर्थ है उस ग्रेड या पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी

(डी) "बोर्ड" का अर्थ है विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण का बोर्ड

(ई) "विभागीय पदोन्नति समिति" का अर्थ है किसी भी ग्रेड या पद में पदोन्नति या पुष्टि के लिए सिफारिश करने के उद्देश्य से विनियमन 26 के तहत समय-समय पर गठित समिति।

(एफ) "सीधी भर्ती" का अर्थ है सेवा चयन समिति द्वारा प्रतिस्पर्धी परीक्षा या परीक्षण और/या साक्षात्कार के आधार पर भर्ती किया गया व्यक्ति।

(जी) "कर्मचारी" का अर्थ बोर्ड का एक कर्मचारी है।

(हेच) "ग्रेड" का अर्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत तैयार और स्वीकृत कर्मचारियों की अनुसूची में निर्दिष्ट कोई भी ग्रेड है।

(आई) "लियन" का अर्थ है किसी कर्मचारी का नियमित आधार पर, या तो तत्काल या अनुपस्थिति की अवधि या अवधियों की समाप्ति पर, एक पद पर धारण करने का हक, जिस पर उसे नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है और जिस पर वह परीक्षा पर नहीं है।

बशर्ते कि नियमित पद धारण करने का अधिकार इस शर्त के अधीन होगा कि यदि इस प्रकार हकदार व्यक्तियों की संख्या उस ग्रेड में उपलब्ध पदों से अधिक है, तो ग्रेड में सबसे कनिष्ठ व्यक्ति को निचले ग्रेड में वापस किया जा सकता है।

(जे) "स्थायी कर्मचारी" का अर्थ एक कर्मचारी है जिसे स्थायी पद पर नियुक्त किया गया है।

(के) किसी भी ग्रेड के संबंध में, "नियमित सेवा" का अर्थ उस ग्रेड में नियमित आधार पर चयन और नियुक्ति के पश्चात की गई सेवा की अवधि या अवधियों से है, और इसमें शामिल हैं।

(i) इन विनियमों की अधिसूचना के समय से पहले से ही सेवा में व्यक्तियों के मामले में वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए किसी अवधि या अवधियों को ध्यान में रखा जाएगा; और

(ii) कोई अवधि या अवधियाँ जिसके दौरान एक कर्मचारी ने उस ग्रेड में एक पद धारण किया होगा, लेकिन छुट्टी पर होने या अन्यथा ऐसे पदों को धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं होने के लिए।

(एल) "अनुसूची" का अर्थ इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची है।

(एम) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" के वही अर्थ होंगे जो उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) में दिए गए हैं।

(एन) किसी ग्रेड या पद के संबंध में "चयन सूची" का अर्थ उस ग्रेड या पद के लिए विनियम 13 के अनुसार तैयार की गई चयन सूची है।

(ओ) "चयन पद का अर्थ है वह पद जिस पर योग्यता के आधार पर चयन किया जाना है।

(पी) "सेवा चयन समिति" का अर्थ सीधी भर्ती के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट और/या साक्षात्कार के माध्यम से उम्मीदवारों के चयन के लिए विनियम 12 के तहत गठित समिति है।

(क्यू) "अस्थायी कर्मचारी" का अर्थ है बोर्ड की सेवा में अपनी नियुक्ति में अस्थायी पद धारण करने वाला या स्थायी पद पर स्थानापन्न या परिवीक्षा पर रहने वाला कर्मचारी।

इन विनियमों में प्रयुक्त और अनिर्धारित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

4. नियुक्ति का तरीका. - (1) अनुसूची में निर्दिष्ट पदों पर सभी नियुक्तियाँ इन विनियमों के अनुसार की जाएंगी।

(2) प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि तीन वर्ष है जिसे चार वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है:

बशर्ते कि असाधारण परिस्थितियों में, प्रतिनियुक्ति की अवधि को केंद्र सरकार द्वारा विभाग के प्रमुख के रूप में नामित पदों के मामले में और विभाग के प्रमुख के स्तर से नीचे के किसी भी अन्य पद के मामले में अध्यक्ष द्वारा अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

बशर्ते यह भी कि विभाग के प्रमुख और विभाग के प्रमुख से एक स्तर नीचे के पदों पर नियुक्ति के मामले में, सभी रिक्तियाँ अवशोषण के आधार पर स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के विफल होने पर, सीधी भर्ती द्वारा।

5. अनुसूचियाँ- (1) विभिन्न श्रेणी- 1 पदों पर नियुक्तियों से संबंधित नियुक्ति का तरीका, योग्यता, आयु, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव, पदों का वर्गीकरण और अन्य मामले अनुसूची में निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(2) श्रेणी- -II पदों, श्रेणी- -III पदों और श्रेणी- -IV पदों के मामले में, नियुक्ति का तरीका समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(3) सीधे भर्ती के लिए निर्धारित पात्रता आवश्यकताएं पदोन्नति के मामले में अनुसूची के कॉलम (8) में उल्लिखित सीमा तक लागू होंगी और पदोन्नति के लिए अनुभव की आवश्यकता अनुसूची के कॉलम (12) में निर्धारित की जाएगी।

बशर्ते कि विभागीय प्रमुख के पद पर नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार द्वारा और अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष द्वारा निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, सीधी भर्ती या अवशोषण या प्रतिनियुक्ति के सभी मामलों में, निम्नलिखित के तहत।

(i) जहां निर्धारित न्यूनतम अनुभव दस वर्ष या उससे अधिक है वहां पांच वर्ष तक और जहां निर्धारित न्यूनतम अनुभव पांच से नौ वर्ष है वहां तीन वर्ष तक,

(ii) ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो पूर्व-सेवा व्यक्ति है, रक्षा बलों में छह महीने से कम निरंतर सेवा नहीं है, रक्षा बलों में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा की सीमा तक और तीन वर्ष, जहां भरी जाने वाली रिक्ति ऐसी पूर्व-सेवा व्यक्ति और कार्रवाई में मारे गए लोगों के आश्रितों के लिए आरक्षित रिक्ति है और अवज्ञा बलों में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा की सीमा तक, जहां भरी जाने वाली रिक्ति एक अनारक्षित रिक्ति है; और

(iii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार के मामले में, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ऐसे आदेशों के अनुसार।

बशर्ते कि यदि चयन के किसी भी चरण में केंद्र सरकार की यह राय हो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए आवश्यक अनुभव वाले पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो केंद्र सरकार के विवेक पर इन समुदायों के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव की आवश्यकता में छूट दी जा सकती है।

6. रिक्तियों का रोस्टर - (1) रिक्तियों को भरने के लिए या तो सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा प्रत्येक ग्रेड के लिए एक रोस्टर बनाए रखा जाएगा।

(2) यदि सीधी भर्ती के लिए आरक्षित रिक्ति को सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरा जा सकता है, तो इसे पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है और अगली रिक्ति सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएगी, और इसके विपरीत।

7. आरक्षण- (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश इन विनियमों के तहत की गई सीधी भर्ती या पदोन्नति के लिए इन विनियमों के अंतर्गत आने वाली सभी नियुक्तियों पर उत्परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

(2) अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और कार्रवाई में मारे गए लोगों के आश्रितों, खिलाड़ियों और विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में पदों के आरक्षण के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश, इन विनियमों के अंतर्गत आने वाली नियुक्तियों पर भी लागू होंगे, जिनमें सीधी भर्ती की जाती है।

8. सीधी भर्ती हेतु राष्ट्रीयता, चरित्र, शारीरिक क्षमता, आदि :

(1) किसी भी ग्रेड या पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवार को होना चाहिए-

(ए) भारत का नागरिक; या

(बी) नेपाल का एक विषय; या

(सी) भूटान का एक विषय; या

(डी) एक तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी से पहले भारत आया था; 1962 भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से या

(ई) भारतीय मूल का व्यक्ति जो स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे और इथोपिया और वियतनाम से आया है। भारत।

बशर्ते कि श्रेणी (ए) से संबंधित उम्मीदवार को अपनी राष्ट्रीयता का ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जिसकी अध्यक्ष समय-समय पर मांग कर सके।

बशर्ते कि श्रेणियों (बी), (सी), (डी) और (ई) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो

बशर्ते कि एक उम्मीदवार जिसके मामले में राष्ट्रीयता का प्रमाण या पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे अनंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है, जब तक कि उसके पक्ष में केंद्रीय सरकार से आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जैसा भी मामला हो। ऐसे मामलों में अनंतिम नियुक्ति एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी।

(2) अध्यक्ष, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, उपविनियम (1) की किसी भी आवश्यकता को संशोधित या माफ कर सकता है, जब किसी विशेष प्रकृति के काम के लिए नियुक्ति की जानी हो और नियुक्ति प्राप्त करना व्यावहारिक न हो उपयुक्त उम्मीदवार जो इन विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

(3) कोई व्यक्ति नहीं।

(ए) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, जिसका जीवनसाथी जीवित है; या

(बी) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो।

किसी भी ग्रेड या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा जिस पर ये नियम लागू होते हैं।

बशर्ते कि अन्य सभी मामलों में विभागाध्यक्ष और अध्यक्ष के मामले में केंद्र सरकार, यदि संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू पर्सनल लॉ के तहत अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस उप - विनियमन के संचालन से छूट दी जा सकती है।

(4) कोई भी उम्मीदवार जिसे नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए कानून की अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है या जिसे दिवालिया घोषित किया गया है, वह ग्रेड या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) एक उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में होना चाहिए और बोर्ड के कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप करने की संभावना वाले किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए:

बशर्ते कि कोई उम्मीदवार जो, ऐसी शारीरिक परीक्षा के बाद जो केंद्रीय सरकार, विभाग के प्रमुख के मामले में, और अध्यक्ष, अन्य सभी मामलों में, निर्दिष्ट कर सकती है, उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(6) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई उम्मीदवार इस विनियमन की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है या नहीं, तो इसका निर्णय केंद्र सरकार द्वारा और अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष द्वारा तय किया जाएगा।

9. सीधी भर्ती के लिए मौजूदा कर्मचारियों की पात्रता - जब पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने की आवश्यकता होती है, तो किसी भी प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण के बोर्ड के कर्मचारी निर्धारित योग्यता और अनुभव रखने वाले भी आवेदन करने के पात्र होंगे।

बशर्ते कि ऐसे मामलों में आयु सीमा पचपन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. रिक्तियों का विज्ञापन

(1) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले श्रेणी-III और श्रेणी-IV पदों की रिक्तियों को स्थानीय रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किया जाएगा।

(2) यदि पर्याप्त संख्या में पात्र और उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो रिक्तियों को राज्य में प्रकाशित समाचार पत्रों में राष्ट्रीय और स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों और/या रोजगार समाचार में विज्ञापित किया जाएगा।

(3) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले श्रेणी-I और श्रेणी-II पदों को राष्ट्रीय और स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों और/या रोजगार समाचार में विज्ञापित किया जाएगा।

(4) योग्यता, अनुभव और आयु निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि उस महीने का पहला दिन होगा जिसमें पद को अधिसूचित/विज्ञापित किया जाता है जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

11. कुछ मामलों में लिखित या कौशल परीक्षण का आयोजन - (1) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी यह तय कर सकता है कि लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा या दोनों आयोजित की जाएं। साथ ही, वह उन अधिकारियों को नामित कर सकता है जो परीक्षा लेंगे, परीक्षा की प्रक्रिया और अन्य विवरण निर्धारित कर सकता है।

(2) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी लिखित या कौशल परीक्षा आयोजित करने के लिए किसी सलाहकार या सलाहकार फर्म को नियुक्त कर सकता है।

12. सेवा चयन समिति:- (1) विभिन्न पदों के लिए सेवा चयन समिति निम्नानुसार होगी, अर्थात्:

(ए) विभाग प्रमुख के लिए :-

(i) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव जो पीएचआरडी का प्रभार संभालते हैं	अध्यक्ष
(ii) पोर्ट के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष	सदस्य
(iii) किसी अन्य बंदरगाह अध्यक्ष या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा नामित क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले अधिकारी	सदस्य
(iv) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि जिसे पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा नामित किया गया हो	सदस्य

(बी) श्रेणी-I के पदों के लिए

(i) अध्यक्ष	अध्यक्ष
(ii) उपाध्यक्ष	सदस्य
(iii) जिस विभाग में रिक्ति भरी जानी है उसके प्रभारी विभाग प्रमुख	सदस्य
(iv) सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष	सदस्य
(v) अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि	सदस्य

(सी) श्रेणी -II के पदों के लिए

(i) उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
(ii) जिस विभाग में रिक्ति भरी जानी है उसके विभागाध्यक्ष	सदस्य
(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष	सदस्य
(iv) अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि	सदस्य

(डी) श्रेणी - III और श्रेणी - IV पदों के लिए (सामान्य श्रेणियां)

(i) बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित उपाध्यक्ष या विभाग प्रमुख	अध्यक्ष
(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष	सदस्य
(iii) अध्यक्ष द्वारा नामित वेतनमान रुपये 80000-220000 से कम नहीं वाले ग्रेड में एक वरिष्ठ अधिकारी	सदस्य
(iv) अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि	सदस्य

(ई) श्रेणी - III और श्रेणी - IV पदों के लिए (असामान्य श्रेणियां)

(i) विभाग प्रमुख, जहां रिक्ति भरी जानी है	अध्यक्ष
(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष	सदस्य
(iii) अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाने वाला वेतनमान रुपये 80000-220000 से कम नहीं वाले ग्रेड में संबंधित डिवीजन का एक वरिष्ठ अधिकारी	सदस्य
(iv) अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि	सदस्य

नोट 1: नियुक्ति प्राधिकारी बोर्ड की सेवा में न होने वाले किसी भी व्यक्ति को सेवा चयन समिति का सदस्य नामित कर सकता है यदि ऐसा व्यक्ति संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता हो।

नोट 2: जहां सेवा चयन समिति का कोई भी सदस्य उपलब्ध नहीं है, वहां नियुक्त प्राधिकारी बैठक में भाग लेने के लिए उसके स्थान पर उपयुक्त स्तर के किसी अन्य अधिकारी को नामित कर सकता है।

(2) जहां एक से अधिक विभागों के लिए सामान्य ग्रेड में रिक्तियों की भर्ती एक सामान्य चयन में की जाती है, प्रत्येक मामले में समिति की संरचना का निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

13. चयन सूची —(1) सेवा चयन समिति, उसके द्वारा निर्धारित योग्यता के क्रम में, सीधी भर्ती के लिए निर्धारित पदों पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए चयनित उम्मीदवारों के नामों को चयन सूची में रखने की सिफारिश कर सकती है।

(2) ऐसी सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने की तारीख से 12 महीने की अवधि के लिए वैध मानी जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी के पास सूची की वैधता को छह महीने से अधिक की अवधि के लिए या नई चयन सूची स्वीकृत होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने का अधिकार है।

14. सेवा चयन समिति की सिफारिशों और तदर्थ नियुक्तियों पर विचार. सीधी भर्ती द्वारा सभी नियुक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित सेवा चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएंगी।

. बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी के पास लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर सेवा चयन समिति की सिफारिशों को स्वीकार न करने का अधिकार होगा।

बशर्ते कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष के अधीनस्थ एक प्राधिकारी है और प्राधिकारी किसी भी मामले में ऐसी सिफारिशों से असहमत है, वह ऐसी असहमति के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा और मामले को अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा जो उस पर निर्णय लेगा।

बशर्ते कि पूर्णतया अस्थायी पद, अवकाश रिक्ति या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित रिक्ति के मामले में जिसे तत्काल भरने की आवश्यकता हो, अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो एक समय में छह महीने की अवधि के लिए रिक्त पद को भरने के लिए पात्र है। और तदर्थ आधार पर एक वर्ष से अधिक नहीं, बशर्ते कि

(ए) तदर्थ नियुक्ति, जहां अपरिहार्य हो, केवल आरआर में प्रदान की गई योग्यताओं, अनुभव को पूरा करने के अधीन ही की जानी चाहिए।

(बी) अस्थायी पद पर नियुक्ति की कुल अवधि पद के कार्यकाल से अधिक नहीं होगी।

(सी) अन्य मामलों में अस्थायी नियुक्ति को यथाशीघ्र चयन सूची से नियमित नियुक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

15. प्रचार समर्थन एक अयोग्यता

किसी व्यक्ति की ओर से किसी पद पर नियुक्ति या उच्च पद पर पदोन्नति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से समर्थन मांगने का कोई भी प्रयास उसे नियुक्ति या पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित कर देगा।

16. तथ्यों को दबाना अयोग्यता

कोई भी उम्मीदवार जो जानबूझकर कोई विवरण प्रदान करता है जो गलत है या जिसने किसी चरित्र की महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है, जिसके बारे में पता चलने पर वह आमतौर पर किसी ग्रेड या पद पर नियुक्ति पाने से वंचित रह जाता, उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है, और यदि नियुक्त किया जाए, सेवा से बर्खास्त किया जाए।

17. नियुक्ति आदेश रद्द करना

यदि सीधी भर्ती के लिए निर्धारित पद के लिए चयनित कोई उम्मीदवार नियुक्ति प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि के भीतर और जहां ऐसी कोई तारीख उल्लिखित नहीं है, नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर झूठी में शामिल होने में विफल रहता है। जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी सहमत हो सकता है, नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया माना जाएगा।

-18. साक्षात्कार में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते का भुगतान

सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों के मामले में, उम्मीदवारों (बोर्ड की सेवा में पहले से मौजूद व्यक्तियों सहित) को लिखित और व्यावहारिक परीक्षण या साक्षात्कार के उद्देश्य से की जाने वाली सभी यात्राएं अपने खर्च पर करनी होंगी।

हालाँकि, लिखित या ट्रेड टेस्ट या साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर कि उन्होंने वास्तव में आंतरिक प्रदर्शन किया है, दोनों तरफ से सबसे छोटे व्यावहारिक मार्ग से प्रथम श्रेणी रेल किराए के बराबर यात्रा भत्ता दिया जाएगा।

19. परिवीक्षा अवधि

(1) सीधी भर्ती या पदोन्नति या अवशोषण द्वारा किसी पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, उप-विनियम (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन, नियुक्त व्यक्तियों के मामले को छोड़कर, दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा। एचओडी और डिप्टी के पदों पर भर्ती की समग्र पद्धति के माध्यम से अवशोषण के आधार पर। 80000-220000 रुपये (पूर्व-संशोधित 16000-400-20800 रुपये) और उससे अधिक वेतनमान वाले विभागाध्यक्ष।

बशर्ते कि जहां नियुक्ति स्वयं नियुक्ति आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए है, ऐसी नियुक्ति उस अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी अवधि नहीं बढ़ा दी जाती।

बशर्ते यह भी कि, जब नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाती है और पद में वेतन का पैमाना होता है, जिसकी अधिकतम राशि 88700 रुपये से अधिक नहीं होती है, परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष होगी।

यह भी प्रावधान है कि यदि किसी ग्रेड या पद पर पदोन्नति पर एक कर्मचारी को उच्च ग्रेड या पदों पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो वह अपने निचले ग्रेड या पद में परिवीक्षा पूरी करने के लिए उच्च ग्रेड या पदों पर अपनी

नियुक्ति की अवधि की गणना करने के लिए पात्र होगा; या यदि किसी कर्मचारी को पहले किसी ग्रेड या पद पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, तो परिवीक्षा पर समान ग्रेड या पद पर नियुक्ति पर वह ग्रेड या पद में परिवीक्षा पूरी करने के लिए ऐसी कार्यवाहक अवधि (तदर्थ सेवा को छोड़कर) की गणना करने के लिए पात्र होगा।

(2) श्रेणी-III और श्रेणी -IV ग्रेड के भीतर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

(3) यदि नियुक्त प्राधिकारी आवश्यक समझे तो परिवीक्षा की अवधि को एक समय में एक विशिष्ट अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसे विस्तार की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, सिवाय इसके कि जहां कर्मचारी के खिलाफ लंबित विभागीय या कानूनी कार्यवाही के कारण किसी विस्तार की आवश्यकता हो।

(4) अपने परिवीक्षा की अवधि के दौरान एक कर्मचारी को ऐसी विभागीय प्रशिक्षण से गुजरना और ऐसी विभागीय परीक्षाओं को पास करना आवश्यक हो सकता है जो नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है

20. परिवीक्षाधीन कर्मचारियों की पुष्टि - (1) जो अधिकारी सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूरी कर चुका है, उसे पुष्टि के लिए विचार किया जा सकता है।

(2) पुष्टि के प्रत्येक मामले को विभागीय पुष्टिकरण समिति के समक्ष रखा जाएगा और जब मामला सभी पहलुओं से साफ हो जाएगा तो पुष्टिकरण का एक विशिष्ट आदेश जारी किया जाएगा।

(3) ऐसे मामले में जहां किसी पद पर पदोन्नति पर परिवीक्षा इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट नहीं है, नियमित आधार पर पदोन्नत अधिकारी को वे सभी लाभ होंगे जो उस ग्रेड में पुष्टि किए गए व्यक्ति को प्राप्त होंगे

बशर्ते कि जहां परिवीक्षा निर्धारित की गई है, नियुक्त करने वाला प्राधिकारी परिवीक्षा की निर्धारित अवधि पूरी होने पर अधिकारी के कार्य और आचरण का आकलन करेगा और यदि अधिकारी उच्च ग्रेड धारण करने के लिए उपयुक्त है, तो नियुक्त करने वाला प्राधिकारी एक आदेश पारित करेगा कि संबंधित व्यक्ति ने सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूरी कर ली है या यदि अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं है या कुछ और समय तक देखने की आवश्यकता है, तो नियुक्त करने वाला प्राधिकारी अधिकारी को उस पद या ग्रेड पर वापस कर सकता है जिससे उसे पदोन्नत किया गया था या परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है, जैसा भी मामला हो।

(4) परिवीक्षा की निश्चित शर्तों के साथ सीधी भर्ती पर स्थायी पद के विरुद्ध नियुक्त व्यक्ति को परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से प्रभाव में ग्रेड में पुष्टि की जाएगी।

(5) यह निर्णय, कि किसी व्यक्ति की पुष्टि की जाएगी या उसकी परिवीक्षा की अवधि बढ़ाई जाएगी, प्रारंभिक परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद, आम तौर पर छह से आठ सप्ताह के भीतर लिया जाएगा और कर्मचारी को विस्तार के कारणों के साथ सूचित किया जाएगा।

बशर्ते कि परिवीक्षा की निश्चित शर्तों के साथ स्थायी पद के विरुद्ध नियुक्त व्यक्ति की पुष्टि उस तारीख से प्रभावी ग्रेड में की जाएगी जिस तारीख को वह सफलतापूर्वक परिवीक्षा की अवधि पूरी कर लेता है और विभागीय पुष्टि समिति की बैठक की तारीख से नहीं।

(6) एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति जो संतोषजनक प्रगति नहीं कर रहा है या जो खुद को सेवा के लिए अपर्याप्त साबित करता है, उसे परिवीक्षा की मूल परिवीक्षा अवधि की समाप्ति से पहले ही उसकी कमियों के बारे में सूचित कर दिया जाएगा ताकि वह आत्म-सुधार के लिए गंभीर प्रयास कर सके।

(7) विभाग की पुष्टि समिति अधिकारियों की सापेक्ष ग्रेडिंग का निर्धारण नहीं करेगी, बल्कि केवल यह तय करेगी कि क्या उन्हें संतोषजनक ढंग से परिवीक्षा पूरी करने के लिए घोषित किया जाएगा और यदि किसी परिवीक्षाधीन का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, तो विभाग की पुष्टि समिति सलाह दे सकती है कि परिवीक्षा की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए या अधिकारियों को सेवा से मुक्त कर दिया जाना चाहिए।

21. परिवीक्षाधीन कर्मचारियों की सेवा समाप्ति या वापसी - (1) यदि विभागीय पुष्टि समिति की सलाह पर, अपनी पहली नियुक्ति में परिवीक्षा पर एक कर्मचारी को उसके आचरण या प्रदर्शन के आधार पर उपयुक्त नहीं माना जाता है, तो उसे बोर्ड की सेवा से छुट्टी दे दी जाएगी।

(2) यदि परिवीक्षाधीन कर्मचारी जो किसी पद पर ग्रहणाधिकार रखता है, नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए विनियम 19 के तहत निर्दिष्ट परिवीक्षा की अवधि पूरी नहीं करता है, तो उसे उस पद पर वापस कर दिया जा सकता है जिस पर वह ग्रहणाधिकार रखता है।

(3) यदि परिवीक्षाधीन कर्मचारी जो किसी पद पर ग्रहणाधिकार नहीं रखता है, यदि आवश्यक हो तो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में उसकी विफलता या उसके प्रदर्शन या आचरण के आधार पर उस पद पर आगे बने रहने के लिए अयोग्य माना जाता है, तो वह सेवा से मुक्त होने के लिए उत्तरदायी होगा।

22. कुछ मामलों में पदोन्नति या पुष्टि के लिए विभागीय परीक्षा। - (1) अध्यक्ष, समय-समय पर, उन पदों को निर्दिष्ट कर सकता है, जिनकी पुष्टि या पदोन्नति, यदि कोई हो, तो अर्हता विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन होगी।

(2) अध्यक्ष समय-समय पर अर्हता विभागीय परीक्षण का विवरण भी निर्दिष्ट कर सकता है जैसे कि परीक्षण आयोजित करने की प्रक्रिया, परीक्षण के लिए पाठ्यक्रम, अंतराल जिस पर परीक्षण आयोजित किया जाएगा, अधिकतम अवधि जिसके भीतर उम्मीदवारों द्वारा परीक्षण पास किया जाएगा, आदि।

23. विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण पदावनति - (1) एक पद पर पदोन्नत कर्मचारी ऐसी अर्हता प्राप्त विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, जो समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है, ऐसी अवधि के भीतर उत्तीर्ण करेगा, जैसा कि उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, अन्यथा कर्मचारी को वापस कर दिया जाएगा।

(2) जब किसी उच्च पद पर पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में एक परीक्षा उत्तीर्ण करना निर्दिष्ट किया जाता है, तो किसी कर्मचारी को ऐसी पद पर पदोन्नति के लिए तब तक नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता।

24. वरिष्ठता सूची। - (1) कर्मचारियों की अंतर-सी-वरिष्ठता को इंगित करने वाली एक अद्यतन श्रेणी सूची प्रत्येक ग्रेड के लिए रखी जाएगी।

(2) सूची हर साल प्रसारित की जाएगी और सूची में प्रत्येक ग्रेड में स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को अलग से इंगित किया जाएगा।

25. वरिष्ठता का निर्धारण। - (1) ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों और विभागीय पदोन्नति के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता को प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति के बीच रिक्तियों के रोटेशन के अनुसार अंतर-से-वरिष्ठता सौंपी जाएगी जो प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति के लिए आरक्षित ग्रेड में रिक्तियों के कोटा के आधार पर होगी जैसा कि अनुसूची में इंगित किया गया है।

(2) प्रत्यक्ष भर्ती को परीक्षा या साक्षात्कार, या दोनों में उनके प्रदर्शन के आधार पर चयनित सूची में रखे गए योग्यता क्रम में अंतर-से रैंक किया जाएगा, बाद की चयनित सूची के भर्ती वरिष्ठ रैंक के बाद से भर्ती की जाएगी।

(3) रिक्तियों के पदोन्नति कोटा के विरुद्ध नियुक्त व्यक्तियों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिए अनुमोदित किए जाने के क्रम के अनुसार अंतर-से रैंक किया जाएगा।

(4) उप-विनियम (1) से (3) में निहित किसी भी बात के बावजूद, इन विनियमों के प्रारंभ से पहले निर्धारित वरिष्ठता अप्रभावित रहेगी।

26. विभागीय पदोन्नति समिति. - (1) इन विनियमों के अनुसार पदोन्नति द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए कर्मचारियों के एक पैनल की सिफारिश करने के लिए प्रत्येक ग्रेड या पद के लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति होगी।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना सेवा चयन समिति के समान ही होगी जैसा कि विनियम 12 में निर्धारित किया गया है और पैनल की वैधता विनियम 13 में उल्लिखित के समान ही होगी।

27. पदोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र - (1) जहां एक ग्रेड में एक या अधिक पदों को इन विनियमों के अनुसार फीडर ग्रेड में पदों पर आसीन कर्मचारियों से चयन विधि के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरा जाना आवश्यक है, पदोन्नति के लिए पात्र पदों

पर आसीन और पदोन्नति के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव रखने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा यदि वे विचार के क्षेत्र में आते हैं।

(2) चयन विधि के माध्यम से कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए सिफारिश करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, अर्थात्: -

(ए) विभागीय पदोन्नति समिति निर्धारित बेंचमार्क के संदर्भ में पदोन्नति के लिए मूल्यांकन किए जा रहे लोगों की योग्यता का निर्धारण करेगी और तदनुसार अधिकारियों को "उपयुक्त" या "अयोग्य" के रूप में ग्रेड देगी और केवल "उपयुक्त" ग्रेड वाले अधिकारियों को फीडर ग्रेड में उनकी अंतर-वरिष्ठता के क्रम में चयन सूची में शामिल किया जाएगा और जिन अधिकारियों को "अयोग्य" ग्रेड दिया गया है, उन्हें चयन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा;

(बी) विदेशी सेवा या अध्ययन अवकाश पर गए पात्र कर्मचारियों के मामलों पर विभागीय पदोन्नति समिति भी विचार करेगी;

(सी) सरकारी कर्मचारियों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही में पालन की जाने वाली प्रक्रिया पर समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश, यथावश्यक परिवर्तन के साथ, लागू होंगे; और

(डी) 80000-220000 रुपये और उससे अधिक के वेतनमान वाले पद पर अवशोषण के लिए, समग्र ग्रेडिंग में बेंचमार्क 'बहुत अच्छा' होगा और अन्य सभी मामलों में, बेंचमार्क 'अच्छा' होगा।

28. तदर्थ नियुक्तियाँ - (1) तत्काल आवश्यकता की स्थिति में जब विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित पैनल का उपयोग किया गया है, तो नियुक्त करने वाला प्राधिकारी, फीडर ग्रेड या पद में सबसे वरिष्ठ योग्य और उपयुक्त कर्मचारी को एक बार में छह महीने की अवधि तक और एक वर्ष से अधिक नहीं, या विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा एक नया पैनल अनुशंसित होने तक, जो भी पहले हो, तक नियुक्त करके, विशुद्ध रूप से तदर्थ नियुक्ति कर सकता है।

(2) अपरिहार्य होने पर, तदर्थ नियुक्ति केवल इन विनियमों में प्रदान की गई योग्यताओं और अनुभव को पूरा करने के अधीन की जाएगी।

(3) गैर-चयन पदों पर पदोन्नति के लिए जहां कोई बेंच मार्क निर्दिष्ट नहीं है, चयन के लिए मानदंड "वरिष्ठता-सह-योग्यता" होगा।

29. अनुकंपा नियुक्तियाँ - इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष इन विनियमों में निर्धारित भर्ती की सामान्य प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है और बोर्ड के कर्मचारी के वैध बेटे या बेटी या जीवित पति या पत्नी को, जो सेवा के दौरान मर जाता है, नियुक्त कर सकता है, यदि नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास निर्धारित योग्यता और अनुभव है और अन्यथा उपयुक्त पाया जाता है।

30. व्याख्या- इन विनियमनों के अनुप्रयोग में, समय-समय पर संशोधित किए गए केन्द्रीय सरकार के वे सभी निर्देश जो इन विनियमनों के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल नहीं हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए वे सभी निर्देश जो उन मामलों को कवर करते हैं जो इन विनियमनों में विशेष रूप से शामिल नहीं हैं, का पालन किया जाएगा और जहां इन विनियमनों में से किसी के व्याख्या के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो मामला निर्णय के लिए अध्यक्ष को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

विशाखपट्टणम पोर्ट प्राधिकरण के सामान्य प्रशासनिक विभाग में श्रेणी 1-पदों के लिए भर्ती नियम 1 प्रधान प्रशासन

क्रसं.	पदों का नाम	पदों की सं	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयन पद है या गैर चयन	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	उम्र, शैक्षणिक योग्यता, सीधे भर्ती के लिए निर्धारित अनुभव पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण के मामले में लागू होगा।	परिवीक्षा अवधि वर्षों) (में	भर्ती की विधि चाहे वह सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	सचिव (कैटगिरी -1 पोर्ट्स	1* (202 6) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी-1 विभागाध्यक्ष	रु 120000 – 280000 रुपये	चयन	45 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए	(ए) आवश्यक: (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री; और (ii) सामान्य प्रशासन या कार्मिक या औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में औद्योगिक या वाणिज्यिक या सरकारी उपक्रम में कार्यकारी कैडर में सत्रह साल का अनुभव। (बी) वांछनीय: कार्मिक प्रबंधन या औद्योगिक संबंध या	ए) आयु-नहीं (बी) शैक्षिक योग्यता-हाँ (सी) अनुभव- नहीं।	लागू नहीं	मिश्रित पद्धति से अवशोषण द्वारा, या प्रतिनियुक्ति द्वारा और न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	समग्र विधि के माध्यम से अवशोषण के लिए, श्रेणी-2 बंदरगाहों में समकक्ष पदों पर आसीन अधिकारी या सचिव के पद पर दो वर्ष की नियमित सेवा या ग्रेड में या वेतनमान 90000-240000 (पूर्व संशोधित 17500-22300) के वेतनमान के पद पर आसीन अधिकारी चार वर्ष की नियमित सेवा ग्रेड में या वेतनमान 80000-220000 (पूर्व संशोधित 16000-20800) के वेतनमान पद पर आसीन अधिकारी पांच वर्ष की नियमित सेवा सामान्य प्रशासन/मानव संसाधन	

							सामाजिक कार्य या श्रम कल्याण या संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कानून में डिग्री।				विकास विभाग में। एक प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण का पात्र होगा। प्रतिनियुक्ति के लिए, सामान्य प्रशासन विभाग/मानव संसाधन विकास विभाग में समान पदों या सचिव और समकक्ष पदों पर वेतनमान 100000 - 260000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 18500-23900) पर दो साल की नियमित सेवा वाले अधिकारी या सामान्य प्रशासन/मानव संसाधन विकास विभाग में वरिष्ठ उप सचिव और समकक्ष पदों पर वेतनमान 80000-220000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 16000-20800) पर पांच साल की नियमित सेवा वाले अधिकारी सरकार/अर्ध सरकारी/पीएसयू या स्वायत्त निकायों में पद धारण करने के लिए पात्र होंगे। चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में समग्र ग्रेडिंग में बेंचमार्क "बहुत अच्छा" से कम नहीं होगा।	
2	वरिष्ठ उप सचिव	1* (2026)	श्रेणी 1-	-80000 22000	चयन	42वर्ष से अधिक	<u>ए) अनिवार्य :</u>	ए) आयु-नहीं (बी) शैक्षिक योग्यता-	लागू नहीं	मिश्रित पद्धति द्वारा विलयन	समग्र विधि के माध्यम से अवशोषण के लिए, किसी	

		*कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	0		आयु नहीं होनी चाहिए।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री; और (ii) किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक या सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन या कार्मिक या औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में कार्यकारी संवर्ग में बारह वर्ष का अनुभव। (बी) वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कार्मिक प्रबंधन या औद्योगिक संबंध या सामाजिक कार्य या श्रम कल्याण या संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा या कानून में डिग्री।	हाँ (सी) अनुभव- नहीं।		अन्यथा अन्य सरकारी संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों से न होने से सीधी भर्ती द्वारा	प्रमुख पत्तन प्राधिकरण में सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित विषयों में समान पदों पर आसीन अधिकारी या उप सचिव और समकक्ष पदों पर 60000 - 180000 (पूर्व संशोधित 13000 - 18250) वेतनमान पर तीन वर्ष की नियमित सेवा या किसी प्रमुख पत्तन प्राधिकरण में सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित विषयों में उप सचिव और समकक्ष पदों पर 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) और 60000 - 180000 (पूर्व संशोधित 13000 - 18250) वेतनमान पर दो वर्ष की नियमित सेवा और सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित विषयों में सात वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा वाले अधिकारी पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति के लिए, सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित अनुशासन में समकक्ष पदों या उप सचिव और समकक्ष पद पर वेतनमान 60000 - 180000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 13000 - 18250) पर तीन साल की	
--	--	--	---	--	----------------------------	--	---------------------------------	--	---	---	--

											नियमित सेवा वाले सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों में अधिकारी पात्र होंगे। चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में समग्र ग्रेडिंग में बेंचमार्क "बहुत अच्छा" से कम नहीं होगा।	
3	उप सचिव	1* (2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी 1-	- 60000 180000	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	अनिवार्य : i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से डिग्री ii) किसी औद्योगिक सरकारी /वाणिज्य/ उपक्रम में सामान्य कार्मिक ,औद्योगिक संबंधी ,प्रशासन कार्यकारी पद 9 वर्ष का अनुभव वांछनीय किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कार्मिक प्रबंधन औद्योगिक / सामाजिक /श्रम कल्याण या संबंध /कार्य विषयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिग्रीलोमा या	ए) आयु-नहीं (बी)शैक्षिक योग्यता-हाँ (सी) अनुभव- नहीं।	2 वर्ष	मिश्रित पद्धति द्वारा विलयन या अन्य सरकारी संस्थाओं से प्रतिनियुक्त द्वारा दोनों से न होने से सीधी भर्ती ।	सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित अनुशासन में चार साल की नियमित सेवा में 50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) रुपये के वेतनमान में 50000-160000 रुपये (पूर्व संशोधित 10750-16750) रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ सहायक सचिव (मौजूदा उप सचिव) के ग्रेड में असफल होने पर वरिष्ठ सहायक सचिव (मौजूदा उप सचिव) (जैसे पीआरओ/वरिष्ठ सहायक संपदा प्रबंधक/एसएलओ/उप कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ कल्याण अधिकारी) के ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा और वेतनमान में नौ साल की संयुक्त नियमित सेवा के साथ 50000-	

							कानूनी में डिग्री।				160000 रुपये (पूर्व संशोधित 10750-16750) रुपये और 50000-160000 रुपये (पूर्व संशोधित 9100-15100) रुपये के वेतनमान में।	
4.	वरिष्ठ सहायक सचिव	1* (2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी-1	रु 50000-160000	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	अनिवार्य I (किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री II) किसी औद्योगिक/वाणिज्य/सरकारी उपक्रम में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि में कार्यकारी पद पर पांच वर्ष का अनुभव वांछनीय किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/ सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण या संबंध विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या विधि में डिग्री।	(ए) आयु-नहीं (बी) शैक्षणिक सी) अनुभव-जैसा कि कॉलम (12) में	2 वर्ष	पदोन्नति , /अवशोषण प्रतिनियुक्ति दोनों द्वारा , द्वारा न होने से सीधी भर्ती द्वारा	सहायक सचिव ग्रेड-1 से पदोन्नति (सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित अनुशासन में ग्रेड-1 में पांच वर्ष की नियमित सेवा में 50000-160000 (पूर्व संशोधित रु. 9100-15100) के वेतनमान में मौजूदा सहायक सचिव (वर्ग-1) के रूप में पद धारण करने वाले अधिकारियों की सहायक सचिव के रूप में ग्रेड-1 (मौजूदा सहायक सचिव (वर्ग-1) के रूप में 50000-160000 (पूर्व संशोधित रु. 9100-15100) के वेतनमान में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ एक प्रमुख पत्तन प्राधिकरण में ग्रेड में आठ वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा)। सहायक सचिव के रूप में। (ग्रेड-1) (प्रमुख पत्तन प्राधिकरण में	

											ग्रेड-1 में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ 50000-160000 (पूर्व संशोधित रु. 9100-15100) के वेतनमान में मौजूदा सहायक सचिव (वर्ग-1) के रूप में पद धारण करने वाले अधिकारियों की सहायक सचिव के रूप में)।	
5.	सहायक सचिव (ग्रेड-1)	2 * (2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी-1	रु 50000-160000	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	(ए) आवश्यक: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री। (बी) वांछनीय: (i) कार्मिक प्रबंधन या औद्योगिक संबंध या सामाजिक कार्य या श्रम कल्याण या संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कानून में डिग्री; (ii) सामान्य प्रशासन या कार्मिक या औद्योगिक	ए) आयु-नहीं (बी) शैक्षिक योग्यता-हाँ (सी) अनुभव- नहीं।	2 वर्ष	ए) 66.66% सीधी भर्ती द्वारा और (बी) 33.33 % पदोन्नति द्वारा।	सहायक सचिव ग्रेड- (मौजूदा सहायक सचिव (श्रेणी-II) वेतनमान रु. 40000 - 140000 (पूर्व संशोधित रु. 8600-14600) ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा के साथ) ग्रेड- के रूप में पदोन्नति। या सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित अनुशासन में पांच साल की नियमित सेवा के साथ वेतनमान 36500 - 88700 (पूर्व संशोधित वेतनमान 6170-11975) के वर्ग-3 कर्मचारियों से उस अनुशासन में वेतनमान 40000 - 140000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 8600-14600) के श्रेणी -2 के पद नहीं हैं।	

							संबंध आदि के क्षेत्र में किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक या सरकारी उपक्रम में कार्यकारी कैडर में दो साल का अनुभव।					
6.	उप मुख्य विधि अधिकारी	1 (202 6) *कार्य भार के आधार पर भिन्न ता के अधीन ।	श्रेणी-1	60000 - 18000 0	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	आवश्यक i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री। बांछित: i) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कानूनी प्रतिष्ठान में 2 वर्ष का कार्यकारी अनुभव। ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में स्नातकोत्तर डिग्री	ए) आयु-नहीं (बी)शैक्षिक योग्यता-हाँ (सी) अनुभव- नहीं।	2 वर्ष	पदोन्नति के विफल होने से जो अवशोषण/प्रतिनियुक्ति द्वारा विफल हो जाता है, दोनों प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा विफल हो जाता है।	वरिष्ठ विधि अधिकारी के वेतनमान रु. 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 10750-16750) में चार वर्ष नियमित सेवा के बाद वरिष्ठ विधि अधिकारी के वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 10750-16750) में दो वर्ष नियमित सेवा के बाद वरिष्ठ विधि अधिकारी के वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 10750-16750) और 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 9100 - 15100) के वेतनमान में नौ वर्ष नियमित सेवा के बाद विधि प्रभाग के अनुशासन में विलय/प्रतिनियुक्ति के अधिकारी होंगे जो किसी प्रमुख पद पर प्राधिकरण में विधि प्रभाग के अनुशासन में समतुल्य पदों या वरिष्ठ विधि अधिकारी या समकक्ष पद पर वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 10750-16750) में चार वर्ष नियमित सेवा.	

7.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1 (2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्न ता के अधीन ।	श्रेणी-1	रु 50000- 160000	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	आवश्यक i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री। ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कानूनी प्रतिष्ठान में पांच साल का कार्यकारी अनुभव। वांछित: i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में स्नातकोत्तर डिग्री।	ए) आयु-नहीं (बी) शैक्षिक योग्यता- हैं (सी) अनुभव- नहीं।	2वर्ष	पदोन्नति , /अवशोषण प्रतिनियुक्ति दोनों , द्वारा द्वारा न होने से सीधी भर्ती द्वारा	विधि अधिकारी ग्रेड-1 से पदोन्नति (विद्यमान विधि अधिकारी (वर्ग-1) वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 9100-15100) में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ विधि अधिकारी ग्रेड-1 (विद्यमान विधि अधिकारी (वर्ग-1) वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 9100- 15100) में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ और वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 9100-15100) और 40000 - 140000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 8600-14600) में आठ वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा के साथ विधि प्रभाग के अनुशासन में पदोन्नति। समकक्ष पदों पर आसीन अधिकारियों या विधि अधिकारी ग्रेड-1 (मौजूदा विधि अधिकारी (वर्ग-1) या प्रमुख पत्तन प्राधिकरण में वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 9100-15100) के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ विधि प्रभाग के अनुशासन में समकक्ष पदों पर आसीन अधिकारियों से समामेलन।
----	---------------------------	--	----------	------------------------	-----	--	---	--	-------	---	--

8.	विधि अधिकारी ग्रेड-1	1 (2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी-1	50000 — 16000 0	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	आवश्यक i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री। वांछित: i) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कानूनी प्रतिष्ठान में 2 वर्ष का कार्यकारी अनुभव। ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में स्नातकोत्तर डिग्री	ए) आयु-नहीं (बी)शैक्षिक योग्यता-हाँ (सी) अनुभव- नहीं।	2वर्ष	(ए) 66.66% सीधी भर्ती द्वारा; और (बी) 33.33 % पदोन्नति द्वारा।	विधि अधिकारी ग्रेड- (विद्यमान विधि अधिकारी (वर्ग-) वेतनमान 40000 140000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 8600-14600) के साथ ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा के साथ) ग्रेड- के पदोन्नति। या श्रेणी 3 के कर्मचारियों से वेतनमान 36500-88700 (पूर्व संशोधित वेतनमान 6170-11975) के वेतनमान में कानूनी प्रभाग के अनुशासन में पांच साल की नियमित सेवा वाले ग्रेड में जहां वेतनमान 40000-140000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 8600-14600) के वेतनमान में वर्ग-2 के पद नहीं हैं।
----	----------------------	--	----------	--------------------------	-----	----------------------------------	--	---	-------	---	--

सामान्य प्रशासन विभाग 1-डिविजन के श्रेणी (हेच आर डी) बीपीए तहत कार्मिक और आई आर डिविजन/पदों के लिए भर्ती नियम ।

क्रसं.	पदों का नाम	पदों की सं	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयन पद है या गैर चयन	सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	उम्र, शैक्षणिक योग्यता, सीधे भर्ती के लिए निर्धारित अनुभव पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण के मामले में लागू होगा।	परिवीक्षा अवधि वर्षों) (में)	भर्ती की विधि चाहे वह सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है।	टिप्पणी
--------	-------------	------------	----------	--------------	----------------------	---	---	--	-------------------------------	---	--	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी	2- 2026) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी-1	Rs 80000 — 220000	चयन	42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	आवश्यक i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री। ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में कार्यकारी संवर्ग में बारह वर्ष का अनुभव। उपक्रम. वांछित: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण या संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या कानून में डिग्री।	ए) आयु-नहीं)शैक्षिक योग्यता- हाँ (सी) अनुभव- नहीं।	वर्ष 2	मिश्रित पद्धति द्वारा अवशोषण, अन्यथा अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा, और दोनों के विफल रहने पर सीधी भर्ती द्वारा	समग्र विधि के माध्यम से अवशोषण के लिए, प्रमुख पत्तन प्राधिकरण के ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतनमान 60000 - 180000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 13000-18250) के अनुरूप पदों पर आसीन अधिकारी या कार्मिक और औद्योगिक संबंध प्रभाग के संबंधित अनुशासन में कार्मिक अधिकारी या समकक्ष अधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारी, ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ प्रमुख पत्तन प्राधिकरण के कार्मिक और औद्योगिक संबंध प्रभाग के संबंधित अनुशासन में कार्मिक अधिकारी या समकक्ष अधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारी और वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 10750-16750) और 60000 - 180000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 13000-18250) के साथ कार्मिक और	

											औद्योगिक संबंध प्रभाग के संबंधित अनुशासन में सात वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा के साथ प्रमुख पत्तन प्राधिकरण के कार्मिक और औद्योगिक संबंध प्रभाग के संबंधित अनुशासन में कार्यरत अधिकारी पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति के लिए, कार्मिक और औद्योगिक संबंध प्रभाग के संबंधित अनुशासन में कार्मिक अधिकारी या समकक्ष पदों पर समान पदों पर या समकक्ष पदों पर पद धारण करने वाले अधिकारी 60000 रुपये के वेतनमान में (पूर्व संशोधित 13000-18250 रुपये) ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा वाले सरकारी/अर्ध सरकारी/पीएसयू या स्वायत्त निकाय पात्र होंगे। चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में समग्र ग्रेडिंग में बेंचमार्क "बहुत अच्छा" से कम नहीं होगा	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10	कार्मिक अधिकारी	2- 2026) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी-1	रु 60000-180000	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	अनिवार्य i) किसीमान्यताप्राप्तविश्वविद्यालयसेडिग्री ii) किसीऔद्योगिक/वाणिज्य/सरकारीउपक्रममेंसामान्यऔ,कार्मिकप्रशासन,द्योगिकसंबंधीकार्यकारीपद 12 वर्षका अनुभव वांछनीय- किसीमान्यताप्राप्तविश्वविद्यालयसेकार्मिकप्रबंधन/औद्योगिकश्रम/सामाजिककार्यकल्याणयासंबंधविषयोंमेंस्नात/कोत्तरडिग्रीडिप्लोमायाकानूनीमेंडिग्री	ए) आयु-नहीं बी)शैक्षिक योग्यता- हाँ (सी) अनुभव- नहीं।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा / विलयन प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनो में विफल होने से सीधी भर्ती द्वारा	उप कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ कल्याण अधिकारी से पदोन्नति/वेतनमान में रु. 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित रु. 10750-16750) कार्मिक और औद्योगिक संबंध प्रभाग के संबंधित अनुशासन में ग्रेड में चार साल की नियमित सेवा में विफल रहने वाले उप कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ कल्याण अधिकारी/ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा के साथ और रु. 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित रु. 10750-16750) और रु. 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित रु. 9100-15100) के वेतनमान में नौ साल की संयुक्त नियमित सेवा। प्रतिनियुक्ति/समामेलन कार्मिक और औद्योगिक संबंध प्रभाग के संबंधित अनुशासन में समकक्ष पदों पर आसीन
----	-----------------	---	----------	-----------------	-----	----------------------------------	---	---	--------	--	--

											अधिकारियों या उप कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ कल्याण अधिकारी/या समकक्ष पदों पर 50000 रुपये वेतनमान - 160000 रुपये (पूर्व संशोधित 10750-16750 रुपये) के साथ 4 वर्ष की नियमित सेवा के साथ एक प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण में ग्रेड में होगा।	
11.	उप कार्मिक अधिकारी	2 2026) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी-1	Rs 50000 - 160000	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरका री कार्यालय में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में कार्यकारी संवर्ग में पांच वर्ष का अनुभव। <u>वांछित:</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण या संबद्ध विषयों में	<u>आवश्यक</u> i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री। ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरका री कार्यालय में सामान्य प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में कार्यकारी संवर्ग में पांच वर्ष का अनुभव। <u>वांछित:</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण या संबद्ध विषयों में	ए) आयु-नहीं (बी) शैक्षिक योग्यता- हों (सी) अनुभव- नहीं।	2वर्ष	पदोन्नति द्वारा / /विलयन प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों में विफल होने से सीधी भर्ती द्वारा	सहायक कार्मिक अधिकारी ग्रेड-1 (सहायक कार्मिक अधिकारी (ग्रेड -1) का मौजूदा पदनाम और कल्याण अधिकारी (मौजूदा श्रम अधिकारी) वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 9100-15100) ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा के साथ पदोन्नति, जिसमें सहायक कार्मिक अधिकारी ग्रेड-1 (ग्रेड -1) का मौजूदा पदनाम और कल्याण अधिकारी (मौजूदा श्रम अधिकारी)	

							स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या कानून में डिग्री।				वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 9100-15100) ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा के साथ पदोन्नति और वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 9100-15100) और 40000 - 140000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 8600 - 14600) में कार्मिक और औद्योगिक संबंध प्रभाग के संबंधित अनुशासन में सहायक कार्मिक अधिकारी (ग्रेड-1) (वर्ग-1) का मौजूदा पदनाम और कल्याण अधिकारी (मौजूदा श्रम अधिकारी) या कार्मिक और औद्योगिक संबंध प्रभाग के संबंधित अनुशासन में समकक्ष पदों पर वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 9100-15100) ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा के साथ पदोन्नति।	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--

12	वरिष्ठ कल्याण अधिकारी	01 2026) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी-1	रु 50000- 160000	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	<u>आवश्यक</u> i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा; (iii) किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक या सरकारी उपक्रम में श्रम कल्याण अधिकारी या औद्योगिक संबंध अधिकारी के रूप में पांच साल का अनुभव; और (iv) स्थानीय भाषा का ज्ञान।	ए) आयु-नहीं बी) शैक्षिक योग्यता- हाँ (सी) अनुभव- नहीं।	2वर्ष	पदोन्नति द्वारा / विलयन प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों में विफल होने से सीधी भर्ती द्वारा	कल्याण अधिकारी (विधि अधिकारी के मौजूदा पदनाम) से पदोन्नति और सहायक कार्मिक अधिकारी ग्रेड-1 (सहायक कार्मिक अधिकारी (वर्ग-1) के मौजूदा पदनाम) वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 9100- 15100) में पांच साल की नियमित सेवा के साथ कल्याण अधिकारी (विधि अधिकारी के मौजूदा पदनाम) में ग्रेड में असफल सहायक कार्मिक अधिकारी ग्रेड-1 (कार्मिक अधिकारी (वर्ग-1) का मौजूदा पदनाम वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 9100- 15100) ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा और वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान
----	-----------------------------	---	----------	------------------------	-----	---	---	--	-------	--	---

											9100-15100) और 40000 - 140000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 8600-14600) के साथ कार्मिक और औद्योगिक संबंध प्रभाग के संबंधित अनुशासन में आठ साल की संयुक्त नियमित सेवा प्रतिनिधिमंडल/समामेलन समकक्ष पदों पर आसीन अधिकारियों या कल्याण अधिकारी (विधि अधिकारी का मौजूदा पद) सहायक कार्मिक अधिकारी ग्रेड-1 (सहायक कार्मिक अधिकारी (वर्ग-1) या संबंधित कार्मिक और औद्योगिक संबंध प्रभाग के अनुशासन में समकक्ष पदों का मौजूदा पद) वेतनमान 50000-160000 (प्रमुख पत्तन प्राधिकरण में पांच साल की नियमित सेवा के साथ पूर्व संशोधित वेतनमान 9100-15100) के वेतनमान पर होगा।	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

13	सहायक कार्मिक अधिकारी।	2 2026) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी-1	रु 50000- 160000	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	ए) <u>आवश्यक</u> i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री। बी) <u>वांछित</u> : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/सामाजिक कार्य/श्रम कल्याण संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या कानून में डिग्री। 2. किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरका री उपक्रम में सामान्य प्रशासन/कार्मिक/औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में कार्यकारी संवर्ग में 2 वर्ष का अनुभव।	ए) आयु-नहीं बी) शैक्षिक योग्यता- हाँ (सी) अनुभव- नहीं।	2 वर्ष	ए) 66.66% सीधी भर्ती द्वारा; और (बी) 33.33 % पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति- (ए) सहायक कार्मिक अधिकारी ग्रेड द्वितीय से वेतनमान रु. 40000 - 140000 के स्केल में तीन साल की नियमित सेवा में पदोन्नति जिसमें ग्रेड विफल हो गया; (बी) कार्मिक और औद्योगिक संबंध प्रभाग के संबंधित अनुशासन में वेतनमान 40000- 140000 के वेतनमान में वर्ग-2 के पद नहीं हैं, वहां पांच साल की नियमित सेवा के साथ वेतनमान 36500- 88700 के वर्ग-3 के कर्मचारियों से।	
14.	कल्याण अधिकारी	3 2026) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी-1	रु 50000- 160000	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	<u>अनिवार्य</u> i) किसीमान्यताप्राप्तविश्वविद्या लयसेडिग्री ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक	ए) आयु-नहीं (बी) शैक्षिक योग्यता- हाँ (सी) अनुभव- नहीं।	2	) 66.66% सीधी भर्ती द्वारा; और (b) 33.33 % पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति- (ए) सहायक कल्याण अधिकारी से वेतनमान में पदोन्नति रु. 40000 - 140000 तीन साल की नियमित सेवा के साथ ग्रेड में विफल	

							विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा iii) स्थानीय भाषा का ज्ञान बी) वांछनीय कीसी औद्योगिकसरकारी /वाणिज्य/ उपक्रम में श्रम कल्याण औद्योगिक संबंध /अधिकारी अधिकारी के रूप में 2 वर्ष का अनुभव				होना; (बी) कार्मिक और औद्योगिक संबंध प्रभाग के संबंधित अनुशासन में वेतनमान 36500-88700 के वेतनमान में पांच साल की नियमित सेवा के साथ वर्ग-3 के कर्मचारियों से जहां उस अनुशासन में वेतनमान 40000-140000 में वर्ग-2 के पद नहीं हैं। नोट: पदोन्नति योग्य अधिकारियों की लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के आधार पर होगी।	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

निजी सचिव के वर्ग-1 पदों के लिए भर्ती नियम

क्रम सं	पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	क्या चयन या गैर-चयन	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा वर्षों (में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	उम्र (ए) शैक्षिक (बी) योग्यता सीधी भर्ती (सी) के लिए अनुभव पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की विधि चाहे) सीधी भर्ती द्वारा या /आमेलन/पदोन्नति ।(प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नतिप्रतिनियुक्ति के /आमेलन/ मामले में जिन ग्रेडों से इसे बनाया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	अध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव (श्रेणी-1 पोर्ट)।	1 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी 1-	60000 — 180000	चयन	40 से अधिक नहीं होनी चाहिए।	आवश्यक: I. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री. II क्रमशः 40/120 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ स्टेनोग्राफी और टाइपराइटिंग में दक्षता। III. कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान. IV. औद्योगिक सरकारी/वाणिज्यिक/उपक्रम में पीए के /स्टेनोग्राफर	ए) आयु-नहीं (बी)शैक्षिक योग्यता- हाँ (सी) अनुभव- नहीं।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, या . प्रतिनियुक्ति द्वारा, न करने पर सीधी भर्ती द्वारा	निजी सचिव से अध्यक्ष के पद पर 50000-160000 रुपये (पूर्व संशोधित 10750-16750 रुपये) के वेतनमान में पदोन्नति, जिसमें ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा शामिल न हो, जिसके अभाव में अध्यक्ष के निजी सचिव के पद पर 50000-160000 रुपये (पूर्व संशोधित 10750-16750 रुपये) के वेतनमान में दो वर्ष की नियमित सेवा और 50000-160000 रुपये (पूर्व संशोधित 10750-16750 रुपये) और 50000-160000 रुपये (पूर्व संशोधित 9100-15100 रुपये) के वेतनमान में नौ वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा। प्रमुख प्राधिकरणों में समान पद या 50000 – 160000 रुपये (पूर्व-संशोधित 10750-16750 रुपये) के	

							वर्ष का 12 रूप में अनुभव।				वेतनमान में निजी सचिव / वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर चार वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति/आमेलन।	
16	अध्यक्ष के निजी सचिव (श्रेणी-1 बंदरगाह।	1 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी 1-	- 50000 160000 रुपये	चयन	35 से अधिक नहीं होनी चाहिए।	आवश्यक: । किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री. ii 40/120 क्रमशः . शब्द प्रति मिनट की गति के साथ स्टेनोग्राफी और टाइपराइटिंग में दक्षता। iii. कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान. iv. औद्योगिक सरकारी/वाणिज्यिक/ उपक्रम में पीए के /स्टेनोग्राफर साल का 8 रूप में अनुभव।	क)नहीं ख)हाँ ग)नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, या . प्रतिनियुक्तिद्वारा, न करने पर सीधी भर्ती द्वारा	निजी सचिव से उप अध्यक्ष/ निजी सचिव से अध्यक्ष के पद पर 50000-160000 रुपये (पूर्व संशोधित 9100-15100 रुपये) के वेतनमान में पदोन्नति, जिसमें पांच साल की नियमित सेवा शामिल न हो, जिसके अभाव में उप अध्यक्ष के निजी सचिव के पद पर 50000-160000 रुपये (पूर्व संशोधित 9100-15100 रुपये) के वेतनमान में दो साल की नियमित सेवा और 50000-160000 रुपये (पूर्व संशोधित 9100-15100 रुपये) और 40000-140000 रुपये (पूर्व संशोधित 8600-14600 रुपये) के वेतनमान में आठ साल की संयुक्त नियमित सेवा। किसी मेजर पोर्ट में समान पद या फीडर पद पर पांच साल की नियमित सेवा रखने वाले अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति/ अवशोषण।	
17	उप . अध्यक्ष के निजी सचिव (कैटगिरी-I)	1 2026) *कार्य भार के आधार	श्रेणी 1-	50000 - 160000 रुपये	चयन	30 से अधिक नहीं होनी चाहिए।	<u>आवश्यक:</u> । किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री. ii क्रमशः 40/120	(क) आयु-नहीं (ख) शैक्षणिक योग्यता-हाँ (ग) अनुभव-जैसा कि कॉलम (12)	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, या . प्रतिनियुक्ति द्वारा, न करने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति :- व्यक्तिगत सहायक से विभाग प्रमुख या उपाध्यक्ष के व्यक्तिगत सचिव के पद पर पदोन्नति वेतनमान में रु. 40000 - 140000 के साथ ग्रेड में	

	पोर्ट्स)	पर भिन्नता के अधीन।					शब्द प्रति मिनट की गति के साथ स्टेनोग्राफी और टेकन में दक्षता। iii. कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान. iv. औद्योगिक सरकारी/वाणिज्यिक/ उपक्रम में पीए के /स्टेनोग्राफर वर्ष का 5 रूप में अनुभव।	में निर्दिष्ट है।			तीन साल की नियमित सेवा। अवशोषण पर प्रतिनियुक्ति: प्रमुख पत्तन प्राधिकरणों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (ii) प्रमुख बंदरगाह में ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा के साथ वेतनमान 40000 - 140000 के वेतनमान में व्यक्तिगत सहायक या व्यक्तिगत सचिव का पद धारण करना; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	
--	----------	------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	---	--

सिविल इंजीनियरिंग विभाग/वीपीए में श्रेणी-1 के पदों के लिए भर्ती नियम

क्रसं.	पदों का नाम	पदों की सं	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयन पद है या गैर चयन	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	उम्र, शैक्षणिक योग्यता, सीधे भर्ती के लिए निर्धारित अनुभव पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण के मामले में लागू होगा।	परिवीक्षा अवधि वर्षों) (में)	भर्ती की विधि चाहे वह सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	मुख्य अभियंता केटगिरी -1 पोर्ट)	01 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी-1 विभागाध्यक्ष	रु 120000 - 280000	चयन	45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष। (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम क्षेत्र में पत्तन और समुद्री संरचनाओं की योजना/निर्माण/डिज़ाइन/रखरखाव में कार्यकारी संवर्ग में 17 वर्ष का अनुभव।	(क) आयु- नहीं (ख) शैक्षणिक योग्यता- हाँ (ग) अनुभव- नहीं।	लागू नहीं है	समग्र विधि की माध्यम सं विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों में विफल होने से सीधी भर्ती द्वारा	समग्र विधि के माध्यम से अवशोषण के लिए, श्रेणी-2 बंदरगाहों में समकक्ष पदों पर या मुख्य अभियंता के पद पर दो साल की नियमित सेवा वाले अधिकारी या वेतनमान रु. 90000-240000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 17500-22300) के वेतनमान में चार साल की नियमित सेवा वाले अधिकारी या वेतनमान रु. 80000-220000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 16000-20800) के वेतनमान में पांच साल की नियमित सेवा वाले अधिकारी सिविल इंजीनियरिंग विभाग में एक	

											प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण में पद धारण करने के लिए पात्र हैं। प्रतिनियुक्ति के लिए, सिविल इंजीनियरिंग विभाग में समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारी या मुख्य अभियंता और समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारी वेतनमान में 100000-260000 रुपये (पूर्व संशोधित 18500-23900 रुपये) के साथ दो साल की नियमित सेवा या सिविल इंजीनियरिंग विभाग में उप मुख्य अभियंता और समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारी वेतनमान में 80000-220000 रुपये (पूर्व संशोधित 16000-20800 रुपये) और उससे अधिक के साथ पांच साल का नियमित अनुभव सरकारी/अर्ध सरकारी/पीएसयू या स्वायत्त निकायों में कार्यरत हैं। चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में समग्र ग्रेडिंग में बेंचमार्क "बहुत अच्छा" से कम नहीं होगा।	
19	उप मुख्य अभियंता (सिविल)	03 2026) *कार्य भार के आधार	श्रेणी-I	रु 80000 - 22000	चयन	42 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए।	ए) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष। (ii) किसी	(क) आयु- नहीं (ख) शैक्षणिक योग्यता- हाँ (ग) अनुभव- नहीं।	लागू नहीं है	समग्र विधि की माध्यम सं विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों में विफल होने से	संयोजित विधि के माध्यम से अवशोषण के लिए, प्रमुख पत्तन प्राधिकरण में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित अनुशासन में	

		पर भिन्न ता के अधीन ।		0			औद्योगिक/वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में बंदरगाह और समुद्री संरचना की योजना/निर्माण/डिजाइ न/रखरखाव में कार्यकारी संवर्ग में 12 वर्ष का अनुभव।			सीधी भर्ती द्वारा	समकक्ष पदों या अधीक्षण अभियंता और समकक्ष पदों पर वेतनमान 60000 - 180000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 13000 - 18250) के साथ ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा या प्रमुख पत्तन प्राधिकरण में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित अनुशासन में अधीक्षण अभियंता और समकक्ष पदों पर वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 10750-16750) और 60000 - 180000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 13000-18250) के साथ ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा और सिविल इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित अनुशासन में सात साल की संयुक्त नियमित सेवा के साथ प्रमुख पत्तन प्राधिकरण में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित अनुशासन में समकक्ष पदों पर अधिकारी पात्र हैं। प्रतिनियुक्ति के लिए सिविल इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित अनुशासन में समान पदों पर आसीन अधिकारी या अधीक्षण अभियंता के पद पर आसीन अधिकारी और समकक्ष पदों पर रु. 60000 - 180000 (पूर्व संशोधित रु. 13000- 18250 तीन साल नियमित सेवा के साथ ग्रेड में	
--	--	-----------------------------------	--	---	--	--	---	--	--	-------------------	--	--

											सरकारी/पीएसयू/स्वायत्त निकायों में) के वेतनमान पर आसीन अधिकारी पात्र हैं। चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में समग्र ग्रेडिंग में बेंचमार्क "बहुत अच्छा" से कम नहीं होगा	
20.	अधीक्षक अभियंता (सिविल)	06 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी-I	रु 60000 – 180000	चयन	40 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए।	<u>आवश्यक:-</u> <u>(i)</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष। <u>(ii)</u> किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में पत्तन और समुद्री संरचनाओं की योजना/निर्माण/डिजाइन /रखरखाव में कार्यकारी संवर्ग में 09 वर्ष का अनुभव।	(क) आयु- नहीं (ख) शैक्षणिक योग्यता- नहीं। नोट: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अनिवार्य है; (ग) अनुभव- कॉलम (12) में निर्दिष्ट अनुसार।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा नहीं होता है तो आमेलन/प्रतिनि युक्ति द्वारा नहीं होता है तो सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति- (ए)कार्यकारी अभियंता (सिविल) से वेतनमान रु. 50000 - 160000 के वेतनमान में चार साल की नियमित सेवा में पदोन्नति जो असफल हो गई; (बी) कार्यकारी अभियंता (सिविल) सिविल इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित अनुशासन में वेतनमान 50000-160000 के वेतनमान में दो साल की नियमित सेवा और वेतनमान 50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) और 50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) में नौ साल की संयुक्त नियमित सेवा के साथ। अवशोषण पर अवशोषण पर प्रतिनियुक्ति: मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ के	

										अधिकारी, - ए) (i) जो अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समान पद या समकक्ष पद धारण कर रहे हों; या प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (ii)सिविल इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित अनुशासन में ग्रेड में चार साल की नियमित सेवा के साथ 50,000-160,000 रुपये के वेतनमान में कार्यकारी अभियंता (सिविल) का पद धारण किया हो; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।		
21	सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल)	12 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी-I	रु 50000 - 160000	चयन	30वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए।	अनिवार्य :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष। वांछनीय:- किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में पत्तन और समुद्री संरचनाओं की योजना/निर्माण/डिजाइन	क)नहीं ख)हां हालाँकि, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आवश्यक है। । . (ग) अनुभव-नहीं	2वर्ष	ए) 66.66% सीधी भर्ती द्वारा; और (बी) 33.33 % पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति प्रोत्साहन: (ए) सहायक अभियंता (सिविल) से वेतनमान रु. 40000 - 140000 के स्केल में तीन साल की नियमित सेवा में पदोन्नति जो असफल हो गई; (बी) सिविल इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित अनुशासन में वेतनमान 36500-88700 के वेतनमान में पांच साल की नियमित सेवा के साथ वर्ग-	

							/रखरखाव में कार्यकारी संवर्ग में दो वर्ष का अनुभव।				3 के कर्मचारियों से, जहां उस अनुशासन में वेतनमान 40000-140000 में वर्ग-2 के पद नहीं हैं।	
22	अधिशि सी अभियंता (सिविल)	09 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी-1	रु50000 - 160000	चयन	35 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए।	अतिवार्य (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष। (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में पोर्ट और समुद्री संरचनाओं की योजना/निर्माण/डिजाइन /रखरखाव में कार्यकारी संवर्ग में 05 वर्ष का अनुभव।	क)नहीं ख)हां हालाँकि, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आवश्यक है। ग)अनुभव - नहीं	2 साल	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों में न होने से सीधी भर्ती द्वारा	सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) से 50000 – 160000 रुपये (पूर्व संशोधित 9100 – 15100 रुपये) के वेतनमान में पदोन्नति, ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ, जिसके न होने पर सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) 50000 – 160000 रुपये (पूर्व संशोधित 9100 – 15100 रुपये) के वेतनमान में, ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवा के साथ और सिविल इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित अनुशासन में 50000 – 160000 रुपये (पूर्व संशोधित 9100 – 15100 रुपये) और 40000 – 140000 रुपये (पूर्व संशोधित 8600-14600 रुपये) के वेतनमान में 8 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा के साथ करने वाले अर्हक है। आमेलन / प्रतिनियुक्ति उन अधिकारियों की होगी जो किसी प्रमुख पत्तन में ऊपर	

											उल्लिखित अनुभव के साथ अनुरूप पद या फीडर पद धारण करते हैं।	
23	उप संपदा प्रबंधक	01 2026) *कार्यभा के आधार पर भिन्न के अधीन	श्रेणी-1	रु 60000 - 180000	चयन	40 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवश्यक डिग्री के साथ आर्किटेक्चर/टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या सर्वेयर (इंडिया) की कॉर्पोरेट सदस्यता। (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में संपदा प्रबंधन मूल्यंकनमें या भूमि अभिलेखों में 11 वर्ष का कार्यकारी अनुभव। <u>वांछनीय:</u> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री।	क)नहीं ख)हां हालाँकि, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था न से डिप्लोमा आवश्यक है . ग) अनुभव-नहीं	2 साल	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों में न होने से सीधी भर्ती द्वारा	वेतनमान 50000 - 160000 रुपये (पूर्व संशोधित 10750-16750 रुपये) में वरिष्ठ सहायक संपदा प्रबंधक से पदोन्नति, ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा के साथ, जिसके अभाव में ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवा के साथ 50000 - 160000 रुपये (पूर्व संशोधित 10750-16750 रुपये) के वेतनमान में वरिष्ठ सहायक संपदा प्रबंधक (*) और संपदा प्रभाग के अनुशासन में 50000 - 160000 रुपये (पूर्व संशोधित 10750-16750 रुपये) और 50000 - 160000 रुपये (पूर्व संशोधित 9100-15100 रुपये) के वेतनमान में 9 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा के साथ पदोन्नति। विलयन/प्रतिनियुक्ति अधिकारियों की होगी जो संपदा प्रभाग के अनुशासन में सदृश पद या वरिष्ठ सहायक संपदा प्रबंधक या समकक्ष पद धारण किए हों और जिनका वेतनमान 50000-160000 रुपये	

										(पूर्व संशोधित 10750-16750 रुपये) हो और जिन्होंने महा पत्तन प्राधिकरण में उस ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा की हो।	
24	वरिष्ठ सहायक संपदा प्रबंधक	01 2026) *कार्यभार के आधार पर भिन्नत के अधीन	श्रेणी-I	रु 50000 – 160000	चयन	35 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए।	<u>आवश्यक</u> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवश्यक डिग्री के साथ आर्किटेक्चर/टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या सर्वेयर (इंडिया) की कॉर्पोरेट सदस्यता। (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में संपदा प्रबंधन मूल्यंकनमें या भूमि अभिलेखों में 7 वर्ष का कार्यकारी अनुभव। वांछनीय: (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री।	क)नहीं ख)हां हालाँकि, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था न से डिप्लोमा आवश्यक है . ग) अनुभव- नहीं	2	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों में न होने से सीधी भर्ती द्वारा	सहायक संपदा प्रबंधक ग्रेड-I से 50000 – 160000 रुपये (पूर्व संशोधित 9100 – 15100 रुपये) के वेतनमान में पदोन्नति, ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ, जिसके अभाव में सहायक संपदा प्रबंधक ग्रेड-I को 50000 – 160000 रुपये (पूर्व संशोधित 9100 – 15100 रुपये) के वेतनमान में ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवा और संपदा प्रभाग के संबंधित अनुशासन में 50000 – 160000 रुपये (पूर्व संशोधित 9100 – 15100 रुपये) और 40000 – 140000 रुपये (पूर्व संशोधित 8600-14600 रुपये) के वेतनमान में 8 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा के साथ पदोन्नति। विलयन/प्रतिनियुक्ति ऐसे अधिकारियों की होगी जो सहायक संपदा प्रबंधक ग्रेड-I के सदृश पद धारण करते

											हों या संपदा प्रभाग के अनुशासन में सहायक संपदा प्रबंधक ग्रेड-1 या समकक्ष पदों से पदोन्नति प्राप्त की हो तथा वेतनमान 50000-160000 रुपये (पूर्व संशोधित 9100-15100 रुपये) में हों तथा उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो, वे पात्र होंगे।	
25	सहायक संपदा प्रबंधक ग्रेड-1	1 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन	श्रेणी -I	रु 50000 — 160000	चयन	30 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए।	आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवश्यक डिग्री के साथ आर्किटेक्चर/टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या सर्वेयर (इंडिया) की कॉर्पोरेट सदस्यता। <u>वांछनीय:</u> (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री। (ii) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में संपदा प्रबंधन मूल्यंकनमें या भूमि अभिलेखों में 2 वर्ष का कार्यकारी अनुभव।	क)नहीं ख)हां हालाँकि, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था न से डिप्लोमा आवश्यक है . ग) नहीं	2 साल	ए) 66.66% सीधी भर्ती द्वारा; और (बी) 33.33 % पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति:- ग्रेड-3 के कर्मचारियों में से ग्रेड-3 के वेतनमान में 36500-88700 के वेतनमान में पांच साल की नियमित सेवा के साथ ग्रेड -2 के वेतनमान में कोई पद नहीं होने पर ग्रेड -3 के वेतनमान में 40000-140000 के वेतनमान में पांच साल की नियमित सेवा के साथ ग्रेड -2 के वेतनमान में 40000-140000 के वेतनमान में तीन साल की नियमित सेवा के साथ सहायक संपदा प्रबंधक ग्रेड-2 में पदोन्नति। ।	।

चिकित्सा विभाग/वीपीए में श्रेणी -1 के पदों के लिए भर्ती नियम

क्रसं.	पदों का नाम	पदों की सं	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयन पद है या गैर चयन	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	उच्च, शैक्षणिक योग्यता, सीधे भर्ती के लिए निर्धारित अनुभव पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण के मामले में लागू होगा।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती की विधि चाहे वह सीधी भर्ती द्वारा हो या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाना है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (केटगिरी - 1 पोर्ट)	01 (2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन	श्रेणी-I	रु 120000 - 280000	चयन	50 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए।	आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की डिग्री; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री; और (iii) किसी अस्पताल में योग्यता के बाद सोलह वर्ष का अनुभव।	क) नहीं ख) हां ग) नहीं	लागू नहीं है	समग्र पद्धति से अवशोषण द्वारा, या प्रतिनियुक्ति द्वारा और न दोनों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	संयोजित विधि के माध्यम से अवशोषण के लिए: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (ii) श्रेणी-2 बंदरगाहों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारी, चिकित्सा विभाग में ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा के साथ; या (iii) चिकित्सा विभाग में चार साल की नियमित सेवा के साथ 90000-240000 रुपये	

											के वेतनमान में पद धारण करने वाले अधिकारी; और प्रतिनियुक्ति: सरकार/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधिकारी, - (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (ii) चिकित्सा विभाग में ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा के साथ वेतनमान में 100000 - 260000 के पैमाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर अधिकारी; या (iii) वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी या समकक्ष विशेषज्ञ पदों पर पद धारण करने वाले अधिकारी चिकित्सा विभाग में ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा के साथ 80000 - 220000 के वेतनमान में; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	
27	वरिष्ठ उप चिकित्सा	04 2026) *कार्य	श्रेणी-1	रु 80000 —	चयन	45 वर्ष अधिक नहीं होनी	आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से	(क) आयु- नहीं (ख) शैक्षणिक योग्यता- हाँ	लागू नहीं है	मिश्रित पद्धति द्वारा विलयन अथवा	संयोजित विधि के माध्यम से अवशोषण के लिए: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण में	

	अधिकारी	भार के आधार पर भिन्नता के अधीन		220000		चाहिए।	एम.बी.बी.एस. की डिग्री; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री या डिप्लोमा; और (iii) स्नातकोत्तर डिग्री धारकों के मामले में दस वर्ष का और स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारकों के मामले में बारह वर्ष का योग्यता-प्राप्ति के बाद का अनुभव किसी प्रतिष्ठित अस्पताल में विशेषज्ञता के प्रासंगिक क्षेत्र में।	(ग) अनुभव हों		सरकारी संगठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा न होने से सीधा भर्ती ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा के साथ वेतनमान 60000 - 180000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 13000 - 18250) के वेतनमान में चिकित्सा विभाग में अनुरूप पदों पर या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) या समकक्ष विशेषज्ञ पदों पर अधिकारी, या ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा के साथ चिकित्सा विभाग में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) या समकक्ष विशेषज्ञ पद और ग्रेड में सात साल की संयुक्त नियमित सेवा के साथ वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 10750 - 16750) और प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण में चिकित्सा विभाग के विशेषज्ञ संवर्ग में वेतनमान 60000 - 180000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 13000 - 18250) के अधिकारी पात्र हैं। प्रतिनियुक्ति के लिए, चिकित्सा विभाग में समान पदों पर आसीन अधिकारी या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) या समकक्ष विशेषज्ञ पदों पर वेतनमान 60000-180000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 13000-18250) पर आसीन अधिकारी तीन साल की	
--	---------	--------------------------------	--	--------	--	--------	--	---------------	--	---	--

											नियमित सेवा वाले सरकारी/अर्ध-सरकारी/पीएसयू या स्वायत्त निकायों में पद धारण करने के लिए पात्र हैं। चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में समग्र ग्रेडिंग में बेंचमार्क "बहुत अच्छा" से कम नहीं होगा	
28	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ)	05 2026) *कार्य भार के आधार पर भिक्षता के अधीन	श्रेणी-1	रु 60000 — 180000	चयन	42 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए।	आवश्यक: आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की डिग्री; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री या डिप्लोमा; और (iii) स्नातकोत्तर डिग्री धारकों के मामले में सात वर्ष का योग्यता-पश्चात अनुभव और स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारकों के मामले में किसी प्रतिष्ठित अस्पताल में विशेषज्ञता के प्रासंगिक क्षेत्र में नौ वर्ष का अनुभव।	क) आयु- नहीं (ख) शैक्षणिक योग्यता- हाँ; (ग) अनुभव- जैसा कि कॉलम (12) में निर्दिष्ट है।	2 साल	पदोन्नति द्वारा अथवा विलयन/प्रति नियुक्ति द्वारा दोनों से न होने से सीधी भर्ती	पदोन्नति- (ए) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) से वेतनमान 50000-160000 के वेतनमान में चार साल की नियमित सेवा में पदोन्नति जिसमें असफल होने पर; (बी) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ड्यूटी) या संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर योग्यता के साथ रेजीडेंट मेडिकल ऑफिसर वेतनमान 50000-160000 ग्रेड में चार साल की नियमित सेवा के साथ। अवशोषण पर प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों या समकक्ष पदों पर धारण करना; या	

											(ii) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ड्यूटी) या चिकित्सा विभाग में ग्रेड में चार साल की नियमित सेवा के साथ वेतनमान रु. 50000 - 160000 के पैमाने पर रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर का पद धारण करना; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	
29	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सामान्य सेवा)	03 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन	श्रेणी-I	रु 60000 - 180000	चयन	42 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए।	<u>अनिवार्य</u> i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस.डिग्री। या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (डेंटल) के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.डी.एस. डिग्री। (ii) 1 वर्ष की इंटर्नशिप पूरी करने के बाद अस्पताल में 09 वर्ष का अनुभव <u>वांछनीय:</u> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री।	क) आयु- नहीं (ख) शैक्षणिक योग्यता- हाँ (ग) अनुभव- जैसा कि कॉलम (12) में निर्दिष्ट है।	2 साल	पदोन्नति द्वारा अथवा विलयन/प्रति नियुक्ति द्वारा दोनों से न होने से सीधी भर्ती	पदोन्नति- (ए) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ड्यूटी) या रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर से वेतनमान 50000-160000 के वेतनमान में चार साल की नियमित सेवा में ग्रेड में असफल होने पर पदोन्नति; (बी) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ड्यूटी) या दो साल की नियमित सेवा के साथ रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, वेतनमान रु. 50000 - 160000 और नौ साल की संयुक्त नियमित सेवा। अवशोषण पर प्रतिनियुक्ति:	

											प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (iv)चिकित्सा विभाग में चार साल की नियमित सेवा के साथ वेतनमान रु. 50000 - 160000 के पैमाने पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ड्यूटी) या रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर का पद धारण करना; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	
30	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ)	07 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन	श्रेणी-I	रु 50000 - 160000	लागू नहीं है	40 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए।	आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की डिग्री या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (दंत) के लिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.डी.एस. की डिग्री; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विशेषता में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री या डिप्लोमा; और (iii) स्नातकोत्तर डिग्री धारक के मामले में तीन वर्ष का और	लागू नहीं है	2 साल	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं है।	प्रथमतः प्रासंगिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा,

							स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक के मामले में पांच वर्ष का योग्यता-पश्चात अनुभव, किसी प्रतिष्ठित अस्पताल में विशेषज्ञता के प्रासंगिक क्षेत्र में।					अन्यथा पद खुले विज्ञापन द्वारा भरा जाएगा
31	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामान्य सेवा)	06 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन	श्रेणी -I	रु 50000 - 160000	चयन	40 वर्ष	<u>अनिवार्य</u> i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस.डिग्री या मेडिकल ऑफिसर (डेंटल) के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.डी.एस. डिग्री। (ii) 1 वर्ष की इंटर्नशिप पूरी करने के बाद अस्पताल में 05 वर्ष का अनुभव। <u>वांछनीय</u>: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री	क) आयु- नहीं (ख) शैक्षणिक योग्यता- हाँ (ग) अनुभव- जैसा कि कॉलम (12) में निर्दिष्ट है।	2 साल	पदोन्नति द्वारा अथवा विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनो से न होने से सीधी भर्ती	पदोन्नति: 50000 रुपये - 160000 रुपये (पूर्व संशोधित 9100-15100 रुपये) के वेतनमान में पांच साल की नियमित सेवा के साथ चिकित्सा अधिकारी। अवशोषण पर प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - ए)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (ii) चिकित्सा विभाग में ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा के साथ वेतनमान रु. 50000 - 160000 के वेतनमान में	

											चिकित्सा अधिकारी का पद धारण करना; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	
32	चिकित्सा अधिकारी	13 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन	श्रेणी-1	रु 50000 — 160000	लागू नहीं है	35 वर्ष	आवश्यक: - i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस.डिग्री या मेडिकल ऑफिसर (डेंटल) के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.डी.एस .डिग्री। (ii) 1 वर्ष की इंटर्नशिप पूरी करने के बाद किसी अस्पताल में 01 वर्ष का अनुभव। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर।मेडिकल डिग्री ।	लागू नहीं है	2 साल	सीधी भर्ती	लागू नहीं है	

एम एवं ईई विभाग- वीपीए में प्रथम श्रेणी/1 पदों के लिए भर्ती नियम

क्रम सं	पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	क्या चयन या गैर-चयन	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	उम्र (ए) शैक्षिक (बी) योग्यता सीधी भर्ती (सी) के लिए अनुभव /पदोन्नति /आमेलन प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की विधि चाहे) सीधी भर्ती द्वारा या /पदोन्नति /आमेलन प्रतिनियुक्ति ।(द्वारा	पदोन्नतिप्रतिनियुक्ति के/आमेलन/ मामले में जिन ग्रेडों से इसे बनाया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	मुख्य यांत्रिक अभियंता केटगिरी) 1-पोर्ट	01 (2026) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी 1-	रु 120000 --28000	चयन	वर्षों 45 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए	आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या नेवल आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री या समकक्ष अथवा मर्चेट शिपिंग एक्ट, 1958 के तहत जारी एमओटी प्रथम श्रेणी का मोटर सर्टिफिकेट; और (ii) मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या मरीन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कार्यों से	ए)नहीं (बी)शैक्षिक योग्यता-हाँ; (सी) अनुभव-जैसा कि कॉलम (12) में निर्दिष्ट है।	लागू नहीं	मिश्रित पद्धति से अवशोषण द्वारा, या प्रतिनियुक्ति द्वारा और न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	अवशोषण के आधार पर स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (ii) यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग विभाग में ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा के साथ श्रेणी II बंदरगाहों में मुख्य यांत्रिक इंजीनियर के पद पर अधिकारी; या (iii) यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग विभाग में ग्रेड में चार साल की नियमित सेवा के साथ 90000-240000 रुपये के वेतन के पैमाने पर पद धारण	

							निपटने में प्रबंधकीय क्षमता में सत्रह वर्ष का अनुभव, जिसमें से दस वर्ष का अनुभव किसी भी प्रमुख पोर्ट अथॉरिटी या औद्योगिक या वाणिज्यिक या सरकारी उपक्रम में कार्गो हैंडलिंग उपकरण या इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन या जहाज की मरम्मत के रखरखाव का कार्य करने वाली वर्कशॉप में होना चाहिए।+				करने वाले अधिकारी; या (iv) मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में पांच साल की नियमित सेवा के साथ वेतनमान 80000-220000 के पैमाने पर उप मुख्य मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर अधिकारी। प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों या केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (ii) यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग विभाग में दो साल की नियमित सेवा के साथ वेतनमान में 100000-260000 रुपये के वेतनमान में मुख्य यांत्रिक इंजीनियर के पद पर अधिकारी; या (i) उप मुख्य यांत्रिक अभियंता के पद पर कार्यरत अधिकारी, यांत्रिक और विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतनमान रु. 80000 - 220000 के स्केल में; और	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--

											(बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले। नोट: चयन योग्यता के आधार पर है जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में समग्र ग्रेडिंग में बेंचमार्क "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होगा	
34	उप मुख्य यांत्रिक अभियंता	02 2026) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी 1-	- 80000 220000	चयन	42वर्षों वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए	आवश्यक-: i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयसंस्थान से / /इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष। ii) किसी औद्योगिक सरकारी /वाणिज्यिक/ उपक्रम में कार्यकारी संवर्ग में प्रासंगिक अनुशासन में वर्ष का अनुभव। 12	ए)नहीं (बी)शैक्षिक योग्यता-हाँ; (सी) अनुभव- जैसा कि कॉलम (12) में निर्दिष्ट है। ^o	लागू नहीं	मिश्रित पद्धति से अवशोषण द्वारा, या प्रतिनियुक्ति द्वारा और न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	संयोजित विधि के माध्यम से अवशोषण: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (ii) सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर या समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारी, जो यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित अनुशासन में ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा के साथ वेतनमान रु. 60000 - 180000 के हैं; या (iii) सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर या समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारी, ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा और संबंधित अनुशासन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग	

											में वेतनमान 50000-160000 और 60000-180000 में सात वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा। प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या सरकारी कंपनियों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (i) मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के संबंधित अनुशासन में ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा के साथ वेतनमान रु. 60000 - 180000 के पैमाने पर अधीक्षण अभियंता या समकक्ष पदों पर आसीन अधिकारी; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले। प्रतिभा के आधार पर चयन किया जाएगा,।	
35	अधीक्षण अभियंता / मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स	06 2026) *कार्यभार के आधार	श्रेणी 1-	रु 60000 .- 180000	चयन	40 वर्ष से अधिक आयु नहीं	आवश्यक:- i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयसंस्थान से / इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल	(ए)(क) आयु- नहीं; (ख) शैक्षणिक योग्यता- नहीं,	वर्षों2	पदोन्नति द्वारा, न होने पर प्रतिनियुक्ति	पदोन्नति: (ए) कार्यकारी अभियंता (यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार) से	

	और कम्यूनिकेशन)	पर भित्तता के अधीन।				होनी चाहिए	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष। ii) किसी औद्योगिक सरकारी /वाणिज्यिक/ उपक्रम में कार्यकारी संवर्ग में प्रासंगिक अनुशासन में वर्ष का अनुभव। 09	हालाँकि, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना आवश्यक है। (ग) अनुभव- जैसा कि कॉलम (12) में निर्दिष्ट है। ^o		द्वारा, न करने पर सीधी भर्ती द्वारा	वेतनमान रु. 50000 - 160000 के साथ चार साल की नियमित सेवा में ग्रेड में विफल होने के साथ; (बी) कार्यकारी अभियंता (यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार) वेतनमान में रु. 50000 - 160000 ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा और वेतनमान में रु. 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित रु. 10750-16750) और रु. 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित रु. 9100- 15100) की संबंधित नियमित सेवा के साथ यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग विभाग में संबंधित अनुशासन में नौ साल की संयुक्त नियमित सेवा। अवशोषण पर प्रतिनिधिमंडल: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (ए)मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों या समकक्ष पदों पर धारण; या (viii) कार्यकारी अभियंता (यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार) के पद पर रु. 50000 - 160000 के वेतनमान पर मैकेनिकल और
--	------------------------	---------------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--	---

										इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में चार साल की नियमित सेवा के साथ पद धारण करना; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	
36	कार्यकारी अभियंता मैकेनिकल) / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्यूनिकेश (न	09 2026) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी 1-	रु 50000 - 160000	चयन	वर्षों 35 से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए	आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग या समकक्ष में स्नातक की डिग्री; और (ii) किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक या सरकारी उपक्रम में कार्यकारी संवर्ग में प्रासंगिक अनुशासन में पांच साल का अनुभव।	क) आयु- नहीं (ख) शैक्षणिक योग्यता- नहीं। नोट- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अनिवार्य है। (ग) अनुभव- जैसा कि कॉलम (11) में निर्दिष्ट है।	वर्षों 2	पदोन्नति द्वारा, अन्यथा अवशोषण या प्रतिनियुक्ति द्वारा, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति - (ए) सहायक कार्यकारी अभियंता (यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार) से वेतनमान रु. 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित रु. 9100-15100) में पांच साल की नियमित सेवा में पदोन्नति जो असफल हो गई; (बी) सहायक कार्यकारी अभियंता (यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार) वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 9100-15100) ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा और वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 9100-15100) और 40000 - 140000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 8600-14600) में आठ साल की संयुक्त नियमित सेवा के साथ यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित अनुशासन में;

											(सी) ऐसा न करने पर वेतनमान में डिप्लोमा इंजीनियर, रु. 40000 - 140000 के वेतनमान के साथ आठ साल की नियमित सेवा उस ग्रेड में जहां रु. 50000 - 160000 का वेतनमान उस अनुशासन में मौजूद नहीं है। अवशोषण पर प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों या समकक्ष पदों पर धारण; या (ii) यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित अनुशासन में पांच साल की नियमित सेवा के साथ वेतनमान रु. 50000 - 160000 के पैमाने पर सहायक कार्यकारी अभियंता (यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार) का पद धारण करना; और (b) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

37	सहा . अधिशापी अभियंता (मैकेनिकल) इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनि क्स एवं कम्प्यूनिक्श (न	12 2026) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी 1-	- 50000 160000 रुपये	चयन	वर्षों 30 से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए	(क) अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग या समकक्ष में स्नातक की डिग्री। (ख) वांछनीय: किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक या सरकारी उपक्रमों में कार्यकारी संवर्ग में संबंधित अनुशासन में दो साल का अनुभव।	(क) आयु- नहीं (ख) शैक्षणिक योग्यता- नहीं। नोट:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आवश्यक है। (ग) अनुभव- नहीं।	वर्षों 2	ए) 66.66 % सीधी भर्ती द्वारा; और (बी) 33.33 % पदोन्नति द्वारा।	पदोन्नति- सहायक अभियंता (यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार) से वेतनमान में पदोन्नति रु. 40000 - 140000 तीन साल की नियमित सेवा के साथ ग्रेड में विफल हो गया; (बी) मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित अनुशासन में पांच साल की नियमित सेवा के साथ वेतनमान में वर्ग-3 कर्मचारियों से रु. 36500 - 88700 जहां उस अनुशासन में रु. 40000 - 140000 के पैमाने में कोई वर्ग- 2 पद नहीं हैं।	
----	--	--	-----------	----------------------------	-----	---	--	--	----------	---	--	--

एम एंड ई विभाग के अंतर्गत सामग्री प्रबंधन प्रभाग में श्रेणी-I पदों के लिए भर्ती नियम

क्रम सं	पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	क्या चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	उम्र (ए) शैक्षिक (बी) योग्यता सीधी भर्ती के (सी) लिए अनुभव /आमेलन/पदोन्नति प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की विधि चाहे सीधी) भर्ती द्वारा या /पदोन्नति /आमेलन प्रतिनियुक्ति द्वारा।।(	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति के /आमेलन/ मामले में जिन ग्रेडों से इसे बनाया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	सामग्री प्रबंधक	01 2026) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी 1-	- 80000 220000 रुपये	चयन	45 से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए	(ए) अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समकक्ष में स्नातक की डिग्री; और (ii) किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक या सरकारी उपक्रम में सामग्री प्रबंधन या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्यकारी संवर्ग में बारह वर्षों का अनुभव। (बी) वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या	ए) नहीं (बी) शैक्षिक योग्यता-हाँ (सी) अनुभव- जैसा कि कॉलम (11) में निर्दिष्ट है।	लागू नहीं	समग्र विधि के माध्यम से अवशोषण द्वारा, अन्यथा अन्य सरकार से प्रतिनियुक्ति द्वारा। संगठन और असफल होने से सीधी भर्ती द्वारा	संयोजित विधि के माध्यम से अवशोषण द्वारा: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (ii) वरिष्ठ उप सामग्री प्रबंधक या समकक्ष पद सामग्री प्रबंधन प्रभाग में ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा के साथ वेतनमान रु. 60000 - 180000 के साथ; या	

							संस्थान से सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा।				(iii) यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग विभाग में ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा के साथ वेतनमान रु. 60000 - 180000 के वेतनमान में अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक या विद्युत) के पद धारण करने वाले अधिकारी; (iv) वरिष्ठ उप सामग्री प्रबंधक या समकक्ष पदों या अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक या विद्युत) के पदों पर आसीन अधिकारी, ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा और सामग्री प्रबंधन प्रभाग या यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित अनुशासन में वेतनमान 50000 - 160000 और 60000 - 180000 के सात वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा के साथ; और प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या सरकारी	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											कंपनियों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (ii) वरिष्ठ उप सामग्री प्रबंधक या समकक्ष पदों या अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक या विद्युत) के पदों पर आसीन अधिकारी, सामग्री प्रबंधन प्रभाग या यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित अनुशासन में वेतनमान 60000 - 180000 के साथ तीन साल की नियमित सेवा के साथ ग्रेड में; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	
39	वरिष्ठ उप सामग्री प्रबंधक	01 2026) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी 1-	60000- 180000 रुपये	चयन	40 अधिक आयु नहीं होनी चाहिए	(क) अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समकक्ष में स्नातक की	नहीं (ए) नहीं (बी) हालाँकि नोट:- प्रासंगिक विषय में किसी मान्यता प्राप्त	2 साल	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न करने पर आमेलन प्रतिनियुक्ति / द्वारा, न करने पर सीधी भर्ती	पदोन्नति (ए) उप सामग्री प्रबंधक से वेतनमान में पदोन्नति रु. 50000 - 160000 चार साल की नियमित सेवा के साथ ग्रेड में विफल होना;	

							डिग्री; और (ii) किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक या सरकारी उपक्रम में सामग्री प्रबंधन या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्यकारी संवर्ग में नौ वर्ष का अनुभव। (ख) वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा।	विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अनिवार्य है; (सी) अनुभव-जैसा कि कॉलम (12 में निर्दिष्ट है		द्वारा	(बी) कार्यकारी अभियंता (यांत्रिक या विद्युत) वेतनमान में रु. 50000 - 160000 के साथ ग्रेड में चार साल की नियमित सेवा में असफल; (सी) उप सामग्री प्रबंधक या कार्यकारी अभियंता (यांत्रिक या विद्युत) ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा और सामग्री प्रबंधन प्रभाग या यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग विभाग के संबंधित अनुशासन में वेतनमान रु. 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) और 50000 160000 (पूर्व संशोधित 9100 15100) में नौ साल की संयुक्त नियमित सेवा। अवशोषण पर प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों या समकक्ष पदों पर धारण; या	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--

											(ii) उप सामग्री प्रबंधक के पद पर रु. 50000 - 160000 के वेतनमान पर सामग्री प्रबंधन प्रभाग या यांत्रिक और विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के संबंधित अनुशासन में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ पद धारण करना; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	
40	उप . सामग्री प्रबंधक	02 2026) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी 1-	50000- 160000 रुपये)	चयन	35 अधिक आयु नहीं होनी चाहिए	(ए) अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समकक्ष में स्नातक की डिग्री; और (ii) किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक या/सरकारी उपक्रम में सामग्री प्रबंधन या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्यकारी संवर्ग में पांच	नहीं (ए) (बी) नहीं हालाँकि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से / प्रासंगिक अनुशासन में डिप्लोमा आवश्यक है। सी) नहीं	2	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न करने पर आमेलन प्रतिनियुक्ति / द्वारा, न करने पर सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति सहायक सामग्री प्रबंधक ग्रेड-1 (मौजूदा उप सामग्री प्रबंधक) को वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 9100-15100) में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ ग्रेड में असफल होने पर सहायक कार्यकारी अभियंता (यांत्रिक/विद्युत) वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 9100-15100) में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ ग्रेड में असफल होने पर सहायक सामग्री प्रबंधक	

							साल का अनुभव। (बी) बांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा।				ग्रेड-1 (मौजूदा उप सामग्री प्रबंधक)/सहायक कार्यकारी अभियंता (यांत्रिक/विद्युत) वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 8600- 14600) में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा और वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 160000) में आठ वर्ष की नियमित सेवा के साथ संबंधित सामग्री प्रबंधन प्रभाग/यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग विभाग में डिप्लोमा इंजीनियर अथवा वेतनमान 40000 - 140000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 8600- 14600) में आठ वर्ष की नियमित सेवा के साथ ग्रेड में असफल होने पर वेतनमान 50000 - 50000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 160000) में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ ग्रेड में असफल होने पर वेतनमान 40000 - 140000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 8600-	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											14600) में आठ वर्ष की नियमित सेवा के साथ संबंधित विषय में डिप्लोमा इंजीनियर के रूप में पदोन्नति दी जाएगी। प्रमुख पत्तन प्राधिकरण में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले समकक्ष पदों या फीडर पदों पर आसीन अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति/समामेलन।	
41	सहायक सामग्री प्रबंधक ग्रेड-I	03 2026) *कार्यभार के	श्रेणी 1-	50000-160000 रुपये)	चयन	वर्षों 30	(क) अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समकक्ष में स्नातक की डिग्री। (ख) वांछनीय: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैटेरियल्स मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा; (ii) किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक या सरकारी उपक्रम में मैटेरियल्स मैनेजमेंट में दो साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन अनुभव।	(क) आयु- नहीं; (ख) शैक्षणिक योग्यता- नहीं। नोट: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आवश्यक है। (ग) अनुभव- नहीं।	2साल	a) 66.66% सीधी भर्ती द्वारा; और (b) 33.33 % पदोन्नति द्वारा।	पदोन्नति - (ए) सहायक सामग्री प्रबंधक ग्रेड में पदोन्नति ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा के साथ वेतनमान रु. 40000 - 140000 जिसमें ग्रेड विफल हो गया; (बी) सामग्री प्रबंधन प्रभाग के संबंधित अनुशासन में वेतनमान में 36500-88700 रुपये के वेतनमान में पांच साल की नियमित सेवा के साथ वर्ग-3 कर्मचारियों से उस अनुशासन में 40000-140000 रुपये के वेतनमान में वर्ग-2 के पद नहीं हैं।	सहायक नियंत्रक भंडार ग्रेड-1 आदि के मौजूदा पद, वेतनमान रु. 50000-160000 को सहायक सामग्री प्रबंधक ग्रेड-1 के रूप में पुनः नामित किया गया है

समुद्री विभागके लिए भर्ती नियम (डेक साइड) वीपीए के प्रथम श्रेणी पदों/

क्रम सं	पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	क्या चयन या गैर-चयन	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	उम्र (ए) शैक्षिक (बी) योग्यता सीधी (सी) भर्ती के लिए अनुभव पदोन्नति /आमेलन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की विधि चाहे सीधी) भर्ती द्वारा या /पदोन्नति /आमेलन प्रतिनियुक्ति। (द्वारा	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति के /आमेलन/ मामले में जिन ग्रेडों से इसे बनाया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	उप संरक्षक (कैटगिरी-1)पोर्ट	1* (2026) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी I विभागाध्यक्ष	रु 120000 - 280000	चयन	वर्षों 50 से अधिक आयु नहीं चाहिए	आवश्यक: (i) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी जाने वाले पोत के मास्टर के रूप में योग्यता का प्रमाण पत्र या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता; और (ii) पायलट लाइसेंस और पायलटिंग या संचयी में दस साल का अनुभव।	ए)नहीं (बी)शैक्षिक योग्यता-हाँ (सी) अनुभव-जैसा कि कॉलम (12) में निर्दिष्ट है।	लागू नहीं	समग्र विधि के माध्यम से अवशोषण द्वारा, या प्रतिनियुक्ति द्वारा और असफल होने पर सीधी भर्ती दोनों द्वारा।	संयोजित विधि के माध्यम से अवशोषण द्वारा: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर धारण; या (ii) श्रेणी-2 बंदरगाहों में उप संरक्षक या श्रेणी-1 बंदरगाहों में हार्बर मास्टर के पद पर कार्यरत अधिकारी, समुद्री विभाग में ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा के साथ वेतनमान रु. 100000 - 260000; या	

												(iii) समुद्री विभाग में ग्रेड में चार साल की नियमित सेवा के साथ 90,000-240000 रुपये के वेतनमान में ड्रेजिंग अधीक्षक या डॉक मास्टर या मास्टर पायलट के पद धारण करने वाले अधिकारी; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले। प्रतिनियुक्ति प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या सरकारी कंपनियों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (ii) नौसेना विभाग में ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा के साथ 100000-260000 रुपये के वेतनमान में उप संरक्षक या इसके समकक्ष डॉक साइड पोस्ट के पद पर अधिकारी; या (iii) मरीन विभाग में ग्रेड में चार साल की नियमित सेवा के साथ 90,000-240000 रुपये के वेतनमान में हार्बर मास्टर या समकक्ष डॉक साइड पोस्ट के पद पर अधिकारी; और	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											(b) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले	
43	हॉर्बर मास्टर	01 2026) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी 1-	- 10000 260000	चयन	वर्षों 45 से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए	आवश्यक: (i) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विदेश जाने वाले पोत के मास्टर के रूप में योग्यता का प्रमाण पत्र या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता; और (ii) पायलट लाइसेंस और आठ साल का अनुभव या तो विदेश जाने वाले पोत के मास्टर के रूप में या पायलटिंग में या संचयी।	ए) नहीं (बी) शैक्षिक योग्यता-हाँ (सी) अनुभव-जैसा कि कॉलम (12) में निर्दिष्ट है।	लागू नहीं	समग्र विधि के माध्यम से अवशोषण द्वारा, या . प्रतिनियुक्ति द्वारा और असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	संयोजित विधि के माध्यम से अवशोषण द्वारा: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (ii) डॉक मास्टर या मास्टर पायलट या ड्रेजिंग अधीक्षक के पद पर आसीन अधिकारी, समुद्री विभाग में ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा के साथ 90000 - 240000 के वेतनमान में; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले। प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या सरकारी कंपनियों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप	वरिष्ठ डॉक मास्टर या उप हार्बर मास्टर का मौजूदा पद 100000 रुपये - 260000 को हार्बर मास्टर के रूप में पुनः नामित किया गया है।

										या समकक्ष पदों पर; या (ii) ट्रेजिंग अधीक्षक या डॉक मास्टर या मास्टर पायलट या इसके समकक्ष डेक साइड पोस्ट के पदों पर तैनात अधिकारी समुद्री विभाग में ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा के साथ 88881 रुपये के वेतनमान में; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले। नोट: चयन योग्यता के आधार पर है जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में समग्र ग्रेडिंग में बेंचमार्क "बहुत अच्छा" से कम नहीं होना चाहिए	
44	ट्रेजिंग अधीक्षक / डॉक मास्टर/मास्टर पायलट	05 2026) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अधीन। डी एस. 04 डीएम.	श्रेणी 1-	90000 - 240000 रुपये	चयन	43वर्षों से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए	आवश्यक: (i) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया विदेश जाने वाले पोत के मास्टर के रूप में योग्यता प्रमाण पत्र या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता; (ii) एक पायलट	ए)नहीं (बी)शैक्षिक योग्यता-हाँ (सी) अनुभव-जैसा कि कॉलम (11) में निर्दिष्ट है।	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति / द्वारा, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति पायलटों से वेतनमान में पदोन्नति रु. 70000 - 200000 ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा के साथ। प्रतिनियुक्ति/अवशोषण: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप

							लाइसेंस और सभी प्रकार के जहाजों को संभालने में दक्षता; (iii) विदेश जाने वाले पोत के पायलट या मास्टर के रूप में पाँच साल का अनुभव। नोट: ड्रेजिंग अधीक्षक के पद के लिए, पाँच साल के अनुभव में से, ड्रेजिंग में एक साल का अनुभव आवश्यक है।				पदों या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (ii) समुद्री विभाग में ग्रेड में पाँच साल की नियमित सेवा के साथ 70000 रुपये - 200000 रुपये के पैमाने पर पायलटों का पद धारण करना; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	
45	पाईलेट	08 2026) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी 1-	70000 – 200000 रु	लागू नहीं	वर्षों 40 से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए	आवश्यक: (i) विदेश जाने वाले पोत के मास्टर के रूप में योग्यता का प्रमाण पत्र जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया हो या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता हो; और (ii) विदेश जाने वाले पोत के मास्टर या मुख्य अधिकारी के रूप में योग्यता के बाद एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं	वर्षों 2	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	

समुद्री विभाग के समुद्री अभियंता

क्रम सं	पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	क्या चयन या गैर-चयन	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा वर्षों (में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	उम्र (ए) शैक्षिक (बी) योग्यता सीधी भर्ती (सी) के लिए अनुभव /पदोन्नति /आमेलन प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की विधि चाहे सीधी) भर्ती द्वारा या /पदोन्नति /आमेलन प्रतिनियुक्ति ।(द्वारा	पदोन्नतिप्रतिनियुक्ति /आमेलन/ के मामले में जिन ग्रेडों से इसे बनाया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	वरिष्ठ समुद्री अभियंता या मुख्य अभियंता समुद्री (पोत)।	1 (2026) *कार्यभार के आधार पर भिन्नत के अधीन।	श्रेणी 1-	रु 80,000-2,20000	चयन	40 वर्षों से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए	i) मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट, के तहत जारी 1958 एमओटी प्रथम श्रेणी मोटर प्रमाणपत्र। ii) योग्यता के बाद मुख्य अभियंता के रूप में एक वर्ष का अनुभव विदेश) जाने वाले जहाज पर ।(दूसरा इंजीनियर	ए)नहीं (बी)शैक्षिक योग्यता-हाँ (सी) अनुभव: कॉलम (12) में निर्दिष्ट।	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, जिसमें विफलता होने पर समग्र विधि के माध्यम से अवशोषण द्वारा, विफलता होने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा और विफलता होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति नौसेना इंजीनियर के पद से वेतनमान 70000-200000 (पूर्व संशोधित 14500-18700 रुपये) ग्रेड में चार साल की नियमित सेवा के साथ। संयोजित विधि के माध्यम से अवशोषण: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर धारण; या (ii) नौसेना विभाग में ग्रेड में चार साल की नियमित सेवा के साथ 70000 रुपये - 200000 रुपये के वेतनमान में मरीन इंजीनियर के पद पर अधिकारी; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	

										प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या सरकारी कंपनियों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर; या (ii) समुद्री विभाग में ग्रेड में चार साल की नियमित सेवा के साथ 70000 रुपये - 200000 रुपये के वेतनमान में मरीन इंजीनियर या मरीन इंजीनियर पक्ष में इसके समकक्ष पदों पर अधिकारी; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले। नोट: चयन योग्यता के आधार पर है जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में समग्र ग्रेडिंग में बेंचमार्क "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होगा।		
47	समुद्री अभियंता	16* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	श्रेणी 1-	रु 70,000-2,00,000	चयन	से 40 अधिक नहीं	आवश्यक: (i) मर्चेट शिपिंग अधिनियम, 1958 के तहत जारी एम.ओ.टी. प्रथम श्रेणी मोटर प्रमाणपत्र; और (ii) विदेश जाने वाले जहाज पर मुख्य अभियंता या द्वितीय अभियंता के रूप में योग्यता प्राप्त करने के बाद एक वर्ष का अनुभव।	ए)नहीं (बी)शैक्षिक योग्यता-हाँ (सी) अनुभव: कॉलम (12) में निर्दिष्ट।	2 साल	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं है	
48	वरिष्ठ उप .	03 (2026)	श्रेणी 1-	60,000-180,000	लागू नहीं	वर्षों 35	i) मर्चेट शिपिंग एक्ट, के तहत जारी 1958	ए) नहीं	2साल	पदोन्नति द्वारा, जिसके विफल	पदोन्नति : उप मरीन इंजीनियर के पद से	

	समुद्री अभियंता	*कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन।		रूपये			एमओटी द्वितीय श्रेणी मोटर प्रमाणपत्र। ii) विदेश जाने वाले जहाज पर स्वतंत्र निगरानी इंजीनियर के रूप में दो साल का अनुभव।	(बी)शैक्षिक योग्यता-हाँ; (सी) अनुभव: कॉलम (12) में निर्दिष्ट।		होने पर प्रतिनियुक्ति/अवशोषण द्वारा, दोनों प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा विफल हो जाते हैं।	ग्रेड में चार साल की नियमित सेवा के साथ 50000-160000 रुपये के स्केल में पदोन्नति। अवशोषण पर प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (ii) समुद्री विभाग में चार साल की नियमित सेवा के साथ 50000 रुपये - 160000 रुपये के पैमाने पर उप समुद्री इंजीनियर का पद धारण करना; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	
49	उप . समुद्री अभियंता	03 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी 1-	50000-160000 रुपये	लागू नहीं	वर्षों 35	i) मर्चेंट शिपिंग एक्ट, के तहत जारी 1958 एमओटी द्वितीय श्रेणी मोटर प्रमाणपत्र। ii) विदेश जाने वाले जहाज पर स्वतंत्र निगरानी इंजीनियर के रूप में दो साल का अनुभव।	लागू नहीं	2साल	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	

लेखा विभाग/वीपीए के श्रेणी -1 पदों के लिए भर्ती नियम

क्रम सं	पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	क्या चयन या गैर - चयन	सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	उम्र (ए) शैक्षिक (बी) योग्यता सीधी (सी) भर्ती के लिए अनुभव /पदोन्नति /आमेलन प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की विधि चाहे सीधी) भर्ती द्वारा या /पदोन्नति /आमेलन प्रतिनियुक्ति ।(द्वारा	पदोन्नतिप्रतिनियुक्ति के /आमेलन/ मामले में जिन ग्रेडों से इसे बनाया जाना चाहिए	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	वि.स. एवं मु.ले. अ आई पोर्ट.कैट)	01 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी 1- विभागाध्यक्ष	रु 120000 - 280000	चयन	45से अधिक नहीं	आवश्यक : ए) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य बी) किसी वाणिज्यिक/औद्योगिक/सरकारी उपक्रम में लेखांकन के क्षेत्र में कार्यकारी संवर्ग में 17 साल का अनुभव	.नहीं (ए) (बी)शैक्षिक योग्यता-हाँ (सी) अनुभव: कॉलम (12 में निर्दिष्ट	लागू नहीं	समग्र विधि के माध्यम से अवशोषण द्वारा, जिसके विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और असफल होने पर सीधी भर्ती दोनों द्वारा।	संयोजित विधि के माध्यम से अवशोषण द्वारा: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर धारण; या (ii) वित्त विभाग में ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा के साथ श्रेणी 2 बंदरगाहों में वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर अधिकारी वेतनमान रु. 100000-260000 रुपये के साथ; या (iii) वित्त विभाग में ग्रेड में चार साल की नियमित सेवा के साथ 80000-	

											220000 रुपये के वेतन के पैमाने पर पद धारण करने वाले अधिकारी; या (iv) वित्त विभाग में ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा के साथ 80000-220000 रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर अधिकारी; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले। प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या सरकारी कंपनियों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (ii) वित्त विभाग में ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा के साथ 100000-260000 रुपये के वेतनमान में वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी या समकक्ष पदों पर आसीन अधिकारी; या (iii) वित्त विभाग में ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा के साथ 80000-220000 रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर अधिकारी; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

51	वरिष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी	02 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी 1-	80000- 220000 रुपये	चयन	42वर्षों अधिक नहीं	आवश्यक : (i) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान या भारतीय लागत और कार्य लेखाकार संस्थान का सदस्य; और (ii) किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक या सरकारी उपक्रम में वित्त या लेखा के क्षेत्र में कार्यकारी संवर्ग में बारह वर्ष का अनुभव।	क)नहीं (बी)शैक्षिक योग्यता-हाँ (सी) अनुभव: कॉलम (12 में निर्दिष्ट	लागू नहीं	समग्र विधि के माध्यम से अवशोषण द्वारा, अन्यथा अन्य सरकार से प्रतिनियुक्ति द्वारा। सीधी भर्ती द्वारा संगठन और असफलता दोनों	संयोजित विधि के माध्यम से अवशोषण द्वारा: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (ii) उप मुख्य लेखा अधिकारी या समकक्ष पदों पर आसीन अधिकारी, वित्त विभाग के संबंधित अनुशासन में ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा के साथ 60000 - 180000 रुपये के वेतनमान में; या (iii) उप मुख्य लेखा अधिकारी या समकक्ष पदों पर आसीन अधिकारी, ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा और वित्त विभाग के संबंधित अनुशासन में 50000 रुपये - 160000 रुपये और 60000 रुपये - 180000 रुपये के वेतनमान में सात वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले। प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त
----	------------------------------------	---	-----------	---------------------------	-----	------------------------------	--	---	-----------	---	---

										निकायों या सरकारी कंपनियों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर; या (ii) उप मुख्य लेखा अधिकारी या समकक्ष पदों पर आसीन अधिकारी, वित्त विभाग के संबंधित अनुशासन में ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा के साथ 60000 - 180000 रुपये के वेतनमान में; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	
52	उप मुख्य लेखा अधिकारी	02 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी-I	Rs 60000 - 180000	चयन	40 से वर्ष अधिक नहीं	<u>अनिवार्य :</u> (i) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य। (ii) सरकार.. उपक्रम, औद्योगिक/वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्त, लेखांकन के क्षेत्र में कार्यकारी संवर्ग में 9 वर्ष का अनुभव (क) आयु- नहीं; (ख) शैक्षणिक योग्यता- नहीं, हालाँकि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री आवश्यक है; (ग) अनुभव: जैसा कि कॉलम (12) में निर्दिष्ट	2 वर्ष.	पदोन्नति द्वारा या विलयन/प्रति नियुक्ति द्वारा दोनों में न होने से सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति : (ए) वरिष्ठ लेखा अधिकारी से पदोन्नति द्वारा वेतनमान 50000 - 160000 के साथ ग्रेड में चार साल की नियमित सेवा जिसमें असफल हो गया; (b) वित्त विभाग के संबंधित अनुशासन में वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 10750-16750 दो साल की नियमित सेवा के साथ ग्रेड में और वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 10750-16750) और 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 9100-15100) में नौ साल की संयुक्त नियमित सेवा के साथ) में वरिष्ठ लेखा अधिकारी (मौजूदा उप वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी)।	

								है।			अवशोषण पर प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों या समकक्ष पदों पर धारण; या (ii) वित्त विभाग के संबंधित अनुशासन में चार साल की नियमित सेवा के साथ 50000 रुपये - 160000 रुपये के स्केल में वरिष्ठ लेखा अधिकारी का पद धारण करना; और (b) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	
53.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	03 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी-1	रु 50000 - 160000	चयन	35वर्ष से वर्ष अधिक नहीं	<u>आवश्यक :</u> (i) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य। (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक सरकार. उपक्रम.क्षेत्र में वित्त, लेखांकन के क्षेत्र में कार्यकारी संवर्ग में 5 वर्ष का अनुभव / (क) आयु- नहीं (ख) शैक्षणिक योग्यता- नहीं, हालाँकि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री आवश्यक है; (ग) अनुभव: जैसा कि कॉलम (12) में निर्दिष्ट है।	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा या विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों में न होने से सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति : (ए) 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित रु. 9100-15100) के वेतनमान में लेखा अधिकारी ग्रेड प्रथम से पदोन्नति पांच साल की नियमित सेवा के साथ ग्रेड में होने पर; (बी) वित्त विभाग के संबंधित अनुशासन में वेतनमान 50000-160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 9100-15100) के वेतनमान में ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा और वेतनमान 50000-160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 9100-15100 और 40000-140000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 8600-14600) की आठ साल की संयुक्त नियमित सेवा के साथ लेखा अधिकारी ग्रेड-1। अवशोषण पर प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, -		

											(ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों या समकक्ष पदों पर धारण; या (ii) वित्त विभाग के संबंधित अनुशासन में ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा के साथ 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित रु. 9100-15100) के पैमाने पर लेखा अधिकारी ग्रेड के पद पर; और (b) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	
54	लेखा अधिकारी श्रेणी-1	6 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी-1	रु 50000 - 160000	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं	<u>आवश्यक :</u> (i) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य। <u>वांछनीय :</u> (ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक / सरकार. उपक्रम क्षेत्र में वित्त, लेखांकन के क्षेत्र में कार्यकारी संवर्ग में 2 वर्ष का अनुभव	(क) आयु- नहीं (ख) शैक्षणिक योग्यता- नहीं। नोट: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अनिवार्य है; (ग) अनुभव- नहीं।	2 वर्ष	a) 66.66% सीधी भर्ती द्वारा; और (b) 33.33 % पदोन्नति द्वारा।	पदोन्नति:(ए) 40000-140000 रुपये के वेतनमान में लेखा अधिकारी ग्रेड द्वितीय से पदोन्नति जिसमें ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवाएं विफल हो गईं; (बी) वित्त विभाग के संबंधित अनुशासन में वर्ग-3 के कर्मचारियों से वेतनमान 36500-88700 के वेतनमान में पांच साल की नियमित सेवा के साथ, जहां वित्त विभाग के संबंधित अनुशासन में वर्ग-2 के पद नहीं हैं। वेतनमान 40000-140000।	

यातायात विभाग/बीपीए के श्रेणी -1 पदों के लिए भर्ती नियम

क्रसं.	पदों का नाम	पदों की सं	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयन पद है या गैर चयन	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु (क) (ख) शैक्षणिक योग्यताएं अनुभव (ग) /पदोन्नति /विलयन प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होगा।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती) या पदोन्नति /विलयन/ प्रतिनियुक्ति (द्वारा	पदोन्नतिप्रतिनियुक्ति के /विलयन/ मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति की जाती है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	यातायात प्रबंधक केटगिरी-1)पोर्ट	01 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी-1 विभागाध्यक्ष	रु 120000 -280000 रुपये	चयन	45 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री; और (ii) किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक या सरकारी उपक्रम में कार्यकारी संवर्ग में नौवहन या संचालन या रेलवे परिवहन में सत्रह वर्ष का अनुभव।	ए) नहीं (बी) शैक्षिक योग्यता-हाँ (सी) अनुभव-जैसा कि कॉलम (12 में निर्दिष्ट है	लागू नहीं है	मिश्रित पद्धति से विलयनद्वारा, विलयन या अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों	संयोजित विधि के माध्यम से अवशोषण द्वारा: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (ii) यानी यातायात विभाग में दो साल की नियमित सेवा के साथ श्रेणी-2 बंदरगाहों में यातायात प्रबंधक के पद पर आसीन अधिकारी; या (iii) या यातायात विभाग में ग्रेड में चार साल की नियमित सेवा के साथ 90000-240000 रुपये (पूर्व संशोधित 17500-22300 रुपये) के	

												वेतनमान में पद धारण करने वाले अधिकारी; (iv) यातायात विभाग में पांच साल की नियमित सेवा के साथ वेतनमान 80000-220000 के पैमाने पर वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक के पद पर अधिकारी; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले। प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या सरकारी कंपनियों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर धारण करता; या (ii) यातायात विभाग में दो साल की नियमित सेवा के साथ 100000-260000 रुपये के वेतनमान में यातायात प्रबंधक के पद पर अधिकारी; या (iii) या समकक्ष पदों पर वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक के पद पर आसीन अधिकारी यातायात विभाग में ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ 80000 - 220000 के वेतनमान में; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

56	वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक	02 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन।	श्रेणी-I	रु 80000 - 220000	चयन	42 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री; और (ii) किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक या सरकारी उपक्रम में कार्यकारी संवर्ग में नौवहन या संचालन या रेलवे परिवहन में बारह वर्ष का अनुभव।	ए) नहीं (बी) शैक्षिक योग्यता-हाँ (सी) अनुभव-जैसा कि कॉलम (12) में निर्दिष्ट है	लागू नहीं है	मिश्रित पद्धति से विलयन द्वारा, विलयन या . अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा	संयोजित विधि के माध्यम से अवशोषण द्वारा: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर; या (ii) उप यातायात प्रबंधक या समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारी, यातायात विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतनमान रु. 60000 - 180000 के वेतनमान में; या (iii) उप यातायात प्रबंधक या समकक्ष पद पर आसीन अधिकारी, यातायात विभाग के संबंधित अनुशासन में वेतनमान रु. 50000 - 160000 और रु. 60000 - 180000 के साथ दो साल की नियमित सेवा और सात साल की संयुक्त नियमित सेवा (b) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले। प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या सरकारी कंपनियों के अधिकारी, -
----	---------------------------------	---	----------	----------------------------	-----	-------------------------------	--	--	--------------	---	---

											(ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर; या (ii) उप यातायात प्रबंधक या समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारी, यातायात विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतनमान रु. 60000 - 180000 के साथ; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले चाहिए।	
57	उप यातायात प्रबंधक	03 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन	श्रेणी-1	रु 60000 - 180000	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक: (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री; और (ii) किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक या सरकारी उपक्रम में कार्यकारी संवर्ग में नौ वर्ष का नौवहन या संचालन या रेलवे परिवहन में अनुभव।	ए) नहीं (बी) शैक्षिक योग्यता-हाँ (सी) अनुभव-जैसा कि कॉलम (12) में निर्दिष्ट है	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, विलयन/प्रति नियुक्ति द्वारा, यदि दोनों न हो तो सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति:- (ए) वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबंधक से वेतनमान में पदोन्नति रु. 50000 - 160000 चार साल की नियमित सेवा के साथ ग्रेड में विफल होना; (बी) वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबंधक वेतनमान 50000 160000 ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा और वेतनमान 50000 160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) और 50000 160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) के वेतनमान में नौ साल की संयुक्त नियमित सेवा (यातायात विभाग के संबंधित अनुशासन में)। अवशोषण पर प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (a) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों या समकक्ष पदों पर धारण; या	

											(ii) यातायात विभाग के संबंधित अनुशासन में चार साल की नियमित सेवा के साथ 50000 रुपये - 160000 रुपये के स्केल में वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबंधक का पद धारण करना; और (b) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	
58	वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबंधक	3 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन	श्रेणी-1	रु 50000 — 160000	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री; और (ii) किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक या सरकारी उपक्रम में कार्यकारी संवर्ग में नौवहन या संचालन या रेलवे परिवहन में पांच साल का अनुभव।	ए) नहीं (बी) शैक्षिक योग्यता-हाँ (सी) अनुभव-जैसा कि कॉलम (12) में निर्दिष्ट है	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, विलयन/प्रति नियुक्ति द्वारा, यदि दोनों न हो तो सीधी भर्ती द्वारा	सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड से पदोन्नति में (मौजूदा ए.टी.एम.) (श्रेणी-I) 50000-160000 रुपये (पूर्व संशोधित 9100-15100 रुपये) के वेतनमान में, ग्रेड में 5 साल की नियमित सेवा के साथ, (ii) सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड। में (मौजूदा ए.टी.एम. (श्रेणी-I)) वेतनमान 50000 - 160000 (पूर्व संशोधित रु.9100-15100) में और किसी प्रमुख बंदरगाह यातायात विभाग के संबंधित अनुशासन में 50000 - 160000 रुपये (पूर्व संशोधित रुपये 9100-15100) और 40000 - 140000 रुपये (पूर्व संशोधित रुपये 8600-14600) का वेतन। ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवा और संयुक्त नियमित 8 वर्ष की सेवा है। अवशोषण पर प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, -	

											(a) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (ii) सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड के वेतनमान में ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा के साथ 50000 रुपये - 160000 रुपये (पूर्व संशोधित 9100-15100 रुपये) के वेतनमान में पद धारण करना; और (b) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	
59	सहायक यातायात प्रबंधक (श्रेणी-1)	4 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन	श्रेणी-1	रु 50000 - 160000	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं	(क) अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री। (ख) वांछनीय: किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक या सरकारी उपक्रम में नौवहन या संचालन या रेल परिवहन में दो साल का कार्यकारी अनुभव।	(क) आयु- नहीं (ख) शैक्षणिक योग्यता-हाँ (ग) अनुभव-नहीं	2 वर्ष	ए) 66.66% सीधी भर्ती द्वारा; और (बी) 33.33 % पदोन्नति द्वारा।	पदोन्नति – सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड से पदोन्नति। II (मौजूदा ए.टी.एम.) (श्रेणी-II) 40000 - 140000 (पूर्व संशोधित 8600-14600) रुपये के वेतनमान में रुपये, ग्रेड में 3 साल की नियमित सेवा के साथ। (या) बी) यातायात विभाग के संबंधित अनुशासन में वेतनमान 36500-88700 के वेतनमान में वर्ग-3 कर्मचारियों से पांच साल की नियमित सेवा के साथ, जहां वेतनमान 40000-140000 के वेतनमान में वर्ग-2 के पद नहीं हैं।	सहायक यातायात प्रबंधक वर्ग- के वेतनमान रु. 50000 16000 0 के मौजूदा पदों को सहायक यातायात प्रबंधक ग्रेड के रूप में पुनः नामित किया गया है

यातायात विभाग/वीपीए के तहत आर एंड पी डिवीजन में अनुसंधान और ईडीपी विंग के श्रेणी -1 के पदों के लिए भर्ती नियम.

क्रसं.	पदों का नाम	पदों की सं	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयन पद है या गैर चयन	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु (क) (ख) शैक्षणिक योग्यताएं अनुभव (ग) /पदोन्नति /विलयन प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होगा।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती) या /पदोन्नति /विलयन प्रतिनियुक्ति (द्वारा	पदोन्नतिप्रतिनियुक्ति के /विलयन/ मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति की जाती है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60.	संयुक्त निदेशक	1 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन	श्रेणी-1	रु 80000 - 220000	चयन	42 वर्ष से अधिक न हो	ए) अनिवार्य (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री; (ii) योजना या संग्रह या डेटा के संकलन और व्याख्या या क्षेत्र सर्वेक्षण या जांच आदि करने में, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बारह साल का कार्यकारी अनुभव। बी). वांछित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से	ए) नहीं (बी)शैक्षिक योग्यता-हाँ (सी) अनुभव- जैसा कि कॉलम (12 में निर्दिष्ट है	लागू नहीं है	मिश्रित पद्धति द्वारा विलयन अन्यथा अन्य सरकारी संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति द्वारा , दोनो से न होने से सीधी भर्ती द्वारा	अवशोषण के आधार पर स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर; या (ii) बरिष्ठ उप निदेशक (अनुसंधान या ईडीपी) या समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारी, योजना और अनुसंधान प्रभाग में ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा के साथ 60000 रुपये - 180000 रुपये के वेतनमान में; या (iii) अधिकारी बरिष्ठ उप निदेशक (अनुसंधान या ईडीपी) या समकक्ष	

							अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित या परिचालन अनुसंधान में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रणाली या एमआईएस या सिस्टम या कंप्यूटर अनुप्रयोग या बिजनेस एडमिन में सिस्टम में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (पीजी डिग्री / डिप्लोमा) या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सूचना प्रणाली या एमआईएस या सूचना प्रौद्योगिकी और संबद्ध विषय।				पदों पर ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा और योजना और अनुसंधान प्रभाग में वेतनमान में सात साल की संयुक्त नियमित सेवा के साथ पद धारण करेगा। 50000 - 160000 और 60000 - 180000 रुपये; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले। प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या सरकारी कंपनियों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप या समकक्ष पदों पर; या (ii) वरिष्ठ उप निदेशक (अनुसंधान या ईडीपी) या समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारी, योजना और अनुसंधान प्रभाग या विभाग में ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा के साथ 60000 रुपये - 180000 रुपये के वेतनमान में; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	
61.	वरिष्ठ उप निदेशक (अनुसंधान)	1 2026) *कार्य भार के आधार	श्रेणी-1	रु 60000 - 180000	चयन	40 वर्ष से अधिक न हो	अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित	ए) नहीं (बी) शैक्षिक योग्यता-हाँ	2 साल	पदोन्नति द्वारा, विलयन/प्रति नियुक्ति द्वारा, यदि दोनों न	पदोन्नति- (ए) उप निदेशक (अनुसंधान) से वेतनमान रु. 50000 - 160000 के स्केल में चार साल की नियमित सेवा में असफल ग्रेड में पदोन्नति;	

		पर भिन्नता के अधीन					में स्नातक की डिग्री; (ii) योजना में या डेटा के संग्रह, संकलन और व्याख्या में या फील्ड सर्वेक्षण, जांच आदि करने में नौ साल का कार्यकारी अनुभव; और (iii) कंप्यूटर संचालन का ज्ञान। (बी) वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित या ऑपरेशनल रिसर्च और संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा।	(सी) अनुभव- जैसा कि कॉलम (12 में निर्दिष्ट है		हो तो सीधी भर्ती द्वारा	(बी) योजना और अनुसंधान प्रभाग के संबंधित अनुशासन में वेतनमान 50000-160000 के वेतनमान में उप निदेशक (अनुसंधान) ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा और वेतनमान 50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) और 50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) में नौ साल की संयुक्त नियमित सेवा के साथ। अवशोषण पर प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (ii) योजना और अनुसंधान प्रभाग में चार साल की नियमित सेवा के साथ 50000 - 160000 रुपये के स्केल में उप निदेशक (अनुसंधान) या उप निदेशक (ईडीपी) का पद धारण करना; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	
62	वरिष्ठ उप निदेशक (ईडीपी)	1 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन	श्रेणी-1	रु 60000 - 180000	चयन	40 वर्ष से अधिक न हो	(क) अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की डिग्री; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से गणित या सांख्यिकी या ऑपरेशनल रिसर्च या अर्थशास्त्र में	ए) नहीं (बी) शैक्षणिक योग्यता-हाँ (सी) अनुभव- जैसा कि कॉलम (12 में निर्दिष्ट है	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, विलयन/प्रति नियुक्ति द्वारा, यदि दोनों न हो तो सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति - (ए) उप निदेशक (ईडीपी) से वेतनमान रु. 50000 - 160000 में चार साल की नियमित सेवा में पदोन्नति जो विफल हो गई; (बी) योजना और अनुसंधान प्रभाग के संबंधित अनुशासन में वेतनमान 50000-160000 के वेतनमान में उप निदेशक (ईडीपी) ग्रेड में दो	

						स्नातक की डिग्री के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; या (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और (iv) प्रोग्रामिंग या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या सिस्टम डिजाइन और एनालिसिस और संबंधित क्षेत्रों में नौ साल का अनुभव। (ख) वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से गणित या सांख्यिकी या ऑपरेशनल रिसर्च या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सिस्टम या सूचना प्रणाली या एमआईएस या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर एप्लीकेशन या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा) में स्नातकोत्तर डिग्री, जिसमें सिस्टम या सूचना प्रणाली या एमआईएस या सूचना प्रौद्योगिकी और संबद्ध विषयों में विशेषज्ञता हो।				साल की नियमित सेवा और वेतनमान 50000-160000 (पूर्व संशोधित 10750-16750) और 50000-160000 (पूर्व संशोधित 9100-15100) के वेतनमान में नौ साल की संयुक्त नियमित सेवा के साथ। प्रतिनियुक्ति/अवशोषण: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (ii) योजना और अनुसंधान प्रभाग में चार साल की नियमित सेवा के साथ 50000 - 160000 रुपये के स्केल में उप निदेशक (अनुसंधान) या उप निदेशक (ईडीपी) का पद धारण करना; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

63	उप निदेशक (अनुसंधान)	3 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन	श्रेणी-1	रु 50000 - 160000	चयन	35 वर्ष से अधिक न हो	(क) अनिवार्य: (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित में स्नातक की डिग्री; और (ख) योजना में या क्षेत्र सर्वेक्षण या जांच आदि करने में डेटा के संग्रह या संकलन और व्याख्या में पांच साल का कार्यकारी अनुभव। (ख) वांछनीय: (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी या ऑपरेशन रिसर्च और संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा; (ख) कंप्यूटर संचालन का ज्ञान।	ए) आयु- नहीं (बी) शैक्षिक योग्यता-हाँ (सी) अनुभव: कॉलम (12) में निर्दिष्ट।	2 साल	पदोन्नति द्वारा, विलयन/प्रति नियुक्ति द्वारा, यदि दोनों न हो तो सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति. : (ए) सहायक निदेशक (अनुसंधान) से वेतनमान में पदोन्नति रु. 50000 - 160000 पांच साल की नियमित सेवा के साथ ग्रेड में विफल होना; (बी) योजना और अनुसंधान प्रभाग के संबंधित अनुशासन में वेतनमान 50000-160000 और 40000-140000 के वेतनमान के साथ 50000-160000 के वेतनमान में दो साल की नियमित सेवा और आठ साल की संयुक्त नियमित सेवा के साथ सहायक निदेशक (अनुसंधान)। अवशोषण पर प्रतिनियुक्ति: प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (a) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (ii) योजना और अनुसंधान प्रभाग में पांच साल की नियमित सेवा के साथ 50000 रुपये - 160000 रुपये के स्केल में सहायक निदेशक (अनुसंधान) या सहायक निदेशक (ईडीपी) का पद धारण करना; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।	
64	उप निदेशक (ईडीपी)	2 2026) *कार्य भार के आधार पर	श्रेणी-1	रु 50000 - 160000	चयन	35 वर्ष से अधिक न हो	क) अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की डिग्री; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त	ए) नहीं (बी) शैक्षिक योग्यता-हाँ (सी)	2	पदोन्नति द्वारा, विलयन/प्रति नियुक्ति द्वारा, यदि दोनों न हो तो सीधी	प्रतिनियुक्ति - (ए) सहायक निदेशक (ईडीपी) से वेतनमान में पदोन्नति रु. 50000 - रु. 160000 रु. 9100-15100) ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा के साथ असफल;	

		भिन्नता के अधीन				विश्वविद्यालय या संस्थान से गणित या सांख्यिकी या ऑपरेशनल रिसर्च या अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; या (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री; और (iv) प्रोग्रामिंग या इलेक्ट्रॉनिक डेटा या सिस्टम डिजाइन और विश्लेषण और संबंधित क्षेत्रों में पांच साल का अनुभव। (ख) बांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से गणित या सांख्यिकी या ऑपरेशनल रिसर्च या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सिस्टम या सूचना प्रणाली या एमआईएस या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर एप्लीकेशन या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा) में स्नातकोत्तर डिग्री, जिसमें सिस्टम या सूचना प्रणाली या एमआईएस या सूचना प्रौद्योगिकी और संबद्ध विषयों में विशेषज्ञता	अनुभव-जैसा कि कॉलम (12) में निर्दिष्ट है		भर्ती द्वारा	(बी) योजना एवं अनुसंधान प्रभाग के संबंधित अनुशासन में वेतनमान 50000-160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 9100-15100) के साथ दो वर्ष की नियमित सेवा और वेतनमान 50000-160000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 9100-15100) और 40000-140000 (पूर्व संशोधित वेतनमान 8600-14600) के साथ आठ वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा के साथ सहायक निदेशक (ईडीपी)। अवशोषण पर प्रतिनियुक्ति : प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों के अधिकारी, - (ए) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों या समकक्ष पदों पर धारण करना; या (ii) योजना और अनुसंधान प्रभाग में पांच साल की नियमित सेवा के साथ 50000 रुपये - 160000 रुपये के स्केल में सहायक निदेशक (अनुसंधान) या सहायक निदेशक (ईडीपी) का पद धारण करना; और (बी) कॉलम (9) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले।
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

							हो।					
65	सहायक निदेशक (अनुसंधान)	3 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन	श्रेणी-1	रु 50000 - 160000	चयन	30 वर्ष से अधिक न हो	आवश्यक:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित में डिग्री। वांछित डेटा के संग्रह, संकलन और व्याख्या या क्षेत्र सर्वेक्षण, जांच आदि के संचालन में दो साल का कार्यकारी अनुभव कंप्यूटर संचालन का ज्ञान मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/गणित/संचालन अनुसंधान और संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा	ए) नहीं (बी)शैक्षिक योग्यता-हाँ (सी)अनुभव -नहीं।	2 वर्ष	a) 66.66% सीधी भर्ती द्वारा; और (b) 33.33 % पदोन्नति द्वारा।	पदोन्नति :- (ए) सांख्यिकीय और अनुसंधान अधिकारी से वेतनमान रु. 40000 - 140000 के स्केल में पदोन्नति जिसमें तीन साल की नियमित सेवा में ग्रेड विफल हो गया; (बी) योजना और अनुसंधान प्रभाग के संबंधित अनुशासन में वेतनमान 36500-88700 के वेतनमान में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वर्ग-3 के कर्मचारियों को उस ग्रेड में पदोन्नति जहां उस अनुशासन में वेतनमान 40000-140000 में वर्ग-2 के पद नहीं हैं।	
66	सहायक निदेशक (ईडीपी)	4 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन	श्रेणि-1	रु 50000 - 160000	चयन	30 वर्ष सेअधिक न हो	(ए) अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की डिग्री; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से गणित या सांख्यिकी या ऑपरेशनल रिसर्च या अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री, साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; या (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री, साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन या	ए) नहीं (बी)शैक्षिक योग्यता-हाँ (सी) अनुभव- नहीं।	2 वर्ष	ए) 66.66% सीधी भर्ती द्वारा; और (बी) 33.33 % पदोन्नति द्वारा।	पदोन्नति:- (ए)सांख्यिकी एवं अनुसंधान अधिकारी से 40000-140000 रुपये के वेतनमान में तीन वर्ष की नियमित सेवा के बाद पदोन्नति; (बी) योजना एवं अनुसंधान प्रभाग के संबंधित अनुशासन में 36500-88700 रुपये के वेतनमान में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से पांच वर्ष की नियमित सेवा के बाद उस ग्रेड में पदोन्नति, जहां उस अनुशासन में 40000-140000 रुपये के वेतनमान में द्वितीय श्रेणी के पद नहीं हैं।	

						कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (बी) वांछनीय: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से गणित या सांख्यिकी या ऑपरेशनल रिसर्च या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री, या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सिस्टम या सूचना प्रणाली या एमआईएस या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर एप्लीकेशन या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर डिग्री (स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा) जिसमें सिस्टम या सूचना प्रणाली या एमआईएस या सूचना प्रौद्योगिकी और संबद्ध विषयों में विशेषज्ञता हो; (ii) प्रोग्रामिंग या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या सिस्टम विश्लेषण आदि में दो साल का अनुभवान से					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

सतर्कता विभाग में श्रेणी - 1 पदों के लिए भर्ती नियम

क्रसं.	पदों का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयन पद है या गैर चयन	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) शैक्षणिक (ख) आयु अनुभव (ग) योग्यताएं /विलयन/पदोन्नति प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होगा।	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती या) /पदोन्नति /विलयन प्रतिनियुक्ति (द्वार	पदोन्नतिप्रतिनियुक्ति के /विलयन/ मामले में किस श्रेणी से पदोन्नति की जाती है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

67	मुख्य सतर्कता अधिकारी	1 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन	श्रेणी-1 विभागा ध्यक्ष	मूल विभाग में भुगतान करें	चयन	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	अखिल भारतीय/केन्द्री य सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति: अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जो मूल संवर्ग या भारत सरकार के विभाग में नियमित आधार पर पे मैट्रिक्स में लेवल-13 (रु. 123100-215900) में निदेशक या पे मैट्रिक्स में लेवल- 12 (रु. 78800-209200) में उप सचिव के पद पर कार्यरत हों।	प्रतिनिधिमं डल कार्यकाल केंद्रीय सतर्कता आयोग या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशानिर्दे शों के अनुसार होगा।
68.	उप मुख्य सतर्कता अधिकारी	1 2026) *कार्य भार के आधार पर भिन्नता के अधीन	श्रेणी -I	रु 60000 - 180000	चयन	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति: प्रमुख पत्तन प्राधिकरणों या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या सरकारी कंपनियों के अधिकारी, - (ए)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश या समकक्ष पद धारण कर रहे हों; या (ii) ऐसे अधिकारी जो 50000 - 160000 रुपये के वेतनमान में पद धारण कर रहे हों और उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।	

जे.एस. बिंद्रा, आई.आर.टी., एस अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./261/2026-27]

VISAKHAPATNAM PORT AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th July, 2026.

F. No. PR-24021/11/2024-PE-I.— Whereas a draft of the Visakhapatnam Port Authority Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2024, were published as required by sub-section (1) of section 72 of the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021) (hereinafter referred to as the said Act), *vide* notification No. IGAD/A&B/RS&P/2024/4294, dated the 30th October, 2024 and published in the Andhra Pradesh Gazette, in Part I, dated the 21st December, 2024, for inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 21st December, 2024;

And whereas no objections and suggestions has been received from the public in respect of the said draft regulations by the Board of the Visakhapatnam Port Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (c) and (i) of sub-section (2) of section 72 of the said Act, and in supersession of the Visakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Board of Visakhapatnam Port Authority, with the approval of the Central Government hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the Visakhapatnam Port Authority Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2026.

(2) They shall come in to force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. Application. – These regulations shall apply to all posts specified in the Schedule annexed to these regulations.

3. Definitions. - In these regulations, unless the context otherwise requires, –

- (a) "Act" means the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021);
- (b) "analogous post" means a post in respect of which the duties and level of responsibilities and the pay ranges are comparable to those of the post to which selection is to be made;
- (c) "Appointing Authority" in relation to any grade or post, means the authority empowered to make appointment to that grade or post;
- (d) "Board" means Board of Visakhapatnam Port Authority;
- (e) "Departmental Promotion Committee" means a committee constituted from time to time under regulation 26 for the purpose of making recommendation for promotion or confirmation to any grade or post;
- (f) "direct recruit" means a person recruited on the basis of a competitive examination or test or interview by the Service Selection Committee;
- (g) "employee" means an employee of the Board;
- (h) "grade" means any of the grades specified against the list of employees prepared under section 20 of the Act;
- (i) "lien" means the title of an employee to hold on regular basis, either immediately or on the termination of a period or periods of absence, a post to which he has been appointed on regular basis and on which he is not on probation: Provided that the title to hold a regular post shall be subject to the condition that the junior-most person in the grade will be liable to be reverted to the lower grade if the number of persons so entitled is more than the posts available in that grade;
- (j) "permanent employee" means an employee who has been substantively appointed to a permanent post;
- (k) "regular service", in relation to any grade, means the period or periods of service in that grade rendered after selection and appointment thereto on regular basis and includes-
 - (i) any period or periods taken into account for the purpose of seniority in case of persons already in service at the time of notification of these regulations; and
 - (ii) any period or periods during which an employee would have held a post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts;
- (l) "Schedule" means the Schedule appended to these regulations;

- (m) “Scheduled Caste” and “Scheduled Tribes” shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution;
- (n) “select list”, in relation to any grade or post, means the select list prepared in accordance with regulation 13 for that grade or post;
- (o) “selection post” means a post to which selection is to be made on the basis of merit;
- (p) “Services Selection Committee” means the Committee constituted under regulation 12 for the selection of candidates by means of a written test, a trade test and interview for appointment to posts reserved for direct recruitment; and
- (q) “temporary employee” means an employee holding a temporary post or officiating in a permanent post or on probation in his appointment in the service of the Board;

The words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

4. Manner of appointment. – (1) All appointments to the posts specified in the Schedule shall be made in accordance with these regulations.

(2) The normal period of deputation shall be three years which is extendable upto four years:

Provided that in exceptional circumstances, the period of deputation may be further extended to a maximum period of five years by the Central Government in case of posts designated as the Head of Department and by the Chairperson in the case of any other post below the level of Head of Department:

Provided further that in the case of appointment to the posts of Head of Department and one level below the Head of Department, all vacancies shall be filled by transfer or deputation on absorption basis, failing which by deputation and failing both, by direct recruitment.

5. Schedule. – (1) The manner of appointment, qualifications, age, education, training, experience, classification of posts and other matters connected with the appointments to various Class-I posts shall be as specified in the Schedule.

(2) In the case of Class-II posts, Class-III posts and Class-IV posts, the manner of appointment shall be as laid down by the Board from time to time.

(3) The eligibility requirements prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotion to the extent mentioned in column (8) of the Schedule and requirement of experience for promotion will be as prescribed in column (12) of the Schedule:

Provided that the prescribed upper age-limits may be relaxed by the Central Government in case of appointment to the post of Head of Department and by Chairperson in all other cases, for reasons to be recorded in writing, in all cases of direct recruitment or absorption or deputation as under:

(i) upto five years where the minimum experience prescribed is ten years or more and upto three years where the minimum experience prescribed is five to nine years;

(ii) in the case of a candidate who is an Ex-service person, having not less than six months continuous service in the Defence Forces, upto the extent of the service rendered by him in the Defence Forces plus three years, where the vacancy to be filled is a vacancy reserved for such Ex-service person and dependents of those killed in action and upto the extent of the service rendered by him in the Defence Forces, where the vacancy to be filled is an unreserved vacancy; and

(iii) in the case of a candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes, in accordance with such orders as the Central Government may issue from time to time in this regard:

Provided further that the requirement of experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

6. Roster of vacancies. – (1) A roster shall be maintained for each grade to fill up the vacancies either by direct recruitment or by promotion.

(2) If a vacancy which is reserved for direct recruitment cannot be filled by direct recruitment, it may be filled by promotion and the next vacancy shall be filled by direct recruitment, and vice versa.

7. Reservation. – (1) Orders issued by the Central Government from time to time for reservation in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall apply *mutatis mutandis* to all appointments covered by these regulations, to which direct recruitment or promotion is made.

(2) Orders issued by the Central Government from time to time for the reservation of posts in favour of the Other Backward Classes, the Ex-service persons and dependents of those killed in action, the sportspersons and persons with disability, shall also apply *mutatis mutandis* to appointments covered by these regulations, to which direct recruitment is made.

8. Nationality, character, physical fitness, etc., for direct recruitment. – (1) In order to be eligible for direct recruitment to any grade or post, a candidate must be—

- (a) a Citizen of India; or
- (b) a subject of Nepal; or
- (c) a subject of Bhutan; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Myanmar, Srilanka or the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category specified in clause (a) shall produce such proof of his nationality as the Chairperson may, from time to time require:

Provided further that a candidate belonging to categories specified in clauses (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India:

Provided also that a candidate in whose case the proof of nationality or a certificate of eligibility is necessary, may be provisionally appointed pending the production by him of the necessary certificate in his favour from the Central Government and in such cases, the provisional appointment shall not exceed a period of one year.

(2) The Chairperson may, with the prior approval of the Central Government, modify or waive any of the requirements of sub-regulation (1) when an appointment for work of a special nature is to be made and it is not practicable to obtain a suitable candidate who fulfils the requirements of these regulations.

(3) No person, –

- (a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any grade or post to which these regulations apply:

Provided that the Central Government in case of Head of Department and the Chairperson in all other cases, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this sub-regulation.

(4) No candidate who has been convicted by a court of law for an offence involving moral turpitude or who has been adjudged as an insolvent shall be eligible for appointment to a grade or post.

(5) A candidate shall be in good mental and physical health and free from any physical defects likely to interfere with the discharge of his duties as an employee of the Board:

Provided that a candidate who, after such physical examination as the Central Government in case of Head of Department, and the Chairperson in all other cases, may specify, is found not to satisfy those requirements, shall not be appointed.

(6) If any question arises whether a candidate does or does not satisfy all or any of the requirements of this regulation, the same shall be decided by the Central Government in case of Head of Department and by the Chairperson, in all other cases.

9. Eligibility of existing employees for direct recruitment. – When the posts are required to be filled by direct recruitment, employees of the Board of any Major Port Authorities possessing the prescribed qualifications and experience shall also be eligible to apply:

Provided that the age-limit in such cases shall not exceed fifty-five years.

10. Advertisement of vacancies. – (1) The vacancies of Class-III posts and Class-IV posts, to be filled by direct

recruitment shall first be notified to the local Employment Exchange.

(2) If sufficient number of eligible and suitable candidates are not available through the Employment Exchange, such vacancies shall be advertised in newspapers, having wide circulation, published within the State.

(3) The vacancies in Class-I posts and Class-II posts to be filled by direct recruitment shall be advertised in the national and local newspaper as well as in the Employment News.

(4) The crucial date for determining the qualifications, experience and age-limit, shall be the first day of the month in which the post is notified or advertised, unless otherwise specified.

11. Conduct of written skill tests in certain cases. – (1) The Appointing Authority may decide whether a written or a skill test or both should be held and also name the officers who shall hold the said test and the manner in which the test shall be held and other details thereof.

(2) It shall be open to the Appointing Authority to engage a consultant or a firm of consultants to conduct a written or skill test.

12. Services Selection Committee. – (1) The Services Selection Committee for various posts shall be as specified below, namely: –

(a) For Head of Departments:

(i) Joint Secretary of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways looking after the charge of PHRD	Chairman
(ii) Chairperson or Deputy Chairperson of the Port	Member
(iii) Any other Port Chairperson or an Officer having wide experience in the field to be nominated by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways	Member
(iv) Representative of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes nominated by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways	Member

(b) For Class-I posts:

(i) Chairperson	Chairman
(ii) Deputy Chairperson	Member
(iii) Head of Department in charge of the Department in which the vacancy to be filled	Member
(iv) Head of Department in charge of General Administration Department	Member
(v) Representative of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes nominated by the Chairperson	Member

(c) For Class-II posts:

(i) Deputy Chairperson	Chairman
(ii) Head of the Department in which the vacancy to be filled	Member
(iii) Head of Department in charge of General Administration Department	Member
(iv) Representative of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes nominated by the Chairperson	Member

(d) For Class-III and Class-IV posts (Common Categories):

(i) Deputy Chairperson or Head of Department nominated by the Chairperson of the Board	Chairman
(ii) Head of Department in charge of General Administration Department	Member
(iii) A senior officer in the grade not below the pay scale Rs. 80000-220000 to be nominated by the Chairperson	Member
(iv) Representative of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes nominated by the Chairperson	Member

(e) For Class-III and Class-IV posts (Uncommon Categories):

(i) Head of Department, where the vacancy to be filled	Chairman
(ii) Head of Department in charge of General Administration Department	Member
(iii) A senior officer of the concerned Division in the grade not below the pay scale Rs. 80000-220000 to be nominated by the Chairperson	Member
(iv) Representative of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes nominated by the Chairperson	Member

Note 1: The Appointing Authority may also nominate any person not in the service of the Board to be a member of a Services Selection Committee if such person is specialised in the relevant field.

Note 2: Where any member of the Services Selection Committee is not available, the Appointing Authority may nominate another officer of appropriate level in his place to attend the meeting.

(2) Where the recruitment to vacancies in grades common to more than one department is made in a common selection, the composition of the Committee shall be decided by the Chairperson in each case.

13. Select list. – (1) The Services Selection Committee may recommend, in the order of merit, as adjudged by it, the names of the selected candidates to be kept on a select list for consideration of appointment to posts earmarked for direct recruits.

(2) The select list shall be valid for a period of twelve months from the date on which the list is approved by the Appointing Authority and the Appointing Authority may extend the validity of the list for a period not exceeding six months or until a fresh select list is approved, whichever is earlier.

14. Consideration of recommendations of Services Selection Committee and ad hoc appointments. – All appointments by direct recruitment shall be made by the Appointing Authority on the recommendations of the

concerned Services Selection Committee:

Provided that it shall be open to the Appointing Authority, for reasons to be recorded in writing, not to accept the recommendations of the Services Selection Committee:

Provided further that where the Appointing Authority is an authority subordinate to the Chairperson and the authority disagrees with such recommendations, it shall record its reasons for such disagreement and submit the case to the Chairperson who shall decide the same:

Provided also that in the case of a purely temporary post, a leave vacancy or a vacancy earmarked for direct recruitment requiring immediate filling up, the Chairperson may appoint a person who is eligible to fill the vacant post for a period of six months at a time and not exceeding one year on ad hoc basis, subject to the following conditions, namely: –

- (a) ad hoc appointment, where unavoidable, shall be made only strictly subject to fulfilling the qualifications and experience provided in the recruitment regulations;
- (b) total period of appointment to temporary post will not exceed the tenure of the post;
- (c) in other cases, the temporary appointment shall be replaced by a regular appointment from the select list.

15. Canvassing support a disqualification. – Any endeavor on the part of a person to canvas support by direct or indirect method for appointment to a post or for promotion to a higher post shall disqualify him for the appointment or promotion.

16. Suppression of facts a disqualification. – Any candidate who is found to have knowingly furnished any particulars which are false or have suppressed material information of a character, which if known, would ordinarily have debarred him from getting an appointment to a grade or post, is liable to be disqualified, and, if appointed, to be dismissed from service.

17. Cancellation of appointment order. – If a candidate selected for the post earmarked for direct recruits fails to join duty within the date mentioned in the offer of appointment and where no such date is mentioned, within thirty days of the date of issue of the offer of appointment or within such extended period as the Appointing Authority may agree, the offer of appointment shall be deemed to have been cancelled.

18. Payment of traveling allowance for attending interview. – In the case of posts filled by direct recruitment, all journeys which the candidates (including persons already in the service of the Board) may have to perform for the purpose of written and practical tests or interviews, shall be at their own cost:

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes called for written or trade tests or interview shall be granted traveling allowance equal to first class rail fare by shortest practicable route, both ways, on production of proof to the effect that the candidate has actually performed the inward journey.

19. Probation period.– (1) Every person appointed to a post by direct recruitment or promotion or absorption shall, subject to the provisions of sub-regulations (2), (3) and (4), be on probation for a period of two years, except in case of persons appointed on absorption basis for the posts of Head of Departments and Deputy Head of Departments carrying the scales of pay of Rs.80000-220000 and above:

Provided that where the appointment itself is for a period specified in the appointment order, such appointment shall stand terminated on the expiry of such period, unless such period is extended by the Appointing Authority:

Provided further that, when the appointment is made by the direct recruitment and the post carries a scale of pay, the maximum of which does not exceed Rs.88700, the period of probation shall be one year:

Provided also that, if an employee on promotion to a grade or a post is appointed to officiate in a higher grade or posts, he shall be eligible to count the duration of his appointment to a higher grade or posts to complete probation in his lower grade or post; or if an employee has previously been appointed to officiate in a grade or post, he may on appointment to the similar grade or post on probation will be eligible to count such officiating period (excluding ad hoc service) to complete probation in the grade or post.

(2) There shall not be any probation in case of appointment by promotion within Class-III and Class-IV grades.

(3) The period of probation may, if the Appointing Authority deems necessary, be extended for a specific period at a time, but the total period of such extensions shall not exceed one year except where any extension is necessary

by reason of any departmental or legal proceedings pending against the employee.

(4) During the period of his probation an employee may be required to undergo such departmental training and pass such departmental tests as the Appointing Authority may, from time to time specify in this behalf.

20. Confirmation of employees on probation. – (1) An officer who has successfully completed the probation may be considered for confirmation.

(2) Every case of confirmation shall be placed before Departmental Confirmation Committee and a specific order of confirmation shall be issued when the case is cleared from all aspects.

(3) In case where the probation on promotion for any post is not specified under these regulations, an officer promoted on regular basis will have all the benefits that the person confirmed in that grade would have:

Provided that where probation is prescribed, the Appointing Authority, on completion of the prescribed period of probation, shall assess the work and conduct of the officer and if the officer is fit to hold the higher grade, Appointing Authority will pass an order declaring either that the person concerned has successfully completed the probation or if the work of the officer has not been satisfactory or needs to be watched for some more time, Appointing Authority may revert the officer to the post or grade from which he was promoted or extend the period of probation, as the case may be.

(4) A person appointed against a permanent post on direct recruitment with definite conditions of probation shall be confirmed in the grade with effect from the date on which he successfully completes the period of probation.

(5) The decision, whether a person shall be confirmed or to extend his probation, shall be taken soon after the expiry of the initial probationary period, ordinarily within six to eight weeks and communicated to the employee together with the reasons in case of extension:

Provided that a person appointed against a permanent post with definite conditions of probation shall be confirmed in the grade with effect from the date on which he successfully completes the period of probation and not from the date of the meeting of the Departmental Confirmation Committee.

(6) A probationer who is found not making satisfactory progress or who shows himself to be inadequate for the service shall be informed of his shortcomings well before the expiry of the original probationary period of probation to enable him to make severe efforts at self-improvement.

(7) The Department Confirmation Committee shall not determine the relative grading of officers but only decide whether they shall be declared to have completed the probation satisfactorily and if the performance of any probationer is not satisfactory, the Department Confirmation Committee may advise that the period of probation should be extended or officers should be discharged from service.

21. Discharge or reversion of employees on probation. – (1) If on the advice of the Departmental Confirmation Committee, an employee on probation in his first appointment is not considered fit on the basis of his conduct or performance, he shall be discharged from the service of the Board.

(2) If an employee on probation who holds a lien on a post does not complete the period of probation as specified under regulation 19 to the satisfaction of the Appointing Authority, he may be reverted to the post on which he holds a lien.

(3) If an employee on probation who does not hold a lien on a post is considered unfit for further retention in that post on the basis of his performance or conduct or failure to pass the departmental test if required, he shall be liable to be discharged from service.

22. Departmental test for promotion or confirmation in certain cases. – (1) The Chairperson may specify, from time to time, the posts, confirmation in or promotion to which, shall be subject to the passing of qualifying departmental test, if any.

(2) The Chairperson may also specify, from time to time, the details of the qualifying departmental test such as the procedure for holding the test, the syllabus for the test, the intervals at which the test shall be held, the maximum period within which the test shall be passed by the candidates, etc.

23. Reversion due to failure in departmental test. – (1) An employee promoted to a post shall pass such qualifying departmental test, if any, as may be specified by the Chairperson from time to time, within such period, as may be specified by him, failing which the employee shall be reverted.

(2) When the passing of a test is specified as a condition precedent to promotion to a higher post, no employee shall be considered for promotion to such a post, until he passes the prescribed test.

24. Seniority list. – (1) An up-to-date gradation list indicating the inter-se-seniority of the employees shall be maintained for each grade.

(2) The list shall be circulated every year and the list shall indicate separately the permanent and temporary employees in each grade.

25. Fixation of seniority. – (1) The seniority of persons directly recruited to a grade and persons appointed on the basis of departmental promotion shall be assigned inter-se-seniority according to rotation of vacancies between direct recruits and promotees which shall be based on the quota of vacancies in the grade reserved for direct recruitment and promotion as indicated in the Schedule.

(2) The direct recruits shall be ranked inter-se in the order of merit in which they are placed in the select list on the basis of their performance in the examination or interview, or both, the recruits of an earlier select list being ranked senior to those of a later select list.

(3) The persons appointed against promotion quota of vacancies shall be ranked inter-se according to the order in which they are approved for promotion by the Departmental Promotion Committee.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (3) above, the seniority already determined prior to the commencement of these regulations shall remain unaffected.

26. Departmental Promotion Committee. – (1) There shall be a Departmental Promotion Committee for each grade or post to recommend a panel of employees for appointment to different posts by promotion in accordance with these regulations.

(2) The composition of the Departmental Promotion Committee will be the same as that of the Services Selection Committee as laid down in regulation 12 and the validity of the panel shall be the same as mentioned in regulation 13.

27. Field of selection for promotion. – (1) Where one or more posts in a grade are required to be filled by promotion through selection method from employees holding posts in the feeder grade in accordance with these regulations, the employees holding the eligible posts and having the prescribed qualifications and experience for promotion shall be considered for promotion if they fall within the zone of consideration.

(2) The following procedure shall be observed while recommending employees for promotion through selection method, namely: –

- (a) the Departmental Promotion Committee shall determine the merit of those being assessed for promotion with reference to the prescribed benchmark and accordingly grade the officers as “fit” or “unfit” and only those who are graded “fit” shall be included and arranged in the select list in order of their inter- se seniority in the feeder grade and those officers who are graded as “unfit” shall not be included in the select list;
- (b) the Departmental Promotion Committee shall also consider the cases of eligible employees who are on foreign service or on study leave;
- (c) the instructions issued by the Government from time to time on procedure to be followed in the Departmental Promotion Committee proceedings in respect of Government servants shall *mutatis mutandis*, apply; and
- (d) for absorption to the post carrying pay scale of Rs.80000-220000 and above, the benchmark in the overall grading shall be ‘Very Good’ and in all other cases, the benchmark shall be “Good”.

(3) For promotion to non-selection posts where no bench mark is specified, the criteria for selection shall be “seniority- cum-fitness”.

28. Adhoc appointments.— (1) In case of immediate necessity when a panel recommended by the Departmental Promotion Committee has been used up, the Appointing Authority may make a purely ad hoc appointment to a post, by appointing the senior most eligible and suitable employee in the feeder grade or post upto a period of six months at a time and not exceeding one year, or till a new panel is recommended by the Departmental Promotion Committee, whichever is earlier.

(2) The ad hoc appointment, where unavoidable, shall be made only strictly subject to fulfilling the qualifications and experience provided in these regulations.

29. Compassionate appointments. – Notwithstanding anything contained in these regulations, the Chairperson may dispense with the normal procedure of recruitment prescribed in these regulations and appoint to a Class–III post or Class–IV post, the legitimate son or daughter or the surviving spouse of an employee of the Board, who dies while in service, if the person to be so appointed possess the prescribed qualifications and experience and is otherwise found suitable.

30. Interpretation.— In the application of these regulations, all the instructions of the Central Government, as amended from time to time, which are not contrary to any of the provisions of these regulations and all instructions issued from time to time by the Central Government which cover matters not specifically covered in these regulations, will be followed and where a doubt arises as to the interpretation of any of these regulations, the matter shall be referred to the Chairperson for a decision whose decision shall be final and binding.

SCHEDULE
(See regulation - 5)

VISAKHAPATNAM PORT AUTHORITY

CLASS-I POSTS OF GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT (MAIN ADMINISTRATION)

Sl. No.	Name of the posts.	Number of posts.	Classification	Scale of pay.	Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age, educational qualifications, experience prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion or deputation/absorption.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	Remarks.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Secretary (Category -I Ports).	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I (Head of Department).	Rs.120000-280000.	Selection.	Not exceeding forty-five years of age.	(a) Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised University; and (ii) seventeen years' experience in executive cadre in the field of General Administration or Personnel or Industrial Relations, etc., in an Industrial or Commercial or Government Undertaking. (b) Desirable:	(a) Age-No; (b) Educational qualifications-Yes; (c) Experience-No.	Not applicable.	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, officers holding analogous posts or the post of Secretary in category-II ports with two years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.90000- 240000 (pre-revised Rs.17500-22300) with four years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.80000-220000(pre-revised Rs.16000-20800) with five years regular service in the grade in the General Administration / Human Resources Development Department. of a Major Port Authority will be eligible. For	

						Post Graduate degree or diploma in Personnel Management or Industrial Relations or Social Work or Labour Welfare or allied subjects or Degree in Law from a recognised University or a recognised institute.				deputation, officers holding analogous posts or post of Secretary and equivalent posts in GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT /HRD in the scale of pay of Rs.100000-260000(pre-revised Rs.18500-23900) with two years regular service in the grade or officers holding posts of Senior Deputy Secretary and equivalent posts in the General Administration / Human Resources Development Department in the scale of pay of Rs.80000-220000 (pre-revised Rs.16000-20800 and above with five years regular service in the grade in Government / Semi Government / PSUs or Autonomous bodies will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the Annual Confidential Reports will not be below "Very good".	
2.	Senior Deputy Secretary.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs. 80000–220000.	Selection.	Not exceeding forty-two years of age. (a) Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised University; and (ii) twelve years' experience in executive cadre in the field of General Administration or Personnel or Industrial Relations, etc., in an Industrial or Commercial or Government Undertaking. (b) Desirable:	(a) Age-No; (b) Educational qualifications- Yes; (c) Experience-No.	Not applicable.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Government organizations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, officers holding analogous posts or the post of Deputy Secretary and equivalent posts in the respective disciplines of General Administration Department (Such as CPRO/Deputy Estate Manager/Deputy Chief Law Officer/ Personnel Officer) in the scale of pay of Rs 60000 – 180000 (Pre revised Rs.13000–18250) with three years regular service in the grade in a Major Port Authority or Deputy Secretary and equivalent posts in the respective discipline of General Administration	

							Post Graduate Degree or Diploma in Personnel Management or Industrial Relations or Social Work or Labour Welfare or allied subjects or Degree in Law from a recognised University or institute.				Department with two years regular service in the grade and a combined regular service of seven years in the scales of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.10750-16750) and Rs.60000–180000(PrerevisedRs.13000 – 18250) in the respective discipline of General Administration Department in a Major Port Authority will be eligible. For deputation, officers holding analogous posts or post of Deputy Secretary and the equivalent post in the respective discipline of General Administration Department in the scale of pay of Rs 60000 – 180000 (Pre revisedRs.13000 – 18250) in Government / Semi Government / Public Sector undertakings or autonomous bodies with three years regular service in the grade will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the Annual Confidential Reports will not be below “Very good”.	
3.	Deputy Secretary.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs. 60000-180000.	Selection .	Not exceeding forty years of age.	(a) Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised University; and (ii) nine years' experience in executive cadre in the field of General Administration or Personnel or Industrial Relations, etc., in an Industrial or Commercial or	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-Yes; (c)Experience-No.	Two years.	By promotion failing which /Deputation, failing both by direct recruitment	Promotion from Senior Assistant Secretary (existing Deputy Secretary) in the scale of pay of Rs50000–160000 (Pre-revised Rs.10750-16750) with four years regular service in the grade failing which Senior Assistant Secretary(existing Deputy Secretary) (such as PRO/Senior Assistant Estate Manager / SLO/ Deputy Personnel Officer/ Senior Welfare Officer)in the scale of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revisedRs.10750-	

							Government Undertaking. (b) Desirable: Post Graduate Degree or Diploma in Personnel Management or Industrial Relations or Social Work or Labour Welfare or allied subjects or Degree in Law from a recognised University or recognised institute.				16750) with two years regular service in the grade and a combined regular service of nine years in the scales of pay of Rs 50000 –160000 (Pre revised Rs.10750-16750) and Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100-15100)in the respective Discipline of General Administration Department. Absorption / deputation will be of officers holding analogous posts or post of Senior Assistant Secretary (existing Deputy Secretary) – in the scale of pay ofRs 50000 – 160000 (Pre revisedRs.10750-16750) with four years regular service in the grade in a Major Port Authority.	
4.	Senior Assistant Secretary.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs. 50000-160000.	Selection .	Not exceeding thirty-five years of age.	(a) Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised University; and (ii) five years' experience in executive cadre in the field of General Administration or Personnel or Industrial Relations, etc., in an Industrial or Commercial or Government Undertaking. (b) Desirable: Post Graduate Degree or Diploma in Personnel Management or Industrial Relations or	(a)Age-No; (b)Educational qualifications- Yes; (c)Experience- As specified in column (12)	Two years.	By promotion failing which by absorption /deputation, failing both by direct recruitment	Promotion from Assistant Secretary Grade-I (existing Assistant Secretary (Class-I) in the scale of pay of Rs 50000 – 160000(Pre revised Rs.9100-15100) with five years regular service in the grade failing which Assistant Secretary. Grade-I (existing Assistant Secretary (Class-I) in the scale of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100-15100) with two years regular service in the grade and a combined regular service of eight years in the scales of pay of Rs.50000-160000(pre revised Rs.9100-15100 and Rs.40000-140000 (pre-revised Rs.8600-14600) in the respective discipline of General Administration Department. Absorption /deputation will be of officers holding an analogous posts or	

							Social Work or Labour Welfare or allied subjects or Degree in Law from a recognised University or recognised institute.				post of Assistant Secretary. (Grade-I) (existing Assistant Secretary (Class-I) in the scale of pay of Rs.50000–160000 (Pre revised Rs.9100- 15100) with five years regular service in the grade in a Major Port Authority.	
5.	Assistant Secretary Grade I.	2* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class- I.	Rs.50000-160000.	Selection .	Not exceeding thirty years of age.	(a) Essential: Bachelor's degree from a recognised University. (b) Desirable: (i) Post Graduate Degree or Diploma in Personnel Management or Industrial Relations or Social Work or Labour Welfare or allied subjects or Degree in Law from a recognised University or recognised institute; (ii) two years' experience in executive cadre in the field of General Administration or Personnel or Industrial Relations, etc., in an industrial or commercial or Government undertaking.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-Yes; (c)Experience-No.	Two years.	(a) 66.66% by direct recruitment; and (b) 33.33% by promotion.	Promotion from Assistant Secretary Grade-II (existing Assistant Secretary (Class-II) in the scale of pay Rs. 40000 – 140000 (Pre revised Rs.8600-14600) with three years regular service in the grade. OR From Class-III employees in the scale of pay of Rs 36500 – 88700 (Pre revised Rs.6170-11975) in the respective discipline of General Administration Department with five years regular service in the grade where there are no Class-II posts in the pay scale of Rs 40000 – 140000 (Pre revised Rs.8600-14600) in that discipline.	
6.	Deputy Chief Law Officer.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs. 60000–180000.	Selection .	Not exceeding forty years of age.	(a) Essential: (i) Bachelor's degree in Law from recognised University; and (ii) nine years executive experience in a legal establishment of an	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-Yes; (c)Experience-No.	Two years.	By promotion failing which by absorption/dep utation, failing both by direct recruitment	Promotion from Senior Law Officer in the scale of pay of Rs 50000 – 160000(Pre revised Rs.10750-16750) with four years regular service in the grade failing which Senior Law Officer in the scale of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised	

							Industrial or Commercial or Government undertakings. (b) Desirable: Post graduate degree in Law from a recognised University.				Rs.10750-16750) with two years regular service in the grade and a combined regular service of nine years in the scales of pay of Rs 50000 –160000 (Pre revised Rs.10750-16750) & Rs. 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100 - 15100)in the discipline of Legal Division Absorption / deputation will be of officers holding analogous posts or Senior Law Officer or equivalent post in the discipline of legal division in the scale of pay of Rs. 50000 – 160000(Pre revised Rs.10750-16750) with four years regular service in the grade in a Major Port Authority.	
7.	Senior Law Officer.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs. 50000–160000.	Selection .	Not exceeding thirty-five years of age.	(a) Essential: (i) Bachelor's degree in Law from a recognised University; and (ii) five years' executive experience in a legal establishment of an Industrial or Commercial or Government undertakings. (b) Desirable: Post graduate degree in Law from a recognised University.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-Yes; (c)Experience-No.	Two years.	By promotion failing which by deputation/absorption, failing both by direct recruitment.	Promotion from Law Officer Grade-I (existing Law Officer (Class-I) in the scale of Pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100-15100) with five years regular service in the grade failing which Law Officer Grade-I (existing Law Officer (Class-I)in the scale of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100- 15100) with two years regular service in the grade and a combined regular service of eight years in the scales of pay Rs 50000– 160000 (Pre revised Rs.9100-15100) and Rs 40000 – 140000 (Pre revised Rs.8600-14600) in the discipline of Legal Division.	

											Deputation/Absorption from Officers holding analogous posts or Law Officer Grade-I (existing Law Officer (Class-I) or equivalent posts in the discipline of Legal division in the scale of pay Rs 50000 – 160000 (Pre-revised Rs.9100-15100) with five years regular service in the grade in a Major Port Authority.	
8.	Law Officer Grade I.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs. 50000–160000.	Selection .	Not exceeding thirty years of age.	(a) Essential: Bachelor's degree in Law from a recognised University. (b) Desirable: (i) two years' executive experience in a legal establishment of an Industrial or Commercial or Government under takings; (ii) Post graduate degree in Law from a recognised University.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-Yes; (c)Experience-No.	Two years.	(a) 66.66% by direct recruitment; and (b) 33.33% by promotion.	Promotion from Law Officer Grade-II (existing Law Officer (Class-II) in the scale of pay of Rs 40000 – 140000 (Pre revised Rs.8600-14600) with three years regular service in the grade. OR From Class-III Employees in the scale of pay of Rs.36500 -88700 (Pre-revised Rs.6170-11975) in the discipline of legal division with five years regular service in the grade where there are no class-II posts in the pay scale of Rs 40000 – 140000 (Pre revised Rs.8600- 14600) in that discipline.	

CLASS-I POSTS OF PERSONNEL AND INDUSTRIAL RELATION DIVISION (HUMAN RESOURCE DEPARTMENT) UNDER THE GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Sl. No.	Name of the posts.	Number of posts.	Classification.	Scale of pay.	Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age; educational qualifications; experience prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion or deputation/absorption.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	Remarks.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9.	Senior Personnel Officer.	2* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs. 80000–220000.	Selection.	Not exceeding forty-two years of age.	(a) Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and (ii) twelve years' experience in an executive cadre in the field of General Administration or Personnel or Industrial relations, etc., in an or Industrial or Commercial or Government undertaking. (b) Desirable: Post graduate degree or diploma in personnel management or industrial relations or social work or Labour Welfare or or	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-Yes; (c)Experience-No.	Two years.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Government organizations and failing both by direct recruitment. failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, officers holding analogous posts or the post of Personnel Officer or Officers holding equivalent posts in the respective discipline of Personnel and Industrial Relation Division in the scale of pay of Rs. 60000 – 180000 (Pre revisedRs.13000-18250) with three years regular service in the Grade in a Major Port Authority or Personnel Officer or equivalent officer in the respective discipline of Personnel and Industrial Relation division with two years regular service in the grade and a combined regular service of	

							allied subjects or degree in Law from a recognised University or recognised institute.				seven years in the scales of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.10750-16750) and Rs.60000–180000 (Pre-revised Rs.13000-18250) in the respective discipline of Personnel and Industrial Relation Division of Major Port Authority will be eligible. For deputation, officers holding analogous posts or holding posts of Personnel Officer or equivalent posts in respective discipline of Personnel and Industrial Relation Division in the scale of pay of Rs 60000 – 180000 (Pre revisedRs.13000-18250)in Government/ Semi Government/ PSU's or Autonomous bodies with three years regular service in the grade will be eligible. The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the Annual Confidential Reports will not be below "Very good".	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10.	Personnel Officer.	2* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.60000 – 180000.	Selection.	Not exceeding forty years of age.	(a) Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and (ii) nine years' experience in executive cadre in the field of General Administration or Personnel or Industrial relations etc., in an Industrial or Commercial or Government undertaking. (b) Desirable: Post graduate degree or diploma in personnel management or industrial relations or Social work or Labour Welfare or allied subjects or degree in a Law from a recognised University or institute.	(a) Age-No; Two years. (b) Educational qualifications-Yes; (c) Experience-No.	By promotion, failing which by deputation/absorption, failing both by direct recruitment.	Promotion from Deputy Personnel Officer/ Senior Welfare Officer / in the scale of pay Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.10750-16750) with four years regular service in the grade failing which Deputy Personnel Officer / Senior Welfare Officer / with two years regular service in the grade and a combined regular service of nine years in the scales of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre-revised Rs.10750-16750) and Rs.50000–160000 (Pre-revised Rs.9100-15100) in the respective discipline of Personnel and Industrial Relation Division. Deputation/Absorption will be of Officers holding analogous posts or Deputy Personnel Officer / Senior Welfare Officer/ or equivalent posts in the respective discipline of Personnel and Industrial Relation Division in the scale of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.10750-16750) with 4yrs regular service in the grade in a Major Port Authority.	
11.	Deputy Personnel Officer.	2* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000 – 160000.	Selection.	Not exceeding thirty-five years of age.	(a) Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised University or institute; and (ii) five years' experience in executive cadre in the field of General Administration or	(a) Age-No; Two years. (b) Educational qualifications-Yes; (c) Experience-No.	By promotion, failing which by deputation/absorption, failing both by	Promotion from Assistant Personnel Officer Grade-I (existing designation of ASSISTANT PERSONNEL OFFICER (Class-I) and Welfare Officer (existing Labour Officer) in the scale of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised	

							Personnel or Industrial relations, etc., in an Industrial or Commercial or Government undertaking. (b) Desirable: Post graduate degree or diploma in personnel Management or Industrial Relations or Social work or Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised University or institute.			direct recruitment .	Rs.9100-15100) with five years regular service in the grade failing which Assistant Personnel Officer Grade-I (existing designation of Assistant Personnel Officer(Class-I) and Welfare Officer (existing Labour Officer) in the scale of pay of Rs 50000 – 160000(Pre revised Rs.9100-15100) with two years regular service in the grade and a combined regular service of eight years in the scales of pay of Rs 50000 –160000 (Pre revised Rs.9100-15100)&Rs 40000 – 140000 (Pre revised Rs 8600 – 14600 in the respective discipline of Personnel and Industrial Relation Division Absorption / deputation will be of Officers holding analogous posts or Assistant Personnel Officer (Grade-I) (existing designation of Assistant Personnel Officer(Class-I)and Welfare Officer (existing Labour Officer) or equivalent posts in the respective discipline of Personnel &Industrial Relation Division in the scale of pay of Rs 50000– 160000 (Pre-revised Rs.9100-15100) with five years regular service in the grade in a Major Port Authority.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	---	--

12.	Senior Welfare Officer.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000 – 160000.	Selection.	Not exceeding thirty-five years of age.	Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised University; (ii) Bachelor's degree or diploma in Social Science from a recognised University or institute; (iii) five years' experience as a Labour Welfare Officer or Industrial Relations Officer in an Industrial or Commercial or Government Undertaking; and (iv) knowledge of local language.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-Yes; (c)Experience-No.	Two years.	By promotion, failing which by deputation/absorption, failing both by direct recruitment.	Promotion from Welfare Officer (existing designation of Law Officer) and Assistant Personnel Officer Grade-I(Existing designation of Assistant Personnel Officer (Class-I) in the scale of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100-15100) with five years regular service in the grade failing which Welfare Officer (existing designation of Law Officer.) Assistant Personnel Officer Grade-I(Existing designation of Assistant Personnel Officer (Class-I)in the scale of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100- 15100) with two years regular service in the grade and a combined regular service of eight years in the scales of pay off Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100-15100) and Rs.40000–140000 (Pre-revised Rs.8600-14600 in the respective discipline of Personnel and Industrial Relation Division Deputation/Absorption will be of Officers holding analogous posts or Welfare Officer (existing designation of Law Officer) Assistant Personnel Officer Grade-I (existing designation of Assistant Personnel Officer (Class-I) or equivalent posts in the respective discipline of Personnel and Industrial Relation Division in
-----	-------------------------	---	----------	--------------------	------------	---	--	---	------------	---	--

											the scale of pay of Rs 50000 – 160000(Pre revised Rs.9100-15100 with five years regular service in the grade in a Major Port Authority.	
13.	Assistant personnel Officer Grade I.	2* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000–160000.	Selection.	Not exceeding thirty years of age.	(a) Essential: Bachelor's degree from a recognised University. (b) Desirable: (i) Post Graduate degree or diploma in Personnel Management or Industrial relations or Social Work or Labour Welfare allied subjects or degree in Law from a recognised University or institute; (ii) two years experience in Executive cadre in the field of General Administration or Personnel or Industrial relations, etc. in industrial or Commercial or Government, undertaking.	(a)Age-No; (b)Educational qualification- Yes; (c)Experience-No.	Two years.	(a) 66.66% by direct recruitment; and (b) 33.33% by promotion.	Promotion: (a) Promotion from Assistant Personnel Officer Grade II in the scale of pay of Rs. 40000 – 140000 with three years' regular service in the grade failing which; (b) from Class-III employees in the scale of pay of Rs. 36500 – 88700 with five years' regular service in the grade in the respective discipline of Personnel and Industrial Relation Division where there are no Class-II posts in the pay scale of Rs 40000 – 140000 in that discipline.	

14.	Welfare Officer.	3* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000 – 160000.	Selection.	Not exceeding thirty years of age.	(a) Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised University; (ii) Bachelor's degree or diploma in Social Science from a recognised University or institute; and (iii) knowledge of local language (b) Desirable: Two years experience as a Labour Welfare Officer or Industrial Relations Officer in an Industrial or Commercial or Government Undertaking.	(a) Age-No; (b) Educational qualification s- Yes; (c) Experience-No.	Two years.	(a) 66.66% by direct recruitment ; and (b) 33.33% by promotion.	Promotion: (a) Promotion from Assistant Welfare Officer in the scale of pay of Rs. 40000 – 140000 with three years' regular service in the grade failing which; (b) from Class-III employees in the scale of pay of Rs. 36500 - 88700 with five years' regular service in the grade in the respective discipline of Personnel and Industrial Relation Division where there are no Class-II posts in the pay scale of Rs. 40000 – 140000 in that discipline. Note: Promotion will be on the basis of a written test and viva-voce from the eligible officers.	
-----	------------------	---	----------	--------------------	------------	------------------------------------	---	---	------------	---	--	--

CLASS-I POSTS OF PERSONAL SECRETARY

Sl. No.	Name of the posts.	Number of posts.	Classification.	Scale of pay.	Whether selection or non-selection post.	Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age; educational qualifications; experience prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion or deputation/ absorption.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
15.	Senior Personal Secretary to Chairpersons on (Category -I Ports).	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.60000 – 180000.	Selection.	Not exceeding forty years of age.	Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised University; (ii) proficiency in stenography and typewriting with a speed of 120/40 word per minute respectively; (iii) knowledge of Computer application; and (iv) twelve years' experience as stenographer or Personal Assistant in an Industrial or Commercial or Government Undertaking.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-Yes; (c)Experience-No.	Two years.	By Promotion failing which by deputation/ absorption failing both by direct recruitment .	Promotion from Personal Secretary to Chairperson in the scale of pay of Rs 50000–160000 (Pre revised Rs.10750-16750) with four years regular service in the grade failing which Personal Secretary to Chairperson with two years regular service in the scale of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.10750-16750) and a combined regular service of nine years in the scales of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre-revised Rs.10750-16750) and Rs.50000 – 160000 (Pre-revised Rs.9100-15100) .	

											Deputation/Absorption from Officers holding analogous post or holding posts of Personal Secretary / Senior Personal Secretary in the scale of pay of Rs 50000 – 160000(Pre-revised Rs.10750-16750) with four years regular service in the grade in a Major Authority.	
16.	Personal Secretary to Chairpersons on (Category -I Ports).	1*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000 – 160000.	Selection.	Not exceeding thirty-five years of age.	Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised University; (ii) proficiency in stenography and typewriting with a speed of 120/40 word per minute respectively; (iii) knowledge of Computer application; and (iv) eight years' experience as stenographer or Personal Assistant in an Industrial or Commercial or Government Undertaking.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-Yes; (c)Experience-No.	Two years.	By Promotion failing which by deputation/absorption failing both by direct recruitment .	Promotion from Personal Secretary to Deputy Chairperson/ Personal Secretary to Chairperson in the scale of pay of Rs 50000–160000 (Pre revised Rs.9100-15100)with five years regular service in the grade failing which Personal Secretary to Deputy Chairperson/PS to Chairperson with two years regular service in the scale of pay of Rs50000 – 160000 (Pre-revised Rs.9100-15100) and a combined regular service of eight years in the scales of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100-15100) and Rs 40000 – 140000 (Pre revised Rs.8600-14600). Deputation/Absorption from Officers holding analogous post or feeder post with five years regular service in the grade in a Major Port.	

17.	Personal Secretary to Deputy Chairpersons on (Category -I Ports).	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000 – 160000.	Selection.	Not exceeding thirty years of age.	Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised University; (ii) proficiency in stenography and typewriting with a speed of 120/40 word per minute respectively; (iii) knowledge of Computer application; and (iv) five years' experience as stenographer or Personal Assistant in an Industrial or Commercial or Government Undertaking.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-Yes; (c)Experience-As specified in column(12).	Two years.	By promotion, failing which by deputation/absorption, failing both by direct recruitment.	Promotion: Promotion from Personal Assistant to Head of Department or Personal Secretary to Deputy Chairperson in the scale of pay of Rs. 40000 – 140000 with three years' regular service in the grade. Deputation on absorption: Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous posts or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) holding the post of Personal Assistant or Personal Secretary in the scale of pay of Rs. 40000–140000 with three years' regular service in the grade in a Major Port; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (9).
-----	---	---	----------	--------------------	------------	------------------------------------	--	---	------------	---	---

CLASS-I POSTS IN CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT

Sl. No.	Name of the posts.	Number of posts.	Classification.	Scale of pay.	Whether selection or non-selection post.	Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age; educational qualifications; experience prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion or deputation/ absorption.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Remarks.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
18.	Chief Engineer (Category-I Ports).	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I (Head of Department).	Rs.120000-280000.	Selection.	Not exceeding forty-five years of age.	Essential: (i) Bachelor's degree in Civil Engineering or equivalent from a recognised University or institute; and (ii) seventeen years' experience in executive cadre in Planning or Construction or Design or Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial or Commercial or Government undertaking.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-Yes; (c)Experience-No.	Not applicable.	By absorption through composite method failing which by deputation both by Direct recruitment .	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or post of Chief Engineer in Category-II ports with two years' regular service in the grade or Officers holding posts in the scale of pay of Rs.90000- 240000 (pre-revised Rs.17500-22300) with four years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.80000-220000(pre- revised Rs.16000-20800) with five years regular service in the grade in the Civil Engineering Department of a	

											Major Port Authority are eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding posts of Chief Engineer and equivalent posts in the Civil Engineering Department In the scale of pay of Rs.100000-260000 (pre- revised Rs.18500-23900) with two years regular service in the grade or officers holding post of Deputy Chief Engineer and equivalent posts in Civil Engineering Department In the scale of pay of Rs.80000-220000 (pre-revised Rs.16000-20800) and above, with five years' experience in the regular grade in Government/Semi Government/PSUs or Autonomous Bodies are eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the Annual Confidential Reports will not be below "Very Good".	
19.	Deputy Chief Engineer (Civil).	3* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.80000 – 220000.	Selection.	Not exceeding forty-two years of age.	Essential: (i) Bachelor's degree in Civil Engineering or equivalent from a recognised University or institute; and (ii) twelve years' experience in executive cadre in Planning or	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-Yes; (c)Experience-No.	Not applicable.	By absorption through composite method s failing which by deputation and failing both, by	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or post of Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engineering Department in the scale of pay of Rs.60000 – 180000 (Pre revised Rs.13000- 18250) with three	

							Construction or Design or Maintenance preferable of Port and Marine Structure in an industrial or commercial or Government undertaking.			direct recruitment.	years regular service in the grade in Major Port Authority or Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engineering Department with two years' regular service in the grade and a combined regular service of seven years in the scales of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.10750-16750) and Rs 60000 – 180000 (Pre revised Rs.13000-18250) in the respective discipline of Civil Engineering Department in a Major Port Authority are eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding post of Superintending Engineer and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engineering Department in the scale of pay of Rs 60000 – 180000(Pre revised Rs.13000-18250 with three years regular service in the grade in Government / PSUs/Autonomous bodies are eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the Annual Confidential Reports will not be below "Very Good".	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---------------------	--	--

20.	Superintending Engineer (Civil).	6* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.60000–180000.	Selection.	Not exceeding forty years of age.	Essential: (i) Bachelor's degree in Civil Engineering or equivalent from a recognised University or institute; and (ii) nine years' experience in executive cadre in planning or construction or design or maintenance preferably of Port and Marine Structures in an industrial or commercial or Government undertaking.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-No. Note: Diploma in Civil Engineering from a recognised University or institution is essential; (c)Experience-As specified in Column(12).	Two years.	By promotion, failing which by deputation/absorption, failing both by direct recruitment .	Promotion: (a) Promotion from Executive Engineer (Civil) in the scale of pay of Rs. 50000– 160000 with four years' regular service in the grade failing which; (b) Executive Engineer (Civil) in the scale of pay of Rs. 50000 – 160000 with two years' regular service in the grade and a combined regular service of nine years in the scales of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs 10750 – 16750) and Rs. 50000 – 160000 (Pre revised Rs. 9100– 15100) in the respective discipline of Civil Engineering Department. Deputation on absorption: Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous posts or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) holding the post of Executive Engineer (Civil) in the scale of pay of Rs. 50000– 160000 with four years' regular service in the grade in the respective discipline of Civil Engineering Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (9).
-----	----------------------------------	---	----------	------------------	------------	-----------------------------------	--	---	------------	--	--

21.	Assistant Executive Engineer (Civil).	12* (2026) *Subject to variation dependent on workload. Note: Ten Assistant Executive Engineer (Civil) and two Assistant Executive Engineer (Rly).	Class-I.	Rs.50000 – 160000.	Selection.	Not exceeding thirty years of age.	(a) Essential: Bachelor's degree in Civil Engineering or equivalent from a recognised University or institute. (b) Desirable: Two years' experience in executive cadre in Planning or Construction or Design or Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial or Commercial or Government Undertaking.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-No. Note: Diploma in Civil Engineering from a recognised University or institution is essential; (c)Experience-No.	Two years.	(a) 66.66% by direct recruitment ; and (b) 33.33% by promotion.	Promotion: (a) Promotion from Assistant Engineer (Civil) in the scale of pay of Rs. 40000–140000 with three years' regular service in the grade failing which; (b) from Class-III employees in the scale of pay of Rs. 36500 – 88700 with five years' regular service in the grade in the respective discipline of the Civil Engineering Department, where there are no Class-II posts in the pay scale of Rs. 40000–140000 in that discipline.	
22.	Executive Engineer (Civil).	9* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000 – 160000.	Selection.	Not exceeding thirty-five years of age.	Essential: (i) Bachelor's degree in Civil Engineering or equivalent from a recognised University or institute; and (ii) five years' experience in an executive cadre in Planning or construction or design or maintenance preferably of Port and Marine structures in an industrial or commercial or Government undertaking.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-No. Note: Diploma in Civil Engineering from a recognised University or institution is essential; (c)Experience-As specified in column(12).	Two years.	By promotion, failing which by deputation/absorption, failing both by direct recruitment .	Promotion: (a) Assistant Executive Engineer (Civil) in the scale of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs 9100 – 15100) with five years regular service in the grade failing which; (b) Assistant Executive Engineer (Civil) in the scale of pay of Rs. 50000 – 160000 with two years' regular service in the grade and a combined regular service of eight years in the scales of pay of Rs. 50000 –160000 and Rs. 40000– 140000 in the respective	

											discipline of Civil Engineering Department. Deputation on absorption: Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous posts or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) holding the post of Assistant Executive Engineer (Civil) in the scale of pay of Rs. 50000–160000 with five years' regular service in the grade in the respective discipline of Civil Engineering Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (9).	
23.	Deputy Estate Manager.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.60000 – 180000.	Selection.	Not exceeding forty years of age.	(a) Essential: (i) Bachelor's degree with a Post Graduate Degree or Diploma in Architecture or Town and Country Planning; or Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognised University or institute or corporate membership of	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-No. Note: Diploma in Civil Engineering from a recognised University or	Two years.	By Promotion failing which by deputation/ absorption failing both by direct	Promotion from Senior Assistant Estate Manager in the scale of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.10750-16750) with four years regular service in the grade failing which Senior Assistant Estate Manager in the scale of pay of Rs 50000 – 160000(Pre revised Rs.10750-16750) with two years regular service in the grade and	

							institution of Surveyor (India); and (ii) eleven years' executive experience in Estate Management or Valuation or Land Records in an Industrial or Commercial or Government Undertaking. (b) Desirable: Bachelor's degree in Law from the recognised University.	institution is essential; (c) Experience-No.		recruitment .	combined regular service of nine years in the scales of pay of Rs 50000 –160000 (Pre revised Rs.10750-16750) and Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100-15100) in discipline of Estate Division Deputation/absorption from officers holding analogous posts or Senior Assistant Estate Manager or equivalent posts in discipline of Estate Division in the scale of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.10750-16750) with four years regular service in grade in Major Port Authority.	
24.	Senior Assistant Estate Manager.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000 – 160000.	Selection.	Not exceeding thirty-five years of age.	(a) Essential: (i) Bachelor's degree with a Post Graduate Degree or Diploma in Architecture or Town and Country Planning; or Bachelor's degree in Civil Engineering from a recognised University or institute or corporate membership of institution of Surveyor (India); and (ii) seven years' executive experience in Estate Management or Valuation or Land Records in an Industrial or	(a) Age-No; (b) Educational qualifications-No. Note: Diploma in Civil Engineering from a recognised University or institution is essential; (c) Experience-No.	Two years.	By Promotion failing which by deputation/absorption, failing both by direct recruitment.	Promotion from Assistant Estate Manager Grade-I in the scale of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs 9100 – 15100) with five years regular service in the grade failing which Assistant Estate Manager Grade-I in the scale of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs 9100– 15100) with two years regular service in the grade and a combined regular service of eight years in the scales of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs 9100–15100) and Rs.40000 – 140000 (Pre-revised Rs. 8600-	

							Commercial or Government Undertaking. (b) Desirable: Bachelor's degree in Law from a recognised University.				14600) in the discipline of Estate Division. Absorption / deputation from Officers holding analogous posts or Assistant Estate Manager Grade-I Promotion from Assistant Estate Manager Grade-I or equivalent posts in the discipline of Estate Division in the scale of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre-revised Rs 9100 – 15100) with five years regular service in the grade will be eligible.	
25.	Assistant Estate Manager Grade-I.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000 – 160000.	Selection.	Not exceeding thirty years of age.	(a) Essential: (i) Bachelor's degree with a Post Graduate Degree or Diploma in Architecture or Town and Country Planning; or (ii) Bachelor's degree in Civil Engineering from a recognised University or institute or corporate membership of institution or Surveyor (India). (b) Desirable: (i) Bachelor's degree in Law from the recognised University; (ii) two years' executive experience in Estate Management or Valuation or Land Records in an Industrial or Commercial or Government Undertaking.	(a) Age-No; (b) Educational qualifications-No. Note: Diploma in Civil Engineering from a recognised University or institution is essential; (c) Experience-No.	Two years.	(a) 66.66% by direct recruitment; and (b) 33.33% by promotion.	Promotion: Promotion from Assistant Estate Manager Grade II in the scale of pay of Rs. 40000 – 140000 with three years' regular service in the grade failing which from Class-III employees in the scale of pay of Rs. 36500 - 88700 with five years' regular service in the grade in the discipline of Estate Division, where there are no Class-II posts in the pay scale of Rs. 40000 – 140000 in that discipline.	

CLASS-I POSTS IN MEDICAL DEPARTMENT

Sl. No.	Name of the posts.	Number of posts.	Classification.	Scale of pay.	Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age; educational qualifications; experience prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion or deputation/absorption.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	Remarks.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
26.	Chief Medical Officer (Category-1 Ports).	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.120000 - 280000.	Selection.	Not exceeding fifty years of age.	Essential: (i) MBBS degree from a recognised University; or (ii) Post Graduate Medical Degree from a recognised University; and (iii) post qualification experience of sixteen years in a hospital.	(a) Age-No; (b) Educational qualifications- Yes; (c) Experience- As specified in column (12).	Not applicable.	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both, by direct recruitment.	For absorption through composite method: Officers of the Major Port Authorities, - (i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) officers holding posts of Chief Medical Officer in Category-II Ports with two years' regular service in the grade in the Medical Department; or (iii) officers holding posts in the scale of pay of Rs.90000-240000 with four years' regular service	

											in the grade in the Medical Department; and Deputation: Officers of the Government / Semi Government/Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies, - (i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) officers holding the post of Chief Medical Officer in the scale of pay of Rs.100000-260000 with two years’ regular service in the grade in the Medical Department; or (iii) officers holding posts of Senior Deputy Chief Medical Officer or equivalent specialist posts in the scale of pay of Rs.80000- 220000 with five years’ regular service in the grade in the Medical Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (9).	
27.	Senior Deputy Chief	4* (2026) *Subject to variation	Class-I.	Rs.80000 – 220000.	Selection.	Not exceeding forty-five	Essential: (i) MBBS degree from a	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-	Not applicable.	By absorption through composite	For absorption through composite method: Officers holding analogous posts or holding the post of Deputy	

	Medical Officer.	dependent on workload.				years of age.	recognised University; or (ii) Post Graduate Medical Degree or diploma in the specified specialty from a recognised University; and (iii) post qualification experience of ten year in case of Post Graduate degree holders and twelve years' experience in case of Post Graduate diploma holders in a reputed hospital in the relevant field of specialisation.	Yes; (c)Experience-Yes.		method , failing which by deputation, and failing both, by direct recruitment .	Chief Medical Officer (Specialist) or equivalent specialist posts in Medical Department in the scale of pay of Rs.60000– 180000 (Pre revised Rs.13000- 18250) with three years' regular service in the grade in a Major Port Authority, or Deputy Chief Medical Officer (Specialist) or equivalent specialist post in Medical Department with two years regular service in the grade and a combined regular service of seven years in the scales of pay of Rs 50000 –160000 (Pre-revised Rs.10750–16750) and Rs.60000–180000 (Pre-revised 13000 – 18250) in specialist cadre of Medical Department in a Major Port Authority are eligible. For deputation, officers holding analogous posts or officers holding posts of Deputy Chief Medical Officer (Specialist) or equivalent Specialist posts in the scale of pay of Rs.60000–180000 (Pre revised Rs 13000-18250) in Medical Department in a Government /Semi Government / PSUs or Autonomous Bodies with three years regular service in the grade are eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the Annual Confidential Reports will not be below "Very Good".	
--	------------------	------------------------	--	--	--	---------------	---	---------------------------------------	--	--	---	--

28.	Deputy Chief Medical Officer (Specialist).	5* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.60000 – 180000.	Selection.	Not exceeding forty-two years of age.	Essential: (i) MBBS degree from a recognised University; or (ii) Post Graduate Medical degree or diploma in the specified specialty from a recognised University; and (iii) post qualification experience of seven years in case of Post Graduate degree holders and nine years' experience in case of Post Graduate diploma holders in a reputed hospital in the relevant field of specialisation.	(a) Age-No; (b) Educational qualifications- Yes; (c) Experience- As specified in Column(12).	Two years.	By promotion, failing which by deputation/ absorption, failing both by direct recruitment.	Promotion: (a) Promotion from Senior Medical Officer (Specialist) in the scale of pay of Rs 50000–160000 with four years' regular service in the grade failing which; (b) Senior Medical Officer (General Duty) or Resident Medical Officer with Post Graduate qualification in the relevant field in the scale of pay of Rs 50000–160000 with four years' regular service in the grade. Deputation on absorption: Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous posts or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) holding the post of Senior Medical Officer (Specialist) or Senior Medical Officer (General Duty) or Resident Medical Officer in the scale of pay of Rs. 50000– 160000 with four years' regular service in the grade in the Medical Department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (9).
-----	--	---	----------	--------------------	------------	---------------------------------------	--	--	------------	--	---

29.	Deputy Chief Medical Officer (General Duty).	3* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.60000 – 180000.	Selection.	Not exceeding forty-two years of age.	(a) Essential: (i) MBBS degree from a recognised University or for Deputy Chief Medical Officer (Dental), BDS degree from a recognised University; and (ii) nine years' experience in a hospital after completion of internship of one year. (b) Desirable: A Post Graduate Medical degree from a recognised University.	(a) Age-No; (b) Educational qualifications- Yes; (c) Experience- As specified in Column(12)..	Two years.	By promotion, failing which by deputation/ absorption, failing both by direct recruitment .	Promotion: (a) Promotion from Senior Medical Officer (General Duty) or Resident Medical Officer in the scale of pay of Rs 50000–160000 with four years' regular service in the grade failing which; (b) Senior Medical Officer (General Duty) or Resident Medical Officer with two years' regular service in the scale of pay of Rs. 50000 –160000 and a combined regular service of nine years. Deputation on absorption: Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous posts or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (iii) (ii) holding the post of Senior Medical Officer (General Duty) or Resident Medical Officer in the scale of pay of Rs. 50000– 160000 with four years' regular service in the grade in the Medical Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9).	
-----	--	---	----------	--------------------	------------	---------------------------------------	---	--	------------	---	---	--

30.	Senior Medical Officer (Specialist).	7* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000—160000.	Not applicable.	Not exceeding forty years of age.	Essential: (i) MBBS degree from a recognised University or for Senior Medical Officer (Dental), BDS degree from a recognised University; or (ii) Post Graduate Medical Degree or diploma in the specified specialty from a recognised University; and (iii) post qualification experience of three years' in the case of Post Graduate degree holder and five years' experience in case of Post Graduate diploma holders in a reputed hospital in the relevant field of specialisation.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	In first instance Medical Officers having post graduate qualification in the relevant field will be considered for appointment, failing which the post will be filled by open advertisement.
31.	Senior Medical Officer (General Duty).	6* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000—160000.	Selection.	Not exceeding forty years of age.	(a) Essential: (i) MBBS degree from a recognised University or for Medical Officer (Dental), BDS degree from a recognised University; and (ii) five years' experience in a hospital after completion of Internship of one year. (b) Desirable:	(a) Age-No; (b) Educational qualifications-Yes; (c) Experience-As specified in Column(12).	Two years.	By promotion, failing which by deputation/absorption, failing both by direct recruitment.	Promotion: Medical Officer in the scale of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100-15100) with five years' regular service in the grade. Deputation on absorption: Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous posts or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or	

							A Post Graduate Medical degree from a recognised University.				Department; or (iv) (ii) holding the post of Medical Officer in the scale of pay of Rs. 50000–160000 with five years' regular service in the grade in the Medical Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9).	
32.	Medical Officer.	13* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000 – 160000.	Not applicable.	Not exceeding thirty-five years of age.	(a) Essential: (i) MBBS degree from a recognised University or for Medical Officer (Dental), BDS degree from a recognised University; and (ii) one year experience in a hospital after completion of Internship of one year. (b) Desirable: A postgraduate Medical degree from a recognised University.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment	Not applicable.	

CLASS-I POSTS IN MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING DEPARTMENT

Sl. No.	Name of the posts.	Number of posts.	Classification.	Scale of pay.	Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age; educational qualifications; experience prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion or deputation/absorption.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	Remarks.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
33.	Chief Mechanical Engineer (Category-I Port).	1* (2026) *Subject to variation in dependence on workload.	Class-I.	Rs.120000 - 280000.	Selection.	Not exceeding forty-five years of age.	Essential: (i) Bachelor's degree or equivalent in Mechanical or Electrical or Electronics and Communication Engineering or Naval Architecture from a recognised University or institute Or MOT 1 st class Motor certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958; and (ii) seventeen years' experience in managerial capacity dealing with Mechanical or Electrical or Marine or Electronics Engineering Works out of which ten years' experience shall be in Workshop undertaking maintenance of cargo handling equipment or electrical installation or ship repairs in any Major Port Authority or Industrial or	(a) Age-No; (b) Educational qualifications- Yes; (c) Experience- As specified in Column(12).	Not applicable.	By absorption through composite method failing which by deputation failing both by direct recruitment .	Transfer or deputation on absorption basis: Officers of the Major Port Authorities, - (i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) officers holding the post of Chief Mechanical Engineer in Category II Ports with two years' regular service in the grade in the Mechanical and Electrical Engineering Department; or (iii) officers holding posts in the scale of pay of Rs.90000-240000 with four years' regular services in the grade in the	

							Commercial or Government undertaking.				Mechanical and Electrical Engineering Department; or (iv) officers holding posts of Deputy Chief Mechanical Engineer in the scale of pay of Rs.80000- 220000 with five years' regular service in the grade in the Mechanical and Electrical Engineering Department. Deputation: Officers of the Major Port Authorities or Central Government or Public Sector Undertakings or autonomous bodies, - (a)(i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) officers holding the post of Chief Mechanical Engineer in the scale of pay of Rs.100000-260000 with two years' regular service in the grade in the Mechanical and Electrical Engineering Department; or (v) officers holding posts of Deputy Chief Mechanical Engineer in the scale of pay of Rs.80000-220000 with five years' regular service in the grade in the Mechanical and Electrical Engineering Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9).	
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	---	--

										Note: The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the Annual Confidential Reports will not be below “Very Good.”	
34.	Deputy Chief Mechanical Engineer.	2* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.80000 – 220000.	Selection.	Not exceeding forty-two years of age.	Essential: (i) Bachelor’s degree in Mechanical or Electrical or Electronics and Communications Engineering or equivalent from a recognised University or institute; and (ii) twelve years’ experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial or Commercial or Government Undertaking.	(a) Age-No; (b) Educational qualifications- Yes; (c) Experience- As specified in Column(12)	Not applicable.	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both, by direct recruitment.	Absorption through composite method: Officers of the Major Port Authorities, - (i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) officers holding the post of Superintending Engineer or equivalent posts in the scale of pay of Rs. 60000 – 180000 with three years’ regular service in the grade in the respective discipline of Mechanical and Electrical Engineering Department; or (iii) officers holding the post of Superintending Engineer or equivalent posts with two years’ regular service in the grade and a combined regular service of seven years in the scale of pay of Rs. 50000 – 160000 and Rs. 60000–180000 in the respective discipline Mechanical and Electrical Engineering Department. Deputation: Officers of the Major Port Authorities or Central Government or State Governments or autonomous

											bodies or Government companies, - (a)(i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (vi) (ii) officers holding the post of Superintending Engineer or equivalent posts in the scale of pay of Rs. 60000 – 180000 with three years' regular service in the grade in the respective discipline of Mechanical and Electrical Engineering; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9).	
35.	Superintending Engineer (Mechanical or Electrical or Electronics and Communications).	6* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.60000 – 180000.	Selection.	Not exceeding forty years of age.	Essential: (i) Bachelor's degree in Mechanical or Electrical or Electronics and Communications Engineering or equivalent from a recognised University or institute; and (ii) nine years' experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial or Commercial or Government Undertaking.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-No,however, a Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised University or institute is essential. (c) Experience-As specified in Column(12) .	Two years.	By promotion, failing which by deputation/absorption, failing both by direct recruitment.	Promotion: (a) from Executive Engineer (Mechanical or Electrical or Electronics and Communication) in the scale of pay of Rs. 50000 – 160000 with four years' regular service in the grade failing which; (b) Executive Engineer (Mechanical or Electrical or Electronics and Communications) in the scale of pay of Rs. 50000 – 160000 with two years' regular service in the grade and a combined regular service of nine years in the scales of pay of Rs. 50000–160000 (Pre-revised Rs.10750-16750) and Rs. 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100- 15100) in the respective discipline in the	

											Mechanical and Electrical Engineering Department. Deputation on absorption: Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous posts or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) holding the post of Executive Engineer (Mechanical or Electrical or Electronics and Communication) in the scale of pay of Rs. 50000– 160000 with four years’ regular service in the grade in the Mechanical and Electrical Engineering Department; and (a) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9).	
36.	Executive Engineer (Mechanical or Electrical or Electronics and Communications).	9* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000–160000.	Selection.	Not exceeding thirty-five years of age.	Essential: (i) Bachelor’s degree in Mechanical or Electrical or Electronics and Communications Engineering or equivalent from a recognised University or institute; and (ii) five years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial or Commercial or Government Undertaking.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-No. Note: Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised University or institute is essential.	Two years.	By promotion, failing which by deputation/absorption, failing both by direct recruitment.	Promotion: (a) Promotion from Assistant Executive Engineer (Mechanical or Electrical or Electronics and Communications) in the scale of pay of Rs. 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100-15100) with five years’ regular service in the grade failing which; (b) Assistant Executive Engineer (Mechanical or Electrical or Electronics and	

								(c)Experience- As specified in column (11).			Communications) in the scale of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100-15100) with two years' regular service in the grade and a combined regular service of eight years in the scales of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100-15100) and Rs40000 – 140000 (Pre revised Rs.8600-14600) in the respective discipline of Mechanical and Electrical Engineering Department; (c) failing which Diploma Engineers in the scale of pay of Rs. 40000 – 140000 with eight years' regular service in the grade where the pay scale of Rs. 50000 – 160000 does not exist in that discipline. Deputation on absorption: Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous posts or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) holding the post of Assistant Executive Engineer (Mechanical or Electrical or Electronics and Communications) in the scale of pay of Rs. 50000– 160000 with five years' regular service in the grade in the respective discipline of Mechanical and	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

											Electrical Engineering Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9).	
37.	Assistant Executive Engineer (Mechanical or Electrical or Electronics and Communications).	12* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000–160000.	Selection.	Not exceeding thirty years of age.	(a) Essential: Bachelor's degree in Mechanical or Electrical or Electronics and Communications Engineering or equivalent from a recognised University or institute. (b) Desirable: Two years' experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial or Commercial or Government Undertakings.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-No. Note: Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised University or institute is essential. (c)Experience-No.	Two years.	(a) 66.66% by direct recruitment ; and (b) 33.33% by promotion.	Promotion: (a) Promotion from Assistant Engineer (Mechanical or Electrical or Electronics and Communications) in the scale of pay of Rs. 40000 – 140000 with three years' regular service in the grade failing which; (b) from Class-III Employees in the scale of pay of Rs. 36500 – 88700 with five years' regular service in the grade in the respective discipline of Mechanical and Electrical Engineering Department where there are no Class-II Posts in the scale of Rs. 40000 – 140000 in that discipline.	

CLASS-I POSTS IN MATERIALS MANAGEMENT DIVISION UNDER MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING DEPARTMENT

Sl. No.	Name of the posts.	Number of posts.	Classification.	Scale of pay.	Whether selection or non-selection post.	Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age; educational qualifications; experience prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion or deputation/ absorption.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Remarks.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
38.	Materials Manager.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.80000 – 220000.	Selection.	Not exceeding forty-five years of age.	(a) Essential: (i) Bachelor's degree in Mechanical or Electrical Engineering or equivalent from a recognised University or institute; and (ii) twelve years' experience in executive cadre in the field of Materials Management or Mechanical Engineering or Electrical Engineering in an Industrial or Commercial or Government. undertaking. (b) Desirable: Post Graduate degree or Diploma in Materials Management from a recognised University or institute.	(a)Age-No; (b)Educational Qualifications -Yes; (c)Experience-As specified in column (11).	Not applicable.	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both, by direct recruitment.	By absorption through composite method: Officers of the Major Port Authorities, - (i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) Senior Deputy Materials Manager or equivalent posts in the scale of pay of Rs. 60000 – 180000 with three years' regular service in the grade in Materials Management Division; or (iii) officers holding the posts of Superintending Engineer (Mechanical or Electrical) in the scale of pay of Rs. 60000 – 180000 with three years' regular service in the grade in the	

											Mechanical and Electrical Engineering Department; or (iv) officers holding the posts of Senior Deputy Materials Manager or equivalent posts or Superintending Engineer (Mechanical or Electrical) with two years' regular service in the grade and a combined regular service of seven years in the scale of pay of Rs. 50000 – 160000 and Rs. 60000–180000 in the respective discipline of Materials Management Division or Mechanical and Electrical Engineering Department; and Deputation: Officers of the Major Port Authorities or Central Government or State Governments or autonomous bodies or Government companies, - (a)(i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) officers holding the posts of Senior Deputy Materials Manager or equivalent posts or Superintending Engineer (Mechanical or Electrical) in the scale of pay of Rs. 60000 – 180000 with three years' regular service in the grade in the respective discipline of Materials Management Division or Mechanical and Electrical Engineering Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9).	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

39.	Senior Deputy Materials Manager.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.60000 – 180000.	Selection.	Not exceeding forty years of age.	(a) Essential: (i) Bachelor's degree in Mechanical or Electrical Engineering or equivalent from a recognised University or institute; and (ii) nine years' experience in the executive cadre in the field of Materials Management or Mechanical Engineering or Electrical Engineering in an Industrial or Commercial or Government undertaking. (b) Desirable: Post Graduate degree or Diploma in Materials Management from a recognised University or institute.	(a) Age-No; (b) Education al qualification s-No. Note: Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised University or institute is essential; (c) Experience-As specified in Column(12).	Two years.	By promotion, failing which by deputation/ absorption, failing both by direct recruitment.	Promotion: (a) Promotion from Deputy Materials Manager in the scale of pay of Rs. 50000 – 160000 with four years' regular service in the grade failing which; (b) Executive Engineer (Mechanical or Electrical) in the scale of pay of Rs 50000 – 160000 with four years' regular service in the grade failing both; (c) Deputy Materials Manager or Executive Engineer (Mechanical or Electrical) with two years' regular service in the grade and a combined regular service of nine years' in the scale of pay of Rs 50000–160000 (Pre revised Rs.10750-16750) &Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100-15100) in the respective discipline of Materials Management Division or Mechanical and Electrical Engineering Department. Deputation on absorption: Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous posts or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) holding the post of Deputy Materials Manager in the scale of pay of Rs. 50000– 160000 with five years' regular service in the grade in the respective discipline of Materials Management Division or
-----	----------------------------------	---	----------	--------------------	------------	-----------------------------------	--	--	------------	--	--

											Mechanical and Electrical Engineering Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9).	
40.	Deputy Materials Manager.	2* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000 – 160000.	Selection.	Not exceeding thirty-five years of age.	(a) Essential: (i) Bachelor's degree in Mechanical or Electrical Engineering or equivalent from a recognised University or institute; and (ii) five years' experience in the executive cadre in the field of Materials Management or Mechanical Engineering or Electrical Engineering in an Industrial or Commercial or Government Undertaking. (b) Desirable: Post Graduate degree or Diploma in Materials Management from a recognised University or Institution.	(a)Age-No; (b)Education al qualification s-No. Note: Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised University or institute is essential. (c)Experienc e-No.	Two years.	By promotion, failing which by deputation/ absorption, failing both by direct recruitment.	Promotion from Assistant Materials Manager Grade-I (existing Deputy Materials Manager) in the scale of pay of Rs. 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100-15100) with five years' regular service in the grade failing which Assistant Executive Engineer (Mechanical / Electrical) in the scale of pay of Rs. 50000–160000 (Pre revised Rs.9100-15100) with five years' regular service in the grade failing both Assistant Materials Manager Grade-I (existing Deputy Materials Manager) / Assistant Executive Engineer (Mechanical / Electrical) in the scale of pay of Rs 50000–160000 (Pre revised Rs.9100-15100) with two years' regular service in the grade and a combined regular service of eight years' in the scales of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre-revised Rs.9100-15100) and Rs.40000–140000 (Pre-revised Rs.8600-14600) in the respective discipline of Materials Management Division/ Mechanical and Electrical Engineering Department OR Diploma Engineers in the scale of pay of	

											Rs 40000 – 140000 (Pre revised Rs.8600-14600) with eight years' regular service in the grade where the scale of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100-15100) does not exist in that discipline. Deputation/ Absorption from Officers holding analogous posts or feeder posts with five years' regular service in the grade in a Major Port Authority.	
41.	Assistant Materials Manager Grade I.	3* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000 – 160000.	Selection.	Not exceeding thirty years of age.	(a) Essential: Bachelor's degree in Mechanical or Electrical Engineering or equivalent from a recognised University or institute. (b) Desirable: (i) Post Graduate Degree or Diploma in Materials Management from recognised University or institute; (ii) two years' post qualifications experience in Materials Management in an Industrial or Commercial or Government undertakings.	(a)Age-No; (b)Educational qualification s-No. Note: Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised University or institute is essential. (c)Experience-No.	Two years.	(a) 66.66% by direct recruitment ; and (b) 33.33% by promotion.	Promotion: (a) Promotion from Assistant Materials Manager Grade II in the scale of pay of Rs. 40000– 140000 with three years' regular service in the grade failing which; (b) from Class-III Employees in the scale of pay of Rs. 36500– 88700 in the respective discipline of Materials Management Division with five years' regular service in the grade where there are no Class-II Posts in pay scale of Rs. 40000 – 140000 in that discipline.	The existing posts of Assistant Controller of Stores Grade –I etc., in the scale of pay of Rs.50000 – 160000 is re-designated as Assistant Materials Manager Grade I.

CLASS-I POSTS (DECKSIDE) OF MARINE DEPARTMENT

Sl. No.	Name of the posts.	Number of posts.	Classification.	Scale of pay.	Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age; educational qualifications; experience prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion or deputation/absorption.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	Remarks.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
42.	Deputy Conservator (Category-I Port).	* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I (Head of the Department).	Rs.12000-280000.	Selection.	Not exceeding fifty years of age.	Essential: (i) a Certificate of Competency as Master of foreign going ship issued by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India or an equivalent qualification recognised by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India; and (ii) a Pilot license and ten years' experience in Piloting or cumulative.	(a)Age-No; (b)Educational Qualifications-Yes; (c)Experience-As specified in Column(12).	Not applicable.	By absorption through composite method, failing which by deputation and failing both by Direct Recruitment.	By absorption through composite method: Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) officers holding the post of Deputy Conservator in Category-II Ports or Harbour Master in Category-I Ports in the scale of pay of Rs.100000-260000 with two years' regular	

												service in the grade in the Marine Department; or (iii) officers holding posts of Dredging Superintendent or Dock Master or Master Pilot in the scale of pay of Rs. 90000-240000 with four years' regular service in the grade in the Marine Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9). Deputation: Officers of the Major Port Authorities or Central Government or State Governments or autonomous bodies or Government companies, - (a)(i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) officers holding the post of Deputy Conservator or its equivalent Dock side post in the scale of pay of Rs.100000-260000 with two years' regular service in the grade in the Marine Department; or (iii) officers holding post of Harbour Master or equivalent Dock side post in the scale of pay of Rs. 90000-240000 with four years' regular service in the	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											grade in the Marine Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9).	
43.	Harbour Master.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs. 100000–260000.	Selection.	Not exceeding forty-five years of age.	Essential: (i) a Certificate of Competency as Master of Foreign Going Ship issued by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India or an equivalent qualification recognised by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India; and (ii) a Pilot License and eight years' experience either as Master of Foreign Going Ship or in Piloting or cumulative.	(a)Age-No; (b)Education al qualification s-Yes; (c)Experienc e: As specified in Column(12).	Not applicable.	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	By absorption through composite method: Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) officers holding the post of Dock Master or Master Pilot or Dredging Superintendent in the scale of pay of Rs. 90000 – 240000 with two years' regular service in the grade in the Marine Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9). Deputation: Officers of the Major Port Authorities or Central Government or State Governments or autonomous bodies or Government companies, - (a)(i) holding analogous or	Existing post of Senior Dock Master or Deputy Harbour Master in the scale of pay of Rs. 100000–260000 is re-designated as Harbour Master.

											equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) officers holding posts of Dredging Superintendent or Dock Master or Master Pilot or its equivalent Deck side post in the scale of pay of Rs. 90000-240000 with two years' regular service in the grade in the Marine Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9). Note: The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the Annual Confidential Reports shall not be below "Very good".	
44.	Dredging Superintendent or Dock Master or Master Pilot.	5* (2026) *Subject to variation dependent on workload. Note: One post for Dredging Superintendent and four post for Dock Master.	Class-I.	Rs.90000 – 240000.	Selection	Not exceeding forty-three years of age.	Essential: (i) a Certificate of Competency as Master of Foreign Going Ship issued by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India or an equivalent qualification recognised by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India; (ii) a Pilot license and have proficiency in handling all types of ships; (iii) five years' experience as	(a)Age-No; (b)Educational qualification s-Yes; (c)Experience-As specified in column (11).	Two years.	By promotion , failing which by deputation / absorption , failing both by direct recruitment.	Promotion: Promotion from Pilots in the scale of pay Rs. 70000–200000 with five years' regular service in the grade. Deputation/absorption: Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous posts or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or	

							Pilot or Master of a Foreign Going Ship. Note: For the post of Dredging Superintendent, out of five years' Experience, one year experience in Dredging is essential.				(ii) holding the post of Pilots in the scale of Rs. 70000 – 200000 with five years' regular service in the grade in the Marine Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9).	
45.	Pilot.	08* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.70000 – 200000.	Not applicable.	Not exceeding forty years of age.	Essential: (i) a Certificate of Competency as Master of Foreign Going ship issued by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India or an equivalent qualification recognised by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India; and (ii) one year post qualification experience as Master or Chief Officer of a foreign going ship.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	

MARINE ENGINEERS OF MARINE DEPARTMENT

Sl. No.	Name of the posts.	Number of posts.	Classification.	Scale of pay.	Whether selection or non-selection post.	Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age; educational qualifications; experience prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion or deputation/ absorption.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
46	Senior Marine Engineer or Chief Engineer Marine (Vessel).	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.80000 – 220000.	Selection.	Not exceeding forty-four years of age.	Essential: (i) MOT 1 st Class Motor Certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958; and (ii) four years' experience as Chief Engineer or five years combined experience as Chief Engineer and second Engineer on board a foreign going ship.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications- Yes; (c)Experience: As specified in Column(12).	Not applicable.	By promotion, failing which by absorption through composite method, failing which by deputation from other Government Organisations and failing which by direct recruitment.	Promotion: From the Post of Marine Engineer in scale of pay Rs.70000–200000 (Pre revised Rs.14500-18700) with four years regular service in the grade. Absorption through composite method: Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or	

										(ii) officers holding posts of Marine Engineer in the scale of pay of Rs. 70000–200000 with four years’ regular service in the grade in the Marine Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9). Deputation: Officers of the Major Port Authorities or Central Government or State Governments or autonomous bodies or Government companies, -	
										(a)(i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) officers holding posts of Marine Engineer or its equivalent in marine engineer side in the scale of pay of Rs. 70000–200000 with	

											four years' regular service in the grade in the Marine Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9). Note: The selection is by merit for which the benchmark in overall grading in the Annual Confidential Reports will not be below "Very Good".	
47	Marine Engineer.	16* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.70000 – 200000.	Not applicable.	Not exceeding forty years of age.	Essential: (i) MOT 1 st Class Motor Certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958; and (ii) one year post qualification experience as Chief Engineer or second Engineer on board a foreign going ship.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	
48.	Senior Deputy Marine Engineer.	3* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.60000 – 180000.	Selection.	Not exceeding forty years of age.	Essential: (i) MOT 2 nd Class Motor Certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958; and (ii) six years' experience as independent watch keeping Engineer on board a foreign going ship.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-Yes; (c)Experience:As specified in Column(12).	Two years.	By promotion, failing which by deputation/ absorption, failing both by direct recruitment.	Promotion: Promotion from the post of Deputy Marine Engineer in the scale of Rs. 50000–160000 with four years' regular service in the grade. Deputation on absorption: Officers of the Major Port Authorities, -	

											(a) (i) holding analogous posts or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) holding the post of Deputy Marine Engineer in the scale of Rs. 50000 – 160000 with four years' regular service in the grade in the Marine Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9).	
49.	Deputy Marine Engineer.	3* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000 – 160000.	Not applicable.	Not exceeding thirty-five years of age.	Essential: (i) MOT 2 nd Class Motor Certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958; and (ii) two years' experience as independent watch keeping Engineer on board a foreign going ship.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	

CLASS-I POSTS IN ACCOUNTS DEPARTMENT

Sl. No.	Name of the posts.	Number of posts.	Classification.	Scale of pay.	Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age; educational qualifications; experience prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion or deputation/absorption.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	Remarks.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
50	Financial Adviser and Chief Accounts Officer (Category-I Ports).	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I (Head of Department).	Rs. 120000-280000.	Selection.	Not exceeding forty-five years of age.	Essential: (i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India; and (ii) seventeen years' experience in Executive Cadre in the field of Finance or Accounting in an Industrial or Commercial or Government undertaking.	(a) Age-No; (b) Educational qualifications-Yes; (c) Experience: As specified in Column (12).	Not applicable.	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both, by direct recruitment.	By absorption through composite method: Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) officers holding the post of Financial Adviser and Chief Accounts Officer in Category II Ports in scale of pay of Rs.100000-260000 with two years' regular service in the grade in Finance Department; or (iii) officers holding posts in the scale of pay of Rs.90000-240000 with four years' regular service in the grade in Finance Department; or (iv) officers holding posts of Senior Deputy Chief Accounts	

[illegible]

51.	Senior Deputy Chief Accounts Officer.	2* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.80000 – 220000.	Selection.	Not exceeding forty-two years of age.	Essential: (i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India; and (ii) twelve years' experience in the executive cadre in the field of Finance or Accounting in an Industrial or Commercial or Government Undertaking.	(a) Age-No; (b) Educational qualifications- Yes; (c) Experience: As specified in Column(12).	Not applicable.	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both, by direct recruitment.	By absorption through composite method: Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) officers holding the post of Deputy Chief Accounts Officer or equivalent posts in the scale of pay of Rs. 60000 – 180000 with three years' regular service in the grade in respective discipline of Finance Department; or (iii) officers holding the post of Deputy Chief Accounts Officer or equivalent posts with two years' regular service in the grade and a combined regular service of seven years in the scales of pay of Rs. 50000 – 160000 and Rs. 60000 – 180000 in the respective discipline of Finance Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9). Deputation: Officers of the Major Port Authorities or Central Government or State Governments or autonomous bodies or Government companies, -	
-----	---------------------------------------	---	----------	--------------------	------------	---------------------------------------	--	---	-----------------	---	--	--

											(a) (i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) officers holding the post of Deputy Chief Accounts Officer or equivalent posts in the scale of pay of Rs. 60000 – 180000 with three years' regular service in the grade in respective discipline of Finance Department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (9).	
52.	Deputy Chief Accounts Officer.	2* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.60000 – 180000.	Selection.	Not exceeding forty years of age.	Essential: (i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India; and (ii) nine years' experience in the executive cadre in the field of Finance or Accounting in an Industrial or Commercial or Government Undertaking.	(a) Age-No; (b) Educational qualifications-No, however a Degree from a recognised University is essential; (c) Experience: As specified in Column(12).	Two years.	By promotion, failing which by deputation/absorption, failing both by direct recruitment.	Promotion: (a) By Promotion from Senior Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 50000 – 160000 with four years' regular service in the grade failing which; (b) Senior Accounts Officer (existing Deputy Financial Adviser & Chief Accounts Officer) in the scale of pay of Rs.50000 – 160000 (Pre-revised Rs.10750-16750 with two years' regular service in the grade and a combined regular service of nine years in the scales of pay of Rs. 50000 –160000 (Pre revised	

											Rs.10750-16750) and Rs. 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100-15100) in the respective discipline of Finance Department. Deputation on absorption: Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous posts or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) holding the post of Senior Accounts Officer in the scale of Rs. 50000 – 160000 with four years' regular service in the grade in the respective discipline of Finance Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9).	
53.	Senior Accounts Officer.	3* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000 – 160000.	Selection.	Not exceeding thirty-five years of age.	Essential: (i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India; and (ii) five years' experience in the executive cadre in the field of Finance or Accounting in an Industrial or Commercial or Government Undertaking.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-No. Note: Degree from a recognised University is essential; (c)Experience: As specified in Column(12).	Two years.	By promotion, failing which by deputation/absorption, failing both by direct recruitment.	Promotion: (a) Promotion from Accounts Officer Grade I in the scale of pay of Rs. 50000 – 160000 (Pre-revised Rs.9100-15100) with five years' regular service in the grade failing which; (b) Accounts Officer Grade I in the scale of pay of Rs. 50000 – 160000(Pre revised Rs.9100-15100) with two years' regular service in the grade and a combined regular	

											service of eight years in the scales of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100-15100 and Rs 40000 – 140000 (Pre revised Rs.8600-14600) in the respective discipline of Finance Department. Deputation on absorption: Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous posts or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) holding the post of Accounts Officer Grade I in the scale of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100-15100) with five years' regular service in the grade in the respective discipline of Finance Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9).	
54.	Accounts Officer Grade I.	6* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000 –160000.	Selection.	Not exceeding thirty years of age.	(a) Essential: Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India. (b) Desirable: Two years' experience in the executive cadre in the field of Finance or Accounting in an Industrial or Commercial or Government Undertaking.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-No. Note: Degree from a recognised University is essential; (c)Experience-No.	Two years.	(a) 66.66% by direct recruitment; and (b) 33.33% by promotion.	Promotion: (a) Promotion from Accounts Officer Grade II in the scale of pay of Rs. 40000–140000 with three years' regular services in the grade failing which; (b) from Class-III Employees in the scale of pay of Rs. 36500–88700 with five years' regular services in the grade in the respective discipline of Finance Department where there are no Class-II post in the pay scale of Rs 40000 – 140000 in that discipline.	

CLASS-I POSTS OF TRAFFIC DEPARTMENT

Sl. No.	Name of the posts.	Number of posts.	Classification.	Scale of pay.	Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age; educational qualifications; experience prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion or deputation/absorption.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	Remarks.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
55.	Traffic Manager.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I (Head of Department).	Rs.120000-280000.	Selection.	Not exceeding forty-five years of age.	Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised University; and (ii) seventeen years' experience in Shipping or Cargo Operations or Railway Transportation in executive cadre in an Industrial or Commercial or Government undertaking.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-Yes; (c)Experience-As specified in Column(12).	Not applicable.	By absorption through composite method failing which by Deputation and failing both by Direct Recruitment	By absorption through composite method: Officers of the Major Port Authorities, - (a)(i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) officers holding the post of Traffic Manager in Category-II Ports with two years' regular service in the Traffic Department; or (iii) officers holding the post in the scale of pay of Rs. 90000-240000 (pre-revised Rs.17500-22300) with four years' regular	

											service in the grade in the Traffic Department; or (iv) officers holding the post of Senior Deputy Traffic Manager in the scale of pay of Rs.80000- 220000 with five years' regular service in the grade in the Traffic Department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (9). Deputation: Officers of the Major Port Authorities or Central Government or State Governments or autonomous bodies or Government companies, - (a)(i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) officers holding the post of Traffic Manager in the scale of pay of Rs.100000-260000 with two years' regular service in the Traffic Department; or (iii) officers holding the post of Senior Deputy Traffic Manager or equivalent posts in the scale of pay of Rs.80000-220000 with five years' regular service in the grade in the Traffic Department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (9).	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

56.	Senior Deputy Traffic Manager.	2* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.80000 – 220000.	Selection.	Not exceeding forty-two years of age.	Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised University; and (ii) twelve years' experience in Shipping or Cargo Operations or Railway Transportation in executive cadre in an Industrial or Commercial or Government undertaking.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-Yes; (c)Experience-As specified in Column(12).	Not applicable.	By absorption through composite method failing which by Deputation from other Government organizations and failing both by Direct Recruitment.	By absorption through composite method : Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) officers holding the post of Deputy Traffic Manager or equivalent posts in the scale of pay of Rs. 60000 – 180000 with three years' regular service in the Traffic Department; or (iii) officers holding the post of Deputy Traffic Manager or equivalent post with two years' regular service in the grade and a combined regular service of seven years in the scale of pay of Rs. 50000–160000 and Rs. 60000 – 180000 in the respective discipline of Traffic Department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9). Deputation: Officers of the Major Port Authorities or Central Government or State Governments or autonomous bodies or Government companies, -
-----	--------------------------------	---	----------	--------------------	------------	---------------------------------------	---	---	-----------------	--	---

											(a)(i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) officers holding the post of Deputy Traffic Manager or equivalent posts in the scale of pay of Rs. 60000 – 180000 with three years' regular service in the Traffic Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9).	
57.	Deputy Traffic Manager.	3* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.60000–180000.	Selection.	Not exceeding forty years of age.	Essential: (i) Bachelor's degree from recognised University; and (ii) nine years' experience in Shipping or Cargo Operations or Railway Transportation in executive cadre in an Industrial or Commercial or Government undertaking.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-Yes; (c)Experience-As specified in Column(12).	Two years.	By promotion, failing which by deputation/absorption, failing both by direct recruitment.	Promotion: (a) Promotion from Senior Assistant Traffic Manager in the scale of pay of Rs. 50000 – 160000 with four years' regular service in the grade failing which; (b) Senior Assistant Traffic Manager in the scale of pay of Rs. 50000 – 160000 with two years' regular service in the grade and a combined regular service of nine years in the scale of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.10750-16750) & Rs. 50000 –160000 (Pre revised Rs.9100-15100) in the respective discipline of Traffic Department. Deputation on absorption: Officers of the Major Port Authorities, -	

											(a) (i) holding analogous posts or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) holding the post of Senior Assistant Traffic Manager in the scale of Rs. 50000 – 160000 with four years' regular service in the grade the respective discipline of Traffic Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9).	
58.	Senior Assistant Traffic Manager.	3* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000 – 160000.	Selection.	Not exceeding thirty-five years of age.	Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised University; and (ii) five years' experience in Shipping or Cargo Operations or Railway Transportation in executive cadre in an Industrial or Commercial or Government undertaking.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-Yes; (c)Experience-As specified in Column(12).	Two years.	By promotion, failing which by deputation/absorption, failing both by direct recruitment.	Promotion: (i) Promotion from Assistant Traffic Manager Grade I in the scale of pay of Rs. 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100-15100) with five years' regular service in the grade failing which; (ii) Assistant Traffic Manager Grade I in the scale of pay of Rs. 50000–160000 (Pre revised Rs.9100-15100) with two years' regular service in the grade and a combined regular service of eight years in the scale of pay of Rs. 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100-15100) and Rs. 40000 – 140000 (Pre revised Rs.8600-14600) in the respective	

										discipline of Traffic Department. Deputation on absorption: Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous posts or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) holding the post of Assistant Traffic Manager Grade I in the scale of pay Rs. 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100-15100) with five years’ regular service in the grade; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (9).		
59.	Assistant Traffic Manager Grade I.	4* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000–160000.	Selection.	Not exceeding thirty years of age.	(a) Essential: Bachelor’s degree from a recognised University. (b) Desirable: Two years’ executive experience in Shipping or Cargo Operations or Railway Transportation in an Industrial or Commercial or Government undertaking.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications-Yes; (c)Experience-No.	Two years.	(a) 66.66% by direct recruitment; and (b) 33.33% by promotion.	Promotion: (a) Promotion from Assistant Traffic Manager Grade II in the scale of pay of Rs. 40000 – 140000 with three years’ regular service in the grade; or (b) from Class-III Employees in the scale of pay of Rs.36500–88700 with five years’ regular service in the grade in respective discipline of Traffic Department where there are no Class-II posts in pay scale of Rs. 40000–140000 in that discipline.	Existing posts of Assistant Traffic Manager Class-I, etc., in scale of pay Rs. 50000–160000 is re-designated as Assistant Traffic Manager Grade I.

CLASS-I POSTS OF RESEARCH AND EDP WINGS IN RESEARCH AND PLANNING DIVISION UNDER TRAFFIC DEPARTMENT

Sl. No.	Name of the posts.	Number of posts.	Classification.	Scale of pay.	Whether selection or non-selection post.	Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age; educational qualifications; experience prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion or deputation/ absorption.	Period of probation , if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	Remarks.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
60.	Joint Director.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.80000 – 220000.	Selection.	Not exceeding forty-two years of age.	(a) Essential: (i) Bachelor's degree in Economics or Statistics or Mathematics or Computer Engineering from a recognised University or institute; (ii) twelve years' executive experience in Planning or in collection or compilation and interpretation of data or in conducting field surveys or investigations etc., or in the field of Electronic Data Processing or Information Technology.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications- Yes; (c)Experience: As specified in Column(12)	Not applicable.	Transfer or deputation on absorption basis failing which by deputation and failing both, by direct recruitment.	Transfer or deputation on absorption basis: Officers of the Major Port Authorities, - (a)(i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) officers holding the post of Senior Deputy Director (Research or EDP) or equivalent posts in the scale of pay of Rs. 60000– 180000 with three years' regular service in the grade in	

							(b) Desirable: Post Graduate Degree or Diploma in Economics or Statistics or Mathematics or Operational Research or Post Graduate Degree in Computer Science or Computer Engineering or Information Technology or Information Systems or MIS or Systems or Computer Application or Business Administration (Post Graduate Degree or Diploma) with specialisation in systems or Information System or MIS or Information Technology and allied subjects from a recognized University or institute.			Planning and Research Division; or (iii) officer shall hold the posts of Senior Deputy Director (Research or EDP) or equivalent posts with two years' regular service in the grade and a combined regular service of seven years in the scale of pay of Rs. 50000 – 160000 and Rs.60000–180000 in Planning and Research Division; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9). Deputation: Officers of the Major Port Authorities or Central Government or State Governments or autonomous bodies or Government companies, - (a)(i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) officers holding the post of Senior Deputy Director (Research or EDP) or equivalent posts in the scale of pay of Rs. 60000– 180000 with three years' regular service in the grade in	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--

											Planning and Research Division or Department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (9).	
61.	Senior Deputy Director (Research).	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.60000 – 180000.	Selection.	Not exceeding forty years of age.	(a) Essential: (i) Bachelor's degree in Economics or Statistics or Mathematics from a recognised University or institute; (ii) nine years' executive experience in Planning or in collection, compilation and interpretation of data or in conducting field surveys, investigations etc.; and (iii) knowledge of Computer operation. (b) Desirable: Post Graduate degree or Diploma in Economics or Statistics or Mathematics or Operational Research and allied subject from a recognised University or institute.	(a) Age-No; (b) Educational qualifications- Yes; (c) Experience: As specified in Column(12).	Two years.	By promotion, failing which by deputation/ absorption, failing both by direct recruitment.	Promotion: (a) Promotion from Deputy Director (Research) in the scale of pay of Rs. 50000 – 160000 with four years' regular service in the grade failing which; (b) Deputy Director (Research) in the scale of pay of Rs. 50000 – 160000 with two years' regular service in the grade and a combined regular service of nine years in the scale of pay of Rs. 50000–160000 (Pre revised Rs.10750-16750) and Rs. 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100- 15100) in the respective discipline of Planning and Research Division. Deputation on absorption: Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous posts or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or	

											(ii) holding the post of Deputy Director (Research) or Deputy Director (EDP) in the scale of Rs. 50000 – 160000 with four years' regular service in the grade in the Planning and Research Division; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column(9).	
62.	Senior Deputy Director (EDP).	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.60000 – 180000.	Selection.	Not exceeding forty years of age.	(a) Essential: (i) Bachelor's degree in Computer Engineering or Computer Sciences from a recognised University or institute; or (ii) Bachelor's degree in Mathematics or Statistics or Operational Research or Economics with Post Graduate Diploma in Computer Application or Computer Science or Information Technology from a recognised University or institute; or (iii) Bachelor's degree in Engineering with Post Graduate Diploma in Computer Applications or Computer Sciences or Information Technology from a recognised University or institute; and (iv) nine years' experience in Programming or	(a) Age-No; (b) Educational qualifications- Yes; (c) Experience: As specified in Column(12).	Two years.	By promotion, failing which by deputation/ absorption, failing both by direct recruitment.	Promotion: (a) Promotion from Deputy Director (EDP) in the scale of pay Rs. 50000 – 160000 with four years' regular service in the grade failing which; (b) Deputy Director (EDP) in the scale of pay of Rs. 50000–160000 with two years' regular service in the grade and a combined regular service of nine years in the scales of pay of Rs 50000 – 160000 (Pre revised Rs.10750-16750) and Rs50000–160000 (Pre-revised Rs.9100-15100)in the respective discipline of Planning and Research Division. Deputation/ absorption: Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous posts or equivalent posts on	

							Electronic Data Processing or System Design and Analysis and related fields. (b) Desirable: Post Graduate degree in Mathematics or Statistics or Operational Research or Economics or Post Graduate degree in Computer Science or Computer Engineering or Systems or Information Systems or MIS or Information Technology or Computer Application or Business Administration (Post Graduate Degree or Diploma) with specialisation in systems or information systems or MIS or Information Technology and allied subjects from a recognised University or institute.				regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) holding the post of Deputy Director (Research) or Deputy Director (EDP) in the scale of Rs. 50000 – 160000 with four years' regular service in the grade in the Planning and Research Division; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (9).	
63.	Deputy Director (Research).	3* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000–160000.	Selection.	Not exceeding thirty-five years of age.	(a) Essential: (a) Bachelor's degree in Economics or Statistics or Mathematics from recognised University or institute; and (ii) five years' executive experience in Planning or in collection or compilation and interpretation of Data in conducting field surveys or investigation, etc. (b) Desirable:	(a) Age-No; (b) Educational qualifications- Yes; (c) Experience: As specified in Column(12).	Two years.	By promotion, failing which by deputation/ absorption, failing both by direct recruitment.	Promotion: (a) Promotion from Assistant Director (Research) in the scale of pay of Rs. 50000 – 160000 with five years' regular service in the grade failing which; (b) Assistant Director (Research) in the scale of pay of Rs .50000 – 160000 with two years' regular service in the grade and a combined regular service of eight years in the scale of pay of Rs. 50000–160000 and Rs.	

							(i) Post Graduate degree or Diploma in Economics or Mathematics or Statistics or Operation Research and allied subjects from a recognised University or Institutions; (ii) Knowledge of Computer Operation.				40000–140000 in the respective discipline of the Planning and Research Division. Deputation on absorption: Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous posts or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) holding the post of Assistant Director (Research) or Assistant Director (EDP) in the scale of Rs. 50000– 160000 with five years' regular service in the grade in the Planning and Research Division; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (9).	
64.	Deputy Director (EDP).	2* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000 – 160000.	Selection.	Not exceeding thirty-five years of age.	(a) Essential: (i) Bachelor's degree in Computer Engineering or Computer Science from recognised University or institute; or (ii) Bachelor's degree in Mathematics or Statistics or Operational Research or Economics with Post Graduate Diploma in Computer Applications or Computer Science or	(a) Age-No; (b) Educational qualifications- Yes; (c) Experience: As specified in Column(12).	Two years.	By promotion, failing which by deputation/ absorption, failing both by direct recruitment.	Promotion: (a) Promotion from Assistant Director (EDP) in the scale of pay of Rs. 50000– 160000 (Pre revised Rs.9100-15100) with five years' regular service in the grade failing which; (b) Assistant Director (EDP) in the scale of pay of Rs. 50000 – 160000 (Pre revised Rs.9100-15100) with two years' regular service in the	

							Information Technology from a recognised University or institute; or (iii) Bachelor's degree in Engineering with Postgraduate Diploma in Computer Applications or Computer Science or Information Technology from a recognised University or institute; and (iv) five years' experience in programming or Electronic Data or System Design and Analysis and related fields. (b) Desirable: Post Graduate degree in Mathematics or Statistics or Operational Research or Economics or Post Graduate degree in Computer Science or Computer Engineering or Systems or Information Systems or MIS or Information Technology or Computer Applications or Business Administration (Post Graduate degree or Diploma) with specialisation in Systems or Information Systems or MIS or Information Technology and allied subjects from a recognised University or institute.				grade and a combined regular service of eight years in the scales of pay of Rs 50000–160000 (Pre revised Rs.9100-15100) and Rs 40000–140000 (Pre-revised Rs.8600-14600) in the respective discipline of the Planning and Research Division. Deputation on absorption: Officers of the Major Port Authorities, - (a) (i) holding analogous posts or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) holding the post of Assistant Director (Research) or Assistant Director (EDP) in the scale of Rs. 50000– 160000 with five years' regular service in the grade in the Planning and Research Division; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (9).	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

65.	Assistant Director (Research).	3* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000 – 160000.	Selection.	Not exceeding thirty years of age.	(a) Essential: Bachelor's degree in Economics or Statistics or Mathematics from a recognised University or institute. (b) Desirable: (i) two years' executive experience in collection or compilation and interpretation of data or in conducting field surveys or investigation; (ii) knowledge of Computer Operations; (iii) Post Graduate degree or Diploma in Economics or Statistics or Mathematics or Operational Research and allied subjects from recognised University or institute.	(a)Age-No; (b)Educational qualifications- Yes; (c)Experience-No.	Two years.	(a) 66.66% by direct recruitment ; and (b) 33.33% by promotion.	Promotion: (a) Promotion from Statistical and Research Officer in the scale of pay of Rs.40000–140000 with three years' regular service in the grade failing which; (b) promotion from Class-III employees in the scale of pay of Rs. 36500- 88700 in respective discipline of Planning and Research Division with five years' regular service in the grade where there are no Class-II posts in the pay scale of Rs. 40000 – 140000 in that discipline.	
66.	Assistant Director (EDP).	4* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I.	Rs.50000 – 160000.	Selection.	Not exceeding thirty years of age.	(a) Essential: (i) Bachelor's degree in Computer Engineering or Computer Sciences from a recognised University or institute; or (ii) Bachelor's degree in Mathematics or Statistics or Operational Research or Economics with Post Graduate Diploma in Computer Applications or Computer Science or Information Technology	(a)Age-No; (b)Educational qualifications- Yes; (c)Experience-No.	Two years.	(a) 66.66% by direct recruitment ; and (b) 33.33% by promotion.	Promotion: (a) Promotion from Programmer or Data Processing Officer (Class-II) in the scale of pay of Rs. 40000 – 140000 with three years' regular service in the grade failing which; (b) promotion from Class-III employees in the scale of pay of Rs. 36500-88700 in respective discipline of in respective discipline of Planning and Research Division with five years'	

							from a recognised University or institute; or (iii) Bachelor's degree in Engineering with Post Graduate Diploma in Computer Applications or Computer Science or Information Technology from a recognised University or institute. (b) Desirable: (i) Post Graduate degree in Mathematics or Statistics or Operational Research or Economics or Post Graduate degree in Computer Science or Computer Engineering or Systems or Information Systems or MIS or Information Technology or Computer Applications or Business Administration (Post Graduate degree or Diploma) with specialisation in Systems or Information Systems or MIS or Information Technology and allied subjects from a recognised University or institute; (ii) two years' experience in Programming or Electronic Data processing or system analysis, etc.				regular service in the grade where there are no Class-II posts in the pay scale of Rs. 40000–140000 in that discipline.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

CLASS-I POSTS OF VIGILANCE DEPARTMENT

Sl. No.	Name of the posts.	Number of posts.	Classification.	Scale of pay.	Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether educational qualifications; experience prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion or deputation/absorption.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	Remarks.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
67.	Chief Vigilance Officer.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Class-I (Head of Department).	Pay in Parent Deptt.	Selection .	Not applicable .	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable .	By deputation.	Deputation: Officers from the All-India Service holding the posts of Director in level-13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900) or Deputy Secretary in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) on regular basis in the parent cadre or Department in the Government of India.	Deputation on tenure shall be as per guidelines issued by Central Vigilance Commission or Department of Personnel and Training.

68.	Deputy Chief Vigilance Officer .	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload .	Class-I.	Rs.60000 – 180000	Selection .	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable .	By deputation.	Deputation: Officers of the Major Port Authorities or Central Government or State Governments or autonomous bodies or Government companies, - (a)(i) holding analogous or equivalent posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) Officers holding the posts in the pay scale of Rs. 50000 – 160000 with three years' regular service in the grade.	
-----	----------------------------------	--	----------	-------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	----------------	---	--

J.S BINDRA, IRTS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./261/2026-27]